महानगर नई दिल्ली बुधवार 3 जुलाई, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

महाराष्ट्र में बारिश का कहर, 35 की मौत

खबर पेज 8 पर

तबाही

मुंबई के उपनगर मालाड में इसी जगह दीवार गिरने से लोग मलबे के नीचे दब गए थे। घटनास्थल पर मंगलवार को राहत कार्य को देखते लोग।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश

बेटा किसी का भी हो, मनमानी नहीं चलेगी

नई दिल्ली, 2 जुलाई (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र द्वारा एक सरकारी अधिकारी की क्रिकेट के बल्ले से पिटाई के लेकर उपजे विवाद के बाद एक सख्त संदेश में मंगलवार को कहा कि इस तरह की घटनाओं से पार्टी का नाम खराब होता है और यह अस्वीकार्य है।

सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा, 'जो भी हो, वह किसी का भी बेटा हो... इस तरह का अक्खड़पन, दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।' उन्होंने कहा, 'मनमानी नहीं चलेगी।' हालांकि, प्रधानमंत्री ने बाकी पेज 8 पर

भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए।

आकाश विजयवर्गीय *(फाइल फोटो)*

मोदी **बोले, आरोपी विधायक का स्वागत करने वालों को पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए।**

इस तरह की घटनाओं से पार्टी का नाम खराब होता है।

अगर कोई गलती करता है तो उसमें पश्चाताप की भावना भी होनी चाहिए।

29 जून को आकाश विजयवर्गीय पर छपा बेबाक बोल

रजकण

दुख है कयामत का

शराब की बोतल पर बापू की तस्वीर लगाने पर संसद में विरोध

नई दिल्ली, 2 जुलाई (भाषा)।

मद्यपान के विरूद्ध देश भर में आंदोलन छेड़ने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर का उपयोग इजराइल की एक कंपनी द्वारा शराब की बोतल पर कथित रूप से किए जाने का मुद्दा मंगलवार को राज्यसभा में उठा। आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने इस पर रोष जताते हुए सरकार से तत्काल कड़े कदम उठाने की मांग की।

सिंह ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा 'पिछले दिनों बापू को अपमानित करने की घटनाएं सामने आई हैं। कहीं बापू के हत्यारे का महिमामंडन किया बाकी पेज 8 पर

भारत को नाटो सहयोगी का दर्जा देने का सीनेट में प्रस्ताव पारित

वाशिंगटन, 2 जुलाई (भाषा)।

अमेरिका की संसद के उच्च सदन सीनेट ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। इससे भारत का दर्जा अमेरिका के नाटो सहयोगियों और इजराइल व दक्षिण कोरिया जैसे देशों के समान हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020 के लिए पिछले सप्ताह पारित राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) में इस तरह का प्रस्ताव निहित था।

अमेरिका की संसद के उच्च सदन सीनेट ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया

सीनेट इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष सांसद मार्क वार्नर के समर्थन से सीनेट इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष सांसद जॉन कॉर्निन द्वारा पेश किए गए संशोधन में मानवीय मदद, आतंकवाद, जल-दस्युओं से निपटने और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में हिंद महासागर में भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।

पिछले सप्ताह हाउस इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष ब्रैड शर्मन ने कांग्रेस सांसद जोए विलसन, अमी बेरा, टेड योहो, जॉर्ज होल्डिग, एड केस और राजा कृष्णमूर्ति के साथ ऐसा ही कानूनी प्रस्ताव 'हाउस बाकी पेज 8 पर

भारत सातवीं बार विश्व कप सेमीफाइनल में

विजयी मुस्कान

बर्मिंघम, 2 जुलाई (भाषा)।

सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के मौजूदा टूर्नामेंट के रेकार्ड चौथे शतक और लोकेश राहुल के साथ उनकी बड़ी शतकीय साझेदारी के बाद जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या की उम्दा गेंदबाजी से भारत ने विश्व कप के रोमांचक लीग मैच में मंगलवार को यहां बांग्लादेश को 28 रन से हराकर सेमी फाइनल में जगह पक्की की। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम 7वीं बार सेमी फाइनल में पहुंच गई। भारतीय टीम पिछली बार 2015 में सेमी फाइनल में पहुंची थी। तब आस्ट्रेलिया ने उसे 95 रन से हरा दिया था। भारत ने बांग्लादेश को विश्व कप इतिहास में लगातार तीसरी बार हराया।

पेज 12 विस्तृत खबर

भारत के आठ मैच में 13 अंक हो गए। वह अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बरकरार है। भारत का अगला मुकाबला श्रीलंका से छह जुलाई को होगा। दूसरी ओर इस हार के साथ बांग्लादेश की अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गईं।

28 रन से भारत ने बांग्लादेश को पराजित किया विश्व कप क्रिकेट के संघर्षपूर्ण मैच में

104 रन बनाए मैन आफ द मैच रोहित ने 92 गेंद में पांच छक्को,सात चौकों से

04 विकेट उखाड़े बुमराह ने 55 रन देकर बांग्लादेश के

नीरव के परिवार के जमा 44.41 करोड़ रुपए जब्त होंगे

नई दिल्ली, 2 जुलाई (भाषा)।

सिंगापुर हाई कोर्ट ने भारतीय जांच एजंसी की अर्जी पर अरबों रुपए की पंजाब नेशनल बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में आरोपी नीरव मोदी की बहन और बहनोई के वहां के बैंकों में जमा 44.41 करोड़ रुपए जब्त करने के आदेश दिए बाकी पेज 8 पर

माता-पिता से बुरे बर्ताव पर छह महीने तक की जेल का प्रस्ताव

नई दिल्ली, 2 जुलाई (भाषा)।

बुजुर्ग माता पिता का परित्याग करने वालों के लिए जुर्माना व जेल की सजा की अवधि बढ़ाकर बुजुर्गों की सुरक्षा और कल्याण संबंधी कानून को मजबूत करना सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण व कल्याण कानून, 2007' के तहत

मसविदे **में माता-पिता के भरण-पोषण के लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह की राशि की सीमा को खत्म करने का प्रस्ताव**

मंत्रालय ने अपने बुजुर्ग माता-पिता का परित्याग करने वाले या उनके साथ दुर्व्यवहार करने वालों के लिए मौजूदा तीन महीने की जेल की सजा को बढ़ाकर छह महीने करने का प्रस्ताव किया है।

अधिकारी ने बताया कि इसमें सुधार के लिए मंत्रालय जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव पेश करेगा। मंत्रालय ने इसमें बच्चों की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें दत्तक पुत्र/पुत्री बाकी पेज 8 पर

अमेजन संस्थापक जेफ बेजोस देंगे रकम **निपटारा** **दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला हो जाएंगी मैकेंजी**

38 अरब डॉलर का सबसे महंगा तलाक

वाशिंगटन, 2 जुलाई (भाषा)।

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की पत्नी मैकेंजी बेजोस को पति से तलाक पर 38 अरब डॉलर मिलेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा तलाक निपटान का मामला है। बेजोस अमेजन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। मैकेंजी और जेफ का विवाह करीब 26 साल पहले हुआ था।

मैकेंजी (49) लेखिका हैं। तालाक निपटान से मिले धन मिलते ही वो दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला हो जाएंगी। मैकेंजी पहले ही वादा कर चुकी हैं कि वो अपनी संपत्ति का आधा परमार्थ कार्यों के लिए देंगी। मैकेंजी का जेफ के साथ विवाह 1993 में हुआ था। इसके एक साल बाद जेफ ने अपने गैराज से सिएटल में अमेजन की शुरुआत की थी। मैकेंजी ने कहा कि उनके पास देने के लिए काफी पैसा है। जब तक कि उनकी तिजोरी खाली नहीं हो जाएगी वह परमार्थ के लिए पैसा देना जारी रखेंगी।

ब्लूमबर्ग बिलियनयर्स इंडेक्स के अनुसार तलाक के लिए पत्नी को 38 अरब डॉलर देने के बाद भी जेफ 118 अरब डॉलर की संपत्ति संग दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहेंगे।

मैकेंजी *वादा कर चुकी हैं कि वे अपनी संपत्ति का आधा परमार्थ कार्यों के लिए देंगी।*

बड़ी *कीमत चुकाने के बाद भी जेफ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहेंगे।*

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I,Parmender Kumar S/o Kamal Singh R/o-A-208 Gali No.3,Part-1 Circular Road, Sonia Vihar Delhi-110094, inform that name of mine & my minor son's Navneet(17 Years) hasbeen wrongly written as Parmendra Singh Chaudhary & Navneet Chaudhary in his Edu. Documents.The actual name of mine & my minor son's are Parmender Kumar & Navneet which may be amended accordingly. 0040501624-10

IT is for general information that I Sunaina, W/o Ex Kamaldeep Grover, D/o Nand Lal Chawla, R/o 37A, 2nd Floor, Nil Block, Malviya Nagar, Opposite Laxminarayan Temple, delhi-110017, declare that I got divorce from my husband vide court decree no. HMA CASE NO. 687 dated 17/09/2012. Further I remarried with HARDEEP RAWAT vide Marriage Certificate No. 90730000072581 on dated 10/02/2019 henceforth name of my minor son LAKSHAY GROVER aged about 14 years may be known as LAKSHAY RAWAT and also name of father of my minor son may be known as HARDEEP RAWAT in future for all purposes. 0070663080-1

I, Supriya Soni W/o Pawan Gupta R/o GF 730, Shakti Khand-III, Indirapuram, Ghaziabad, have changed my name to Supriya Gupta forever. 0040501600-1

I, Sunita Babbaa W/O Ajay Kumar Babbar R/O-B-703, Citizen-Welfare Society, Gh-1, Sector-51, Wazirabad-(75), Gurgaon, Haryana-122003. Have Changed My Name To Sunita Babbar. 0040501636-11

I, Savita Verma W/O Ajay Kumar Verma, R/O-18/35 Shakti-Nagar, Delhi-110007. Has Changed My Son's Name From Kunal Verma To Kunal Rajput For All Future Purposes. 0040501609-6

I,Mahender singh @ Mahinder Singh Dahiya S/o Sh. Nafe Singh R/o H.no.D-98 3rd Floor, Lord Krishna Road Adarsh Nagar Delhi -33 have changed my name to Mahender Dahiya for all future Purposes 0040501601-3

I,Lokender Partap Singh,s/o-Naresh Kumar,r/o-B-801, Ranjit Vihar-2 Sec-23 Dwarka Delhi-75 inform that I,have changed my name as Lokender Pratap Singh Lohan. 0040501603-3

I,Laxmi Devi W/o Vijay Pratap R/o H.No.194, Gali No.3, G-Block, Prem Nagar, Najafgarh, N.Delhi-43,have changed my name from Laxmi Devi to Saroj Bala,for all future purposes. 0040501617-1

I, Kartik Shah S/o-Sh.Sharad Chandra Shah R/o-1st Floor, H.No. 386A, Sector-9, Gurugram, Haryana-122001, inform that Kartik Shah and Kartik Kumar Shah both are same person. 0040501586-4

I, Disha Shah S/o Sh. Hitendrabhai Vasantlal Shah R/o-Kartik Shah, 1st Floor, H.No.386A, Sector-9, Gurugram, Haryana-122001, inform that Disha Shah and Disha Kartik Kumar shah both are same person. 0040501586-5

I,Ashok Kumar Jha,S/o-Rameshwar Jha R/o-I-146, PremNagar-2,KirariSuleman Nagar,Delhi-110086,inform that my name incompletely-written in my secondary,certificate issued by Bihar school examination-board Patna,as Ashok Kumar instead of Ashok Kumar Jha. 0040501624-11

I, hitherto known as ARMAN S/o SHAHADUTT, residing at H.No.317, Mahatma Gandhi Camp, Patpar Ganj, East Delhi, Delhi-110091 have changed my name and shall hereafter be known as ARMAN ANSARI 0040501558-1

I, Vijay Kumar S/o Late Chhater Pal R/o H.No.16/753-H, Street No.9, Military-Road, Bapa-Nagar, KarolBagh, Delhi-110005.inform that name of mine has been wrongly-written as Vijay Kr. Santholia in the school record of my minor son Harsh Santholia, aged about 10-years.The actual name of mine is Vijay Kumar,which may be amended accordingly. 0040501624-9

I, Venktesh Sharma (Age 01-01-1976) S/o Shri Jagat Singh R/o 4/5036, Netaji Subhash Marg, Daryaganj, New Delhi-2 have changed my name to Binkateshwar Sharma for all future purposes. 0040501614-1

I, Uttam Kumar Misra, R/o B-25, Durga Vihar, Deoli Extn., Khanpur, N.D.-62, have changed my name to Uttam Mishra. 0070663070-1

I Sashi Bala Spouse of No. 15567596M LNK Mukesh Kumar,Resident of-Village Bhurj Sahid,PO Shahzad pur, Tehsil Narain Garh,Distt.-Ambala,Haryana -134202,have Changed my name from Sashi Bala to Shashi Bala,vide affidavit dated 02.07.2019 before Delhi High Court. 0040501603-1

व्यक्तिगत

I, Uma Shanker Yadava S/o Ram Akbal Yadava R/oA-1/133, ShivMandir-Marg, Mandawali, Delhi. Have changed my name to Uma Shankar Yadav. 0040501589-6

I, Tushar s/o Vinod Puri R/o Flat No. D-1809 Charms Castle, Raj Nagar Extenion, Ghaziabad, have changed my name to Tushar Puri for all purposes. 0040501541-1

I, Tara K.C. D/o Vikram Kumar R/o-T-617, First-Floor, Baljeet Nagar, N.Delhi-110008. Have changed my name to Tara Ramtel. 0040501616-3

I, Sudesh Kumar S/o Parma Nand H.No.476, Sector-16-A, Faridabad. Have changed my name to Sudesh Kumar Nayyar. 0040501589-3

I, Sima W/o Ajay Kumar Verma D/o Ram Nath Verma, Employed with LIC of India, Panipat R/o 38-A, Aggarsain Colony, Assandh Road, Panipat-132103, have changed my name to Seema Verma. 0040501557-2

I, Sikander Abbas S/o-Jahoor Abbas, H.No.E-49/A-93, Janta Mazdoor-Colony, Garhi-Mendu, Delhi-110053. Changed my name to Sikander Abbas Jaidi. 0040501616-6

I, Shrajan Parasar S/O Ashok Parasar., H.No.87-C, Chawla-Colony, Ballabgarh, Faridabad, Haryana-121004. Changed My Name To Srajan Parashar. 0040501624-4

I, Shefali W/O Montu Halder R/O B-526, Bhoomiheen Camp, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019. Changed My Name To Shefali Halder. 0040501624-6

I, Shashi W/o Fateh Singh Bharti R/o 111, Third Floor, Old Gupta Colony, Near Meerabai Park, Vijay Nagar, Delhi-110009 have changed my name to Shashi Bharti for all future purposes. 0040501596-3

I, Sadhana Baranwal W/O Anand Prakash, R/O 5/5, First Floor, Indira Vikas Colony, Delhi-110009. Changed My Name To Sadhana Prakash. 0040501624-3

I, SANJAY KUMAR, Son of Jagdish Prasad Gupta, R/o A-5, Shalimar Apartment, Masjid Moth South Extension 2, Near Lila Ram Market, New Delhi-110049, have changed the name of my minor Son KARTIKEYA, aged 14 years and he shall hereafter be known as KARTIKEYA GUPTA. 0070663089-1

I, S.S. Kanwal / Kamla Arora / Surinder Kanwal W/o Surender Singh R/o 248, Kohat Enclave, Pitampura, Delhi-110034, have changed my name to Surinder Singh Kanwal for all purposes. 0040501572-1

I, Rekha Gupta W/o-Prince Sharma R/o-Plotno.81, New.No.B-324, G/F, Galino 29, Mahabir Enclave, Dwarka, Sector-6, New Delhi-75, have changed my name to Rekha Sharma. 0040501589-2

I, Rasukh Kapoor D/O Tarvinder Singh Kapoor R/o 6105 B8 Vasant Kunj, New Delhi 110070, have changed my name to Rasukh Kaur Kapoor for all purposes. 0040501607-1

I, Vikram S/O Raj Kumar Gola, Hno-88/15a, Gali No-1, ShakarPur Khas, Delhi-110092. Have Changed My Name To Vikram Gola. 0040501589-9

I, Rajesh Kumar Garg S/o Amar Chand Jain R/o P-244, JJ Colony, Raghubir Nagar, New Delhi-110027, have changed my name to Rajesh Kumar Jain for all purposes. 0040501540-1

I, Rajender Garg S/O-Ram Kishan Mundka, R/O-117, Gali No.-5, Rajendra Park, Nangloi, Delhi-41, changed my name to Rajender Kumar. 0040501589-10

I, Rajbir Singh S/o Shri Mul Chand R/o RZ-89, Mahendra Park, Pankha Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059, do herebysolemnly affirm and inform that my son Anuj's date of birth has been written wrongly as 31.10.1997 in my service records where as his true and correct date of birth is 16.10.1999. 0040501584-1

I, RAJESH MEENA D/o Mr.Dev Kishan Meena R/o-74, GoudBasti-AmritKua, Teh:-Sangod, Distt.Kota, Rajasthan-325601,have changed my name to RAJESHWARI MEENA,for all purposes. 0040501624-7

I, Puneet Mehta S/o Ashok Mehta R/o A-8/18, Block-A, Rohini Sector-16,15 Delhi-89, have changed my name to Puneet Kumar Mehta 0040501554-1

I, Praveen Kumar R/O-Smq.No-5/503, Tejas-Enclave, Vayusena-Vatika, Air-Force Station, Sohna-Road, Gurgaon-122001. Have Changed My Minor Daughter Name From Akanksha To Akanksha Chaudhary 0040501609-5

I, Abhishek Joshi, S/O Umesh Chandra Joshi R/O-B1-616, Tower-14, Silver-City, Noida Gb.Nagar, Up-201304, Changed The Name Of My Minor Son Akshit Joshi To Akshat Joshi Aged 10-Years. 0040501636-12

I, Doli W/o Yogesh Kumar R/o-F-132 J.J.Colony Wazirpur Delhi-110052. changed my name to Manisha Bahal Khatri for all purposes. 0040501609-10

I, Prajjwal S/O Praveen Kumar R/O-Smq.No-5/503, Tejas-Enclave, Vayusena Vatika, Air-Force Station, Sohna Road, Gurgaon-122001.Have Changed My Name To Prajjwal Chaudhary. 0040501609-4

I, Poonam Kapila W/O Hemant Kapila R/O Ua-56, Jawahar Nagar, MalkaGanj, Delhi-007 Chaged My Name To Purnima Kapila. 0040501609-2

I, Poonam Garg W/O Pankaj Goel R/O A-2/121 B, Keshav Puram, Delhi-110035. Have Changed My Name To Poonam Goel. 0040501624-1

I, Pooja Puri W/o Nitin Puri R/o 204 Vaishali Enclave Pitam pura Delhi-88. changed my name to Chaitali Kalra Puri. 0040501609-9

I, Pinky W/o Sh.Tara Singh R/o D-3, Dining Hall, Ground Floor, Tibbiya College, Karol Bagh, New Delhi-110005, have changed my name to Pinki for all purposes. 0040501547-2

I, Parul D/o Dinesh Kumar R/o WZ-1919, Rani Bagh, Delhi-110034, have changed my name to Parul Khattar permanently. 0040501567-1

I, Omparkash S/o Ram Singh R/o-A-83 Amar Colony Nagloi Delhi-110041, have changed name my name to Om Prakash. 0040501589-1

I, N.Linda Liapvung W/O Dominic Paul R/O 30,Hill Town, Churachandpur, Manipur-795128. Have Changed my Name to Linda Paul. 0040501616-5

I, Mohd Tanvir Quarishi S/o Mohd Kamil, R/o-811, Katra Hiddu, Farash Khana, Delhi-110006, have changed my minor daughter's name from Namira Muskan to Namra Muskan for all future purposes. 0040501559-1

I, Mohd Tanvir Quarishi S/o Mohd Kamil, R/o 811, Katra Hiddu, Farash Khana, Delhi-110006 have changed my minor daughter's name from Zarka Naaz to Zarkha Naaz for all future purposes. 0040501560-1

I, Mansi Makkar D/o Sh.Sanjeev Kumar Makkar W/o Sh.Denny Bindra R/o WZ-33, Gali No.11, Krishna Puri, Tilak Nagar, New Delhi-110018, have changed my name after marriage to Mansi Bindra for all purposes. 0040501547-1

I, Ramesh Sehgal S/o Sunder Singh R/o-92 Suvidha Kunj Zone H-4/5 Pitampura N.Delhi-110034, changed my name to Ramesh Chand Sehgal. 0040501609-8

I, Manjeet Singh,S/O Shri Raj Singh R/O B-6/163, Sector-11,Rohini,Delhi-110085, have changed my minor daughter name from Vanshika Dahiya to Vanshika. 0040501586-3

I, Mahesh Kumar Daiya or Mahesh Dahiya R/o G-407-408, Gali No.2 G Block, Swaroop Nagar, Delhi-110042 have changed my name to Mahesh kumar for all future purposes. 0040501605-2

I, Lalit Kumar@Lalit Kumar Sanwariya S/o Rampal Singh R/o-FlatNo.5, ACP-Complex, Shivaji-Park, Punjabi-Bagh, New Delhi-26, both names belong to same person i.e.myelf. 0040501616-8

I, Keerthana TK spouse of No. 15785303H, Hav (OFC) Sojith TP of 104 AD Regt att with IHQ of MoD (Army) Senabhawan, New Delhi-110011, presently resided at Vill-Kayakkodi, PO-Mokeri, Teh-Vatakara, Dist-Kozhikode (Kerala), Pin-673507. Have changed my name from Keerthana Sojith to Keerthana TK vide Affidavit dated 20/06/2019 before Sub-Divisional Magistrate at New Delhi. 0040501551-1

I, Kapil Dev S/O Mast Ram R/O C-12/9, Dayalpur, Karawal Nagar, Delhi-110094. Changed My Name To Kapil Dev Bhatt. 0040501624-5

I, KALLU S/o Ashfaq Ahmed, R/o-77, HumayunPur-Village, New Delhi-110029.inform that my name has been written as MUSHTAQ AHMED in school-certificates and ID Proofs of my son's MOHD IMTIAZ.The actual name of mine is KALLU,for all purposes. 0040501624-8

I, Jitender Kumar S/o Sh.Ramdeen Verma R/o H.No.341/43, Mangal Sain Building, Bagh Kare Khan, Kishan Ganj, Delhi-110007, have changed my name to Jitender Verma for all purposes. 0040501547-3

I, Jitender Kumar S/o (Late) Hem Raj Jain R/o D-19, Kiran Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have changed my name as Jitender Kumar Jain for all record and future purposes. 0040501555-1

I Jagaresh S/o Devi Ram R/o H.No.125,Vill- Chhaprauli Bangar, G.B.Nagar U.P.,have Changed my name to Jagresh Lohia for all purposes. 0040501586-1

I Bhavana Sharma W/O Tribhuwan H.No-Rzp-242, Gali No-4, Raj Nagar Part-2, Palam-Colony, Delhi. Have Changed My Name To Bhawna Sharma. 0040501609-3

I hitherto known as VIBHISHAN, S/o Subhash, R/o H.No. 147, Kheri Road, Maa Sarswati School, Hanuman Nagar Sec-16A, Kheri Kalan, Faridabad, Haryana 121002, have changed my name and shall hereafter be knwon as VISHANU KUMAR. 0070663087-1

व्यक्तिगत

I, Jainti Kumari W/O Rakesh Pandey, R/O A-5, 2nd-Floor Flat No.4, M.B.Road, Khanpur, New Delhi-110062, have changed name my name Jayanti Pandey. 0040501589-8

I, Inder Dev S/o Satya Parkash Sharma R/o-396, Parwatiya Colony, NIT, Faridabad have changed my name to Inder Shrma. 0040501589-4

I, Hartej Pal S/O Mohinder Pal R/O-366/64, Block-J, Brs Nagar, Rajguru Nagar, Ludhiana, Punjab-141012. Changed my Name To Hartej Singh. 0040501624-2

I, Gurpreet Singh Arora s/o S.Kultar Singh, R/o B-32, First Floor, Moti Nagar, New Delhi-110015, have changed my name to Gurpreet Singh. 0040501538-1

I, Gunjan Malik W/o Ravi Aggarwal R/o C-7/166, Sector-7, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Gunjan Aggarwal permanently. 0040501609-1

I, Geeta Rani, R/o 19A, Vikas Niketan, Pitampura, Delhi 110034, have changed my name to Geeta Chawla. 0070663069-1

I, Fateh Singh S/o Roop Chand R/o 111, Third Floor, Old Gupta Colony, Near Meerabai Park, Vijay Nagar, Delhi-110009 have changed my name to Fateh Singh Bharti for all future purposes. 0040501596-1

I, Fateh Singh Bharti S/o Roop Chand R/o 111, Third Floor, Old Gupta Colony, Near Meerabai Park, Vijay Nagar, Delhi-110009 have changed the name of my minor son from Tany to Vansh Bharti for all future purposes. 0040501596-2

I, Mahavir / Mahavir Singh Tanwar S/O Chander Singh, H.No.1903, Marutikunj, Bhondsi, Sohna-Road, Gurgaon, Haryana-122102, Changed My Name To Mahavir Singh. 0040501616-1

I, Dhanmaya W/o Late Shri Bhim Singh R/o-107 2nd.floor, Surya Niketan,Vikas Marg Delhi-110092,hereby inform that Dhanmaya and Maya Devi is one and the same person and in future will be known by the name Dhanmaya for all future purposes. 0040501587-1

I, Dhananjaya Kumar Vishvakarma S/o Ram Suchit Vishvakarma R/o-2873, Gali No.69, Molar-Band Extension, New Delhi. Have changed my name to Dhananjay Kumar Vishwakarma. 0040501589-5

I, Devinder Kaur W/O-Harjinder Singh R/O-A-167, Vijay-Laxmi Park, Nilothi-Extention, New-Delhi-110041, have changed my name to Dewinder Kaur. 0040501616-11

I, Devika D/O Sunita, R/O-4, Nagin Lake Apartment PaschimVihar Delhi-110087. Have changed name my name to Devika Shokeen. 0040501589-7

I, Devendra Kumar Singh S/o Shri Kalyan Singh, residing at H.No.10-A, Gali No.21-A, Molarband Extn. Badarpur New Delhi-110044 have changed the name of my minor son Yash Verma, aged 14 year and he shall hereafter be known as Yash Kumar Singh. 0040501585-1

I, Deepika Goel D/O Vijay Kumar Goyal, R/O-1/1597, Mansarover-Park, Shahdara, Delhi-110032. Changed My Name To Deepika Goyal. 0040501616-10

I, Deepa or Deepa Daiya R/o G-407-408, Gali No.2 G Block, Swaroop Nagar, Delhi-110042 have changed my name to Mamta for all future purposes. 0040501605-1

I, Davinder Kumar, R/o C-104, Sadbhawna Apt., Sec-22, Dwarka, Delhi-77, have changed my name to Devinder Kumar Mahajan. 0070663090-1

I, Charnjit Kaur W/o Kamaljeet Singh R/o-T-A-24, Gali.No.1, Tughlakabad-Extn., Delhi. Have changed my name to Charanjeet Kaur. 0040501616-9

I, Bhupender Kumar S/o Late Amolak Ram R/o 93, Block-6, Geeta Colony, Delhi-110051 have changed my name to Bhupender Singh. 0040501570-1

I, Bansi Madaan/Bansi Lal Madaan S/o Lt. Sri Sunder Dass R/o 40-Vaishali, Pitampura, Delhi-110034, have changed my name to Bansi Lal for all future purposes. 0040501542-1

I, Baljeet Singh Dhingra S/o Late.S.Raghubir Singh Dhingra R/o-D-11, New-Govindpura Gali.No.9, Delhi-110051-have changed minor son's name,from Rajbeer Singh to Rajveer Singh Dhingra. 0040501616-7

I, Baburam Shetri S/O Tank Lal R/O-7AND-8, Rajasthan-Guest House, Green-Park,Delhi-110016.Have Changed my Name to Baburam Chetri. 0040501616-4

I, Ashish S/O Mahavir Singh H.No.1903, Marutikunj, Bhondsi, Sohna-Road, Gurgaon, Haryana-122102, Changed My Name To Ashish Tanwar. 0040501616-2

I, Aditya Basista S/o Balraj Basista, Resident of 6, Sarai Kale Khan, Hazrat Nizamuddin, South Delhi-110013, have changed my name to Aditya Balraj Basista. 0040501557-1

I Ashok Singh Chauhan S/O S.S.Chauhan R/O, M-113, First-Floor, Blossoms-2, near-Artemis Hospital, sector-51, Gurgaon-122001, Haryana. Have changed name my Name To Ashok Chauhan. 0040501609-7

It is for general information that I, DINESH KUMAR S/O RAM PRAKASH, residing at RZE-135, Nihal Vihar, Nangloi, Delhi- 110041 declare that name of mine, my wife and minor son AYUSH KUMAR aged 13 years and YASH KUMAR aged 09 years have been wrongly written as DINESH SHRIVASTAV, POONAM SHRIVASTAV, AYUSH and YASH in their School Records. The actual name of mine, my wife and my minor son are DINESH KUMAR, POONAM, AYSUH KUMAR and YASH KUMAR respectively, which may be amended accordingly.

खोया+पाया

I,Ramvir Singh,S/o-Harish Chandra,R/o-Village-Partap Vihar,Khoda-Colony Ghaziabad,Uttar,Pradesh-201009,have.lost my Sale Deed 29.03.1989,Executed by Ram Kishan,S/o-Shoraj in favour of Jagwati,W/o-Dharam Vir Singh(Area 200 SQ.Yds) 0040501603-2

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Marksheet of Main Secondary Examination of Year 2012 Roll No.8182010 and Senior Secondary Examination of Year 2014 Roll No.9178662 issued by CBSE has been actually lost. Name: Neeraj Negi, Add: 3/49, NCERT Campus, New Delhi-110016, Tel:8810407690 0040501543-1

I, Ashish verma S/o Suresh kumar R/oH.no-540 village-Dakhkhana Nagal thakran Delhi. Have lost my original-certificate class-10th (2017) Rollno-8175325,Class-12th(2019) Rollno-9660869 C.B.S.E. Delhi. 0040501636-6

I, OM PRAKASH S/O Kaushal singh R/o-diliya-colony alipur Delhi-110036. Have lost my original certificate class 10th year-2017 rollno.-8671250 C.B.S.E. Delhi 0040501636-7

I, Rohit kaplish S/o Rattan chand kaplish R/o h.no-55 income tax-colony pitampura.Have lost my original certificate class-10th year-2011 Rollno-8700111 C.B.S.E-Delhi. 0040501636-9

I Ganga D/o Mohan Lal R/o h.no-11H bhagwati-garden Mohan-garden uttam-nagar Delhi-59.Have lost my original certificate class-10th year-2013 Rollno-8746088 C.B.S.E. Delhi. 0040501636-10

I, SWATI D/O veerpal singh R/o-803 jahangir puri delhi-110033. have lost my original certificate class-10th year-2017 Roll no-8444500 C.B.S.E. Delhi. 0040501636-5

It is notifide for the information that my Orginal/ Duplicate Qualifying Examination certificate of Main/Compartment,Secondary,senior secondary Examination of year 2017 and Roll No.5365100 issues by CBSE has been actually Lost/Destroyed/Mutilated. Name of the candidate Lakshay Chauhan full address:c-269,Ist floor sec.19,Noida Ph.No. 9560781490 0040501619-1

LOST & FOUND

Company's Statutory & Financial Records, Cash Box, Computer, and Other Office Goods have been Lost during Shifting of registered office of Wens Industries Pvt. Ltd. 3393A, 3rd Floor, Front Side Portion, South Patel Nagar, New Delhi-110008

If Found Please Contact

Hardayal

9053482488

LOST AND FOUND

My client lost original GPA Set dated 11-8-1987 & also previous chain for Propoerty No. G-177-B, G-Block, Hari Nagar, New Delhi-110058 area 46.5 Sq. Yds. belonging to Pushp Lata W/o Bal Kishan Gupta & others. FIR Lodged vide LR No.1206155/2019 dated 1-7-2019. Founder inform at : 8826239752

Sd/- B.B.N. DEO, ADVOCATE
S.R IInd, B Coumpus, Janakpuri, New Delhi-58

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला श्रीमती मोनिका धर्मपत्नी श्री चिराग धवन निवासी फ्लैट न.47, पॉकेट–बी–6, सैक्टर–4, रोहिणी, दिल्ली–85 ने अपने पिता श्री श्याम गिरी, माताजी श्रीमती राधा, बहन अंजली व भाई गगन सभी निवासी–एम–39बी, कृष्ण विहार, दिल्ली–86 से उनके गलत व्यवहार के कारण उनसे अपने सभी सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं भविष्य में मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। मेरे किसी भी कृत्य के लिए वह सभी जिम्मेवार नहीं होंगे, मेरी मुवक्किला श्रीमती मोनिका स्वयं जिम्मेवार होंगी।

Gaurav Dhameja (Advocate)
RU-5, Pitampura, Delhi

PUBLIC NOTICE

IT IS FOR INFORMATION OF GENERAL PUBLIC THAT MY CLIENTS (1) SH. RADHEY KRISHANA VERMA S/O SH. HARDEV PRASAD AND (2) SMT. INDRAVATI VERMA W/O SH. RADHEY KRISHNA VERMA R/O E-17 A, E-BOOK, ST. NO. 1 NEAR JAGANNATH MANDIR, WEST VINOD NAGAR, DELHI-110092, HAS DISOWNED/ DEBAR THEIR DAUGHTER SHOBHA VERMA, AGED 27 YEARS, FROM ALL THEIR MOVEABLE AND IMMOVEABLE PROPERTIES, FOR HER DISOBEDIENCE AND TAKING ARBITRARY DECISIONS AGAINST THE WISHES AND DESIRES OF MY CLIENTS AND OTHER MAMBERS AND AGAINST THE FAMILY CUSTOMS, WHICH ARE DETRIMENTAL TO HERSELF AND THE WHOLE FAMILY, WHOEVER DEALING WITH HER IN ANY MANNER, SHALL DO SO AT HIS/HER/THEIR OWN RISK AND RESPONSIBILITY AND MY CLIENTS AND THEIR OTHER FAMILY MEMBERS WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR THE SAME.

ADVOCATE NAQI ASAD,
214, NEW LAHORE, SHASTRI NAGAR, DELHI-110031

पब्लिक नोटीस

मेरे मुव्वकिल नरेंद्र कुमार पुत्र श्री पूरन लाल निवासी 1868 प्रथम तल गली अहिरान मलका गंज सब्जी मंडी दिल्ली 7 ने अपने पुत्र हेमंत कुमार को गलत व्यवहार/आचरण के कारण अपनी चल अचल सम्पति से बेदखल कर सभी सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है भविष्य में यह कोई लेन देन करता है तो उसका जिम्मेदार खुद होगा/ मेरे मुव्वकिल व उनका परिवार दीवानी और फौजदारी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

RAJIV KUMAR
(ADVOCATE)
Enroll. D/3560/09

PUBLIC NOTICE

On behalf of my clients Shri Ram Prasad Pant and Smt. Lata Pant,both R/o D-434/D,DBlock,Pul Prahlad Pur Village,Pul Prahlad Pur,Delhi-110044,caused this notice to the General Public that my above named clients have debarred and disowned their son namely Shri Amit Pant and their daughter-in-law.Smt.Vandana Dhyani from all their movable and immovable properties because of their acts, conduct and unbearable behavior towards my clients.Now my above named clients would have no concern with their son Amit Pant and daughter-in-law Smt.Vandana Dhyani in any manner whatsoever.If any person deals with said Shri Amit Pant and his wife Smt.Vandana Dhyani in any way or any manner,he/she would be doing so at their own risk and consequences.

Adovcate: Anup Singh, Saket Court, Ph: 9560187700

PUBLIC NOTICE

It is to inform that my client Sh. Ashok Sadhwani @ Gurmukh Sadwani S/o Gurdasmal Sadhwani R/o Ramesh Nagar Double Storey, New Delhi has executed General Power of Attorney on 12th June 1979 in favour of Sh. Parkash Sadhwani S/o Sh. Gurdasmal Sadhwani E-342 Ramesh Nagar Double Storey New Delhi to manage the properties mentioned in the said GPA, situated at Delhi. However the said documents/ GPA has been duly revoked vide Legal Notice dated 12.6.19. Any person dealing with Parkash Sadhwani in respect of the said properties shall do so at his own costs and risks.

NEERAJ DUTT GAUR
(ADVOCATE),
118 C.K. DAPHTARY
LAWYERS CHAMBERS,
SUPREME COURT OF INDIA, N. DELHI

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Karan Singh S/o Late Sh. Meer Singh R/o H. No. 10, Pana Dulan, Auchandi Road, Bawana, Delhi- 110039 do hereby disowned/Bedakhal his son Saurabh Sehrawat, his wife Smt. Pooja and their son Shaurya @ Chaitanya as they are not in under control of my client and my client has debarred and disowned them from all his moveable and immovable properties and my client have also severed all his relations with them. Anybody transacting/dealing with them in respect of anything in doing that in his/her own risk. My client shall not be responsible for the same in any manner whatsoever.

R. P. Tyagi (Advocate)
Ch. No. 48, W.Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

I hitherto known as S MANOJ alias SUNKE MANOJ AND S MAHESH RAO alias SUNKE, MAHESH RAO S/O SUNKE KOTESWARA RAO RESIDING at M-13 GREEN PARK MAIN, NEW DELHI-110016, have, changed my name and shall hereafter be known as SUNKE MANOJ and SUNKE MAHESH RAO.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किल श्रीमती बबीता पत्नी स्वर्गीय श्री खन्ना निवासी मकान नं. 16/385, आई–ब्लॉक, बापा नगर, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 ने अपने पुत्र श्री पवन व पुत्रवधु श्रीमती पिन्की@प्रियंका पत्नी श्री पवन को उसकी बात न मानने, बदतमीजी करने, झगड़ालू प्रवृति, पुत्रवधू द्वारा झूठे केसों में फंसाने की धमकी देने एवं दैनिक दुर्व्यवहार से परेशान होकर उनसे अपने तमाम संबंध विच्छेद कर लिये हैं औ उन्हें अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। उनके द्वारा किये गये किसी भी कार्य अथवा लेन–देन के लिये भविष्य में मेरी उपरोक्त मुवक्किल जिम्मेदार नहीं होगी तथा उन कार्यों के लिये वे दोनो स्वंय ही जिम्मेदार होंगे''

हस्ता./–
(DHARINI WINDLASS)
ADVOCATE
चै. नं. 447–448, वैस्टर्न विंग,
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली–54

PUBLIC NOTICE

"It is to inform to the public at large that Mr. Ram Phal acquired the property i.e Residential Property bearing No. 1/2088-D, Gali No. 20, East Ram Nagar, Ilaqa Shahdara, Delhi, vide Sale Deed dt. 03-02-1996 further Mr. Ram Phal died intestate leaving behind Mr. Narender Kr Nigam, Mr. Bhupender, Mr. Satish Chand, Mr. Sunder Kr, Mr. Vipin Kr, Mrs. Shiv Kumari, Mrs. Laxmi and Mrs. Shanti as his L'rs and further Mr. Vinod Kr became the owner vide sale deed dt.04.07.2018 and further Mr. Vinod Kr. is the undisputed owner of said property. OR Any person / firm / institution / company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share, sale, agreement, lease, license, gift, possession, legal heirs, partners or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate in writing to the undersigned within 07 days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims, if any, of such person shall be treated null and void and also treated as waived and not binding on our client.

AJAY GIRI-ADVOCATES
H.No. 12, Basement, Vikram Vihar Extn., Lajpat Nagar-4, New Delhi-24

PUBLIC NOTICE

This is to inform Genral Public at large that my client Mr. Sanjay Tyagi is intending to purchase a Flat on First Floor, Property No. H-30-C, area 206.5 Sq. Yds. Khasra No. 284/164, Block-H, Shakarpur Khas, Shahdara, Delhi-11092 from Mr. Jai Gopal who is the absolute owner in possession of aforementioned property by virtue of Relinquishment Deed dated 11/04/2018 and the same is free from all type of lien and encumbrances and is proposed to be mortgage with Hero Housing Finance.

If any person or institution have any kind of right or claim in the aforementioned property, he may contact at the address given herein under within 15 days from the date of publication of this notice.

Avnish Shukla (Advocate)
Ch. No. E 419, Karkardooma Court , Delhi 110032
Mob.9871603366, 9717476101

LOST & FOUND

NOTICE is hereby given that the following documents issued by Haryana Urban Development Authority (hereinafter referred to as the **"HUDA"**) to **CHAVAN RISHI INTERNATIONAL LIMITED**, a company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at Plot No. B-38, Institutional Area, Sector-32, Gurugram-122001, Haryana (hereinafter referred to as the **"Company"**), are misplaced and not traceable:-

1. Allotment Letter No. 6523 dated 28th June, 1995 for allotment of the Institutional Premises situated at Plot No. B-38, Institutional Area, Sector-32, Gurugram-122001, Haryana, to the Company;
2. Possession Certificate dated 16th September, 1995 w.r.t the aforesaid Premises; and
3. Occupation Certificate No. 595 dated 26th March, 2004 w.r.t the aforesaid Premises.

The Company has lodged Lost Property Report bearing application No. 132270511901210 in this regard with the Gurugram Police. Any person, who finds the above document(s), is requested to inform to the Company at B-38, Institutional Area, Sector-32, Gurugram-122001, Haryana.

मोदी छह जुलाई को वाराणसी से करेंगे भाजपा सदस्यता अभियान का आगाज

नई दिल्ली, 2 जुलाई (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छह जुलाई को वाराणसी से भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि इस दौरान पूरे देश में हर मतदान केंद्र पर कम से कम पांच पेड़ लगाए जाने चाहिए।

हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव के बाद हुई पार्टी के संसदीय दल की पहली बैठक के बारे में जानकारी देते हुए संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि नरेंद्र मोदी छह जुलाई को वाराणसी से भाजपा की सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। बैठक में मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि इस दौरान पूरे देश में हर मतदान केंद्र पर कम से कम पांच पेड़ लगाए जाने चाहिए। मोदी ने वृक्षारोपण अभियान को रामायण में उल्लेखित 'पंचवटी' का नाम दिया है। यह वह स्थान था जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास के दौरान रुके थे।

गौरतलब है कि भाजपा के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती छह जुलाई को है और नरेंद्र मोदी इसी दिन वाराणसी में पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। भाजपा अध्यक्ष शाह तेलंगाना में और अन्य वरिष्ठ नेता देश के अन्य हिस्सों में इसकी शुरुआत करेंगे।

सार्वजनिक सूचना

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री ईश्वर दत्त शर्मा पुत्र श्री हुकम चन्द शर्मा एवं श्रीमती भगवती शर्मा पत्नी श्री ईश्वर दत्त शर्मा निवासी 802, सेक्टर- 46, फरीदाबाद–121010(हरियाणा) नें अपनें पुत्र तरूण कुमार शर्मा एवं पुत्रवधु संगीता शर्मा को गलत आचरण व व्यवहार के कारण अपने समस्त पारिवारिक संबंध समाप्त कर लिये है। व अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में उनके द्वारा किये गये किसी भी कार्य व लेन–देन इत्यादि के लिये मेरे मुवक्किल व उनके परिवार के अन्य सदस्य जिम्मेदार/जबावदेह नहीं होगें।

एस. के. गुप्ता (अधिवक्ता)
चेम्बर नं. डी–209, कडकडडूमा कोर्ट, दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

**सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री बाबू लाल पुत्र श्री छित्तर सिंह व इनकी पत्नी श्रीमति उषा निवासी मकान नं० 348, गली नं० 6, मूंगा नगर, दिल्ली–110094 ने अपने

डीयू में पहली कटऑफ पर 38 फीसद दाखिले हुए

दूसरी कटऑफ मामूली घटेगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में पहली कटऑफ के आधार पर बंपर दाखिले होने के बाद कॉलेज अब दूसरी कटऑफ जारी करने में बहुत सावधानी बरतेंगे। पहली कटऑफ के आधार पर मंगलवार रात 8:25 बजे तक 23780 दाखिले हो चुके थे। इस हिसाब से डीयू में पहली कटऑफ के आधार पर 38 फीसद सीटें भर चुकी हैं। कॉलेज दूसरी कटऑफ में मामूली (0.5 से लेकर 2 फीसद तक) कमी कर सकते हैं। पहली कटऑफ के आधार पर कई कॉलेजों में सामान्य वर्ग की निर्धारित सीटों से अधिक दाखिले हो चुके हैं। ऐसे में काफी पाठ्यक्रमों की दूसरी कटऑफ जारी भी नहीं होने वाली है।

श्रीराम कॉलेज कॉमर्स (एसआरसीसी) में

दूसरी कटऑफ के आधार पर 4 से 6 जुलाई तक होंगे दाखिले

बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र में 135 सीटों पर 142 दाखिले हो चुके हैं जबकि बीकॉम ऑनर्स में 552 सीटों पर 304 दाखिले हुए हैं। हिंदू कॉलेज की ऊंची कटऑफ के बावजूद पहली ही कटऑफ पर कुल 820 सीटों पर 900 से ज्यादा दाखिले हुए। यहां 99 फीसद कटऑफ पर बीए ऑनर्स राजनीतिक शास्त्र में सामान्य वर्ग के 80 दाखिले पक्के हो चुके हैं जबकि कुल सीटें 43 हैं। इस पाठ्यक्रम में सामान्य वर्ग के लिए दाखिला बंद हो जाएगा जबकि अन्य श्रेणी के लिए दूसरी कटऑफ में मौका उपलब्ध रहेगा। हिंदू कॉलेज में कई पाठ्यक्रमों की सामान्य वर्ग के लिए दूसरी कटऑफ जारी नहीं की जाएगी।

लेडी श्रीराम कॉलेज को पहली ही कटऑफ के आधार पर 800 सीटों पर 877 से अधिक दाखिले हो चुके हैं। कॉलेज में लगभग सभी पाठ्यक्रमों में सामान्य वर्ग की सीटें भर चुकी हैं। मिरांडा हाउस में भी कई पाठ्यक्रमों में पहली कटऑफ के आधार पर ही सामान्य वर्ग की सीटें भर चुकी हैं। कॉलेज में कुल 1165 सीटें हैं और 1155 से अधिक दाखिले हो चुके हैं। सामान्य वर्ग के लिए राजनीतिक शास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास और भौतिक शास्त्र की सीटें भर चुकी हैं। आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज में 1298 सीटों पर करीब 800 दाखिले हो चुके हैं। दूसरी कटऑफ में कॉलेज 0.5 से 1 फीसद की कटौती करेगा। सामान्य वर्ग के लिए सात पाठ्यक्रमों की कटऑफ जारी नहीं की जाएगी। इसी तरह श्री अरविंदो कॉलेज में 1050 सीटों में से 405 भर चुकी है। कॉलेज दूसरी कटऑफ में सभी पाठ्यक्रमों में 0.5 से 1 फीसद की कमी करेगा।

ग्रेड पर दाखिला लेने वाले कई विद्यार्थियों का प्रवेश रद्द

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

डीयू में आंध्र प्रदेश से दाखिला लेने आए काफी विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ कॉलेजों में पहले आंध्र प्रदेश शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों को ग्रेड के आधार पर प्रवेश दे दिया गया था लेकिन अब उनमें से कई विद्यार्थियों का मंगलवार को दाखिला रद्द हो गया। डीयू का कहना है कि किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश ग्रेड या सीजीपीए के आधार पर नहीं होगा। अगर किसी का दाखिला ग्रेड पर हुआ है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।

इस कारण पहली कटऑफ में ग्रेड के आधार पर दाखिला पाने वाले विद्यार्थी प्रवेश रद्द होने पर दुखी नजर आए। छात्र कल्याण डीन प्रोफेसर राजीव गुप्ता ने कहा कि आंध्र प्रदेश शिक्षा बोर्ड से डीयू को अंकों के आधार पर अंकतालिका जारी करने का पत्र मिला है। ग्रेड के आधार पर दाखिला देने से एक विशेष राज्य के विद्यार्थियों का दाखिला ही कॉलेजों में हो रहा था। इससे अन्य विद्यार्थी दाखिले से वंचित हो रहे थे।

उपराष्ट्रपति कार्यालय पहुंचा मामला

डीयू के स्नातक पाठ्यक्रमों में आंध्र बोर्ड के विद्यार्थियों को लेकर आ रही समस्या का मामला उपराष्ट्रपति कार्यालय भी पहुंच गया। मंगलवार को डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश कुमार त्यागी और छात्र कल्याण डीन प्रोफेसर राजीव गुप्ता ने उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू से मुलाकात की। यह मुलाकात विशेष रूप से आंध्र प्रदेश शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों को लेकर ही थी।

हिंदू राव अस्पताल में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों का पर्याप्त सुरक्षा की मांग को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन जारी रहा। इससे एक दिन पहले चिकित्सकों ने निकाय अधिकारियों से मुलाकात की थी और हड़ताल पर नहीं जाने का निर्णय किया था। आरडीए के अध्यक्ष राहुल चौधरी ने बताया कि अस्पताल के आरडीए और एफओआरडीए के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ निकाय अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर जारी है। उनका हड़ताल स्थगित हुई है, आंदोलन नहीं। दरअसल शनिवार रात में यहां दो डॉक्टरों को एक मरीज के परिजनों ने पीटा था, जिसकी मौत अस्पताल में हो गई थी।

एसओएल को मिला कॉलेज का दर्जा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

डीयू की सोमवार को हुई कार्यकारी परिषद (ईसी) बैठक मंगलवार को सुबह 11 बजे तक चली। बैठक में कई महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूर किया गया जिनमें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) को कॉलेज का दर्जा देने का प्रस्ताव भी शामिल था।

इसके अलावा बैठक में डीयू में दो केंद्र सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज और स्कूल ऑफ पॉलिसी प्लानिंग एंड गवर्नेंस (एसपीपीजी) स्थापित करने को भी मंजूरी मिल गई। ईसी की बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि उत्तरी परिसर में निदेशक का पद निकाला जाएगा। नया निदेशक डीयू के उत्तरी परिसर के सभी कॉलेजों व विभागों के कामकाज को देखेगा। इसके अतिरिक्त ईसी की बैठक में यूजीसी की शर्तों को डीयू में लागू कर दिया गया है। इससे लंबे सयम से जिन शिक्षकों की पदोन्नति नई हुई थी, उनकी पदोन्नति हो हो सकेगी।

263 सहायक प्रोफेसर के लिए आवेदन निकाले

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों के लिए 263 सहायक प्रोफेसरों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक आवेदक डीयू की वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में ईडब्लूएस आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। डीयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर तरुण दास की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक विश्वविद्यालय की योजना सहायक प्रोफेसरों के खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की है। डीयू जल्द ही बाकी बचे सहायक प्रोफेसरों और प्रोफेसरों के पदों को भरने के लिए भी रिक्ति जारी करेगा। विश्वविद्यालय सभी खाली पदों को भरने की समयबद्ध कोशिश कर रहा है।

डीयू में पांच घंटे देरी से शुरू हुए खेल ट्रायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

डीयू के खेल कोटे के ट्रायल मंगलवार को करीब पांच घंटे देरी से शुरू हुए। इससे विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। डीयू की अव्यवस्था पर अभिभावकों ने रोष भी प्रकट किया।

अभिभावकों ने कहा कि डीयू ने ट्रायल के साथ यह जानकारी नहीं दी थी कि ट्रायल कब तक शुरू होगा और कब खत्म होगा। सुबह 7:30 बजे तक विद्यार्थी ट्रायल के लिए डीयू के स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में पहुंच गए थे। लेकिन उन्हें 9 बजे के बाद कॉम्पलेक्स में प्रवेश दिया गया। ट्रायल लेने कई विशेषज्ञ और अधिकारी 11 बजे के बाद आते दिखाई दिए। खेल कोटे के ट्रायल में ताइक्वोंडो में कुल 173 छात्र, 153 छात्राएं पहुंची थीं। फुटबॉल में कुल 36 छात्राएं और बॉस्केटबॉल में 290 छात्र ट्रायल देने पहुंचे थे।

HDFC
WITH YOU, RIGHT THROUGH

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली–110 067
दूरभाष: 011–41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

कब्जा सूचना

चूंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और/या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम/ऋण खाता संख्या	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
1.	श्री अमित कुमार जौहरी ऋण खाता सं. 608078287	30–सितम्बर–18* को बकाया रु. 18,87,426/– (केवल अठारह लाख सत्तासी हजार चार सौ छब्बीस रुपए)	29–अक्टूबर –2018	27–जून –2019 (भौतिक)	फ्लैट नं. 453, दूसरी मंजिल, जन्ता फ्लैट, कैटेगिरी–ई, फेज–II, ग्रुप–3, डीडीए द्वारका, सैक्टर 16–बी, द्वारका, नई दिल्ली और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उपार्जित जैसा भी लागू अनुसार आगे ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागतें, प्रभार आदि के साथ।
हालाँकि, चूँकि यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदार बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए विशेषकर उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारियों ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का **भौतिक कब्जा** अपने पास ले लिया है।
विशेषकर यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्ज़दारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के बंधक के अधीन होगा।
अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्ज़दारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकृष्ट/आमंत्रित किया जाता है/जाते हैं।
लिखित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और कथित कर्ज़दारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों से अनुरोध है/हैं कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर लें।

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 02.07.2019
कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
ह0/–
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय: रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई–400 020

Bank of Baroda (A Govt. Of India Undertaking) **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (भारत सरकार का उपक्रम)

ई–नीलामी सूचना

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 23.07.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

कर्जदार / गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि	ई–नीलामी की तारीख एवं समय	बकाया राशि धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख	सम्पत्ति का निरीक्षण करने की तिथि व समय
मैसर्स एम के ओवरसीज प्रा. लि. (सीआईएन U25209DL 1987PTC029976) कर्जदार/ गारंटर: 1. श्री मो. कामिल 2. श्रीमती नासिरा बेगम 3. श्री मोहम्मद मोशिन 4. श्री मोहम्मद ज़ाकी 5. श्री मोहम्मद साबिर 6. श्री शकील अहमद	व्यसायिक सम्पत्ति जोकि प्लॉट नं. 5, ब्लॉक–205ए, फॉयर ब्रिज लेन, जिसे 20, फॉयर ब्रिज लेन कहते है, नई दिल्ली–110001 में स्थित, क्षेत्रफल 929 वर्ग गज, यह सम्पत्ति मो. कामिल (गारंटर) के नाम पर है।	₹ 101.05 करोड / ₹ 10.11 करोड / ₹ 5.00 लाख	23-07-2019 को अपॉ॰ 01.00 बजे से अपॉ॰ 03.00 बजे तक	08.10.2018 रु. 229.74 करोड़ दिनांक 08-09-2018 से प्लस ब्याज एवं प्रभार इत्यादि	19-07-2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपॉ॰ 04.00 बजे तक
	व्यसायिक सम्पत्ति जोकि प्लॉट नं. 8, ब्लॉक–205ए, फॉयर ब्रिज लेन, जिसे 14, फॉयर ब्रिज लेन कहते है, नई दिल्ली–110001 में स्थित, क्षेत्रफल 1012 वर्ग गज, यह सम्पत्ति मैसर्स एम के ओवरसीज़ प्रा. लि. (कर्जदार) के नाम पर है।	₹ 120.46 करोड / ₹ 12.05 करोड / ₹ 5.00 लाख	23-07-2019 को अपॉ॰ 01.00 बजे से अपॉ॰ 03.00 बजे तक		19-07-2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपॉ॰ 04.00 बजे तक

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 22-07-2019

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार — नोट: आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।

ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें

यह बिक्री निम्न नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।
1. नीलामी–सह–बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई–नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
2. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई–नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
4. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम् इन्क्रीमेन्टल राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
5. 10% धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधोलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/निधि अंतरण द्वारा किया जाएगा– खाता का नाम– प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एआरएम शाखा, नई दिल्ली, खाता नं. 00950200000743, आईएफएससी कोड: BARB '0' CONNAU (जहां '0' शून्य है।)
6. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों को अपलोड करें:
क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण **की स्व: प्रमाणित प्रति**। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पास्वर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
7. **इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे** मैसर्स ई–प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि, बी –704–5 वॉल स्ट्रीट–II, ओरिएंट क्लब के विपरीत गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, सम्पर्क व्यक्ति श्री राम शर्मा, **06351896834** ईमेल **delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net** श्री नितिश झा– **7982880393,** हैल्पलाईन नं. **079-61200595/520/548.** हैल्पलाईन ई–मेल **support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बधित किसी भी पूछताछ के लिए आप प्राधिकृत अधिकारी श्री वाई.पी. चावला, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जेडओएसएआरबी, टेली नं. 011-23441330, मो. नं. 9584317482, ईमेल: armdel@bankofbaroda.com से किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।**
8. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पास्वर्ड एवं एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा। प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुन:, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
9. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
10. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
11. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई–नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
12. यहां ऊपर क्रम सं. 10 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
13. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
14. सभी सांविधिक देयताओं/ एटेन्डेन्ट चार्जेज/ पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
15. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
16. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई–नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
17. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई–नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
18. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।
19. ई–नीलामी से सम्बंधित जानकारी ई–नीलामी टैब **(http://www.bankofbaroda.com/e-auction.htm)** के तहत बैंक की वेब साइट के होम पेज पर उपलब्ध है।
20. किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी नोटिस अंतिम माना जायेगा।
बैंक, यदि उपयुक्त समझे, किसी एक या अधिक संपत्तियों के लिए बोली कर सकता है। बोलीदाता स्वंय के हित में अंतिम मिनट तथा सैकंड्स की बोली से बचें। न ही बैंक अथवा सेवा प्रदाता किसी व्यवधान/ चूक (पावर फैल्यौर, इंटरनेट फैल्योर आदि) के लिए वेंडर की ओर से उत्तरदायी नहीं होंगे। इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सभी आवश्यक व्यवस्था/ विकल्पों जैसे पावर बैक अप आदि सुनिश्चित कर लें ताकि वे इस प्रकार की आकस्मिकताओं से बच सकें तथा सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज (सीसीए) द्वारा निर्गत नए इंटरपैरैबिलिटी गाइडलाइन्स के अनुसार ई–प्रापण अनुप्रयोग के लिए सिक्योर्ड सॉकेट लेयर (एसएसएल) प्रमाण पत्र एन नए एल्गोरिथ्म, SHA 2 पर निर्मित किया जाता है। साथ ही, इन प्लेटफार्म के लिए लागू होने वाले डिजीटल प्रमाण पत्र SHA 2 पर एल्गोरिथ्म अनुपालन होना चाहिए। इसके लिए यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके संबंधित पीसी/ लैपटॉप में विंडोज XP (SP 3)/ विंडोज विस्टा/ विंडोज 7 संस्थापित हो। विंडोज XP सर्विस पैक–3 के मामले में यदि आपको कोई ईस्यु मिले, आप एसएसएल पैच संस्थापित कर सकते हैं जो हमारी ई–नीलामी पोर्टल के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है।

ऋणधारक/ गारंटर/ मार्टगेजर के लिए 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणधारकों/ गारंटरों को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व संपूर्ण अद्यतन ब्याज सहित उपरोक्त राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ऋणधारकों/ गारंटरों से ब्याज तथा लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

दिनांक : 03.07.2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

आयकर विभाग

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX (JUDICIAL)

ROOM NO. 162-A, C.R. BUILDING, NEW DELHI
Phone & Fax: 23379308, Email: delhi.cit.judicial@incometax.gov.in
F. No. CIT (Judl.)/NCLT Matter/2019-20/341 — Dated the 2nd July, 2019

NOTICE REGARDING HEARING OF CASES IN NCLT MATTERS

Notice is hereby given to the following companies and their Directors for neccessary compliance in respect of NCLT matters/cases, pertaining to revival of these companies, which are fixed for hearing before Hon'ble National Company Law Tribunal, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi on dates as mentioned in column no. 4 in the table below:-

Sl. No.	Case No. & Case Title	Names of Directors and their DIN if available	Next date of Hearing
1	Appeal No. 259/252/ND/2019 Income Tax officer Ward 24(2), New Delhi Vs. ROC (Sri Radha Madhav Estates Pvt. Ltd. PAN: AAACS35861.)	1. Mahender Singh Khushwha (DIN: 00470017) 2. Pramod Sharma (DIN: 01550642) 3. Rajan Shukla (DIN: 02460259)	05.07.2019
2	Appeal No. 1185/252/ND/2018 Income Tax Officer Ward 19(2) V. ROC (M/s PISF Security Services Pvt. Ltd. PAN: AADCP3245Q)	1. Ramanuj Tiwari (DIN: 02070179) 2. Jitendera Tiwari (DIN: 03421234)	10.07.2019
3	Appeal No. 1182/252/ND/2018 Income Tax Officer Ward 19(2) V. ROC (M/s PMV Placement Consultancy Pvt. Ltd. PAN: AAECP5651R)	1. Manish Agarwal DIN: 02040986 2. Pranticka Mazumdar DIN: 02041215	10.07.2019
4	Appeal No. 1129/252/ND/2018 Income Tax Officer Ward 27(3) V. ROC (M/s Wincom Impex Pvt. Ltd. PAN: AAACW9750A)	1. Arvinder Singh DIN: 03081422 2. Poonam Kanojia DIN: 03150544	10.07.2019
5	Appeal No. 994/252/ND/2018 Income Tax Officer, Ward 3(4) V. ROC (M/s Austaras Industries Pvt. Ltd. PAN: AAFCA8455M)	1. Nidhi Bansal DIN: 00377031 2. Andrea Fontana DIN: 01172825 3. Oriello Fontana DIN: 01191556	10.07.2019
6	Appeal No. 1178/252/ND/2019 Dy. Commissioner Of Income Tax, Circle-16(1), New Delhi V ROC (M/s MA capital Constructions Pvt. Ltd. PAN: AAHCM2521K)	1. Mohd. Afaque Siddiqui DIN: 03529752 2. Mushtaque Ahmed DIN: 03529759	15.07.2019
7	Appeal No. 126/252/ND/2019 Income Tax Officer, 7(3), New Delhi V. ROC (M/s Dillon Corporate Management Services Pvt. Ltd. PAN: AACCD1681P)	1. Sharon Henderson DIN: 01239852 2. Steven John Henderson DIN: 01239853	17.07.2019
8	Appeal No. 1204/252/ND/2018 Income Tax Officer Ward 27(3) V. ROC (M/s Wizard Developers Private Limited PAN: AAACW8137H)	1. Rakesh Verma DIN: 02677766 2. Yogesh Bansal DIN: 03257411	17.07.2019
9	Appeal No. 248/252/ND/2019 Income Tax Officer 6(2), New Delhi v. ROC (M/s Competent Infra Engineers Pvt. Ltd. PAN: AADCC7388P)	1. Mahesh Chand DIN: 02653281 2. Mohammad Lukman DIN: 02654943	18.07.2019
10	Appeal No. 198/252/ND/2019 Income Tax Officer Ward 25(3) V. ROC (M/s Tintin Infrastructures Private Limited PAN: AADCT3390C)	1. Vishal Anand DIN: 02059506 2. Prateek Gandhi DIN: 03082780	22.07.2019
11	Appeal No. 127/252/ND/2019 Income Tax Officer 19(4), New Delhi v. ROC (M/s Pevonia Wellness India Pvt. Ltd. PAN: AAFCP9388J)	1 Fatehjung Harjit Singh DIN: 00636585 2. Jasmin fatehjung Singh DIN:02261938	24.07.2019
12	Appeal No. 99/252/ND/2019 Income Tax Officer Ward 19(1) V. ROC (M/S Octopus Ispat Pvt. Ltd. PAN: AABCO3446J)	1. Deepak Kumar DIN: 01429021 2. Promod Kumar DIN :01429038	24.07.2019
13	Appeal No. 1071/252/ND/2

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	39.4 डि.से.	39.4 डि.से.	39.5 डि.से.	39.7 डि.से.
न्यूनतम	30.0 डि.से.	30.0 डि.से.	30.0 डि.से.	30.0 डि.से.

खबरों में शहर

इस्तीफे से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता पेड़ पर चढ़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़े राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी का एक कार्यकर्ता मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खुदकुशी की धमकी देते हुए पेड़ पर चढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हनीफ खान नामक यह कार्यकर्ता 'राहुल प्रियंका गांधी सेना' नामक संगठन से भी जुड़ा हुआ है।

मित्राऊं गैंगवार में पांच लोग घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

द्वारका जिले के बाबा हरिदास नगर इलाके स्थित मित्राऊं गांव में सोमवार देर रात एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के पांच लोगों पर दनादन गोलियां चलाकर घायल कर दिया। गोलियों के साथ पत्थर और डंडों से भी हमले किए गए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। मंगलवार को पुलिस ने दबिश देते हुए एक आरोपी विजेद्र सिंह को गिरफ्तार कर बाकी की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। विजेंद्र नजफगढ़ के मित्राऊं गांव का ही रहने वाला है।

'नई शिक्षा नीति में स्कूलों की स्वायत्तता पर हमला'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

नई शिक्षा नीति में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की रूपरेखा पर कम शुल्क वाले बजट निजी स्कूलों ने एतराज जताया है। देश भर के बजट निजी स्कूलों के अखिल भारतीय संगठन नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (निसा) ने कहा कि शिक्षा नीति के मसविदे में जो एसएमसी की रूपरेखा तय की गई है, वह सीधे तौर पर स्कूलों की स्वायत्तता पर हमला है।
नई शिक्षा नीति की खामियों को रेखांकित करने के लिए निसा के बैनर तले विभिन्न राज्यों के स्कूल संगठन प्रेस क्लब में जुटे। निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के वर्तमान मसविदे में नए प्रावधानों के तहत एसएमसी में जनप्रतिनिधियों की भूमिका तो होगी, लेकिन स्कूल प्रबंधकों की भूमिका सीमित होगी।

संसद में उठी चांदनी चौक को सहेजने की मांग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

भाजपा सांसद विजय गोयल ने 370 साल पुराने चांदनी चौक की हालत सुधारने की मांग करते हुए मंगलवार को कहा कि समय रहते कदम न उठाने पर गंगा जमुनी तहजीब की यह अनूठी नजीर दम तोड़ देगी। राज्यसभा में शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए भाजपा सदस्य गोयल ने कहा कि 370 साल पुराना चांदनी चौक आज दम तोड़ रहा है।

ट्रेन रोकने के मामले में पूर्व विधायक समेत सात बरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

दिल्ली की एक अदालत ने 2010 में 'भारत बंद' के दौरान अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने के आरोप में भाजपा के पूर्व विधायक और सात अन्य को मंगलवार को बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि अभियोजन का मामला खोखला था जिस वजह से वह संदेह के दायरे से परे जाकर मामले को साबित नहीं कर पाया। अदालत ने कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक अनिल झा की पहचान के सिवाय किसी भी अन्य आरोपी की पहचान संदेह से परे जाकर साबित नहीं हो पाई। इसलिए अन्य आरोपियों को इस आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

प्रदर्शन करेंगे सेवानिवृत्त डीवीबी कर्मचारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) के पूर्व कर्मचारी बुधवार को आइटीओ पर प्रदर्शन करेंगे। ये कर्मचारी आइटीओ पर एकत्र होंगे और कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय तक जाएंगे। संस्था के संयोजक सुनील गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पेंशन सरचार्ज को खत्म किया गया था। इस वजह से कर्मचारियों को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। सभी कर्मचारी बुजुर्ग हैं। अब तक किसी भी सरकार ने सुनवाई नहीं की है। कर्मचारियों वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है।

स्कूटी चालक को मिनी बस ने मारी टक्कर, मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

केशवपुरम इलाके में मंगलवार सुबह एक स्कूटी सवार को मिनी बस चालक ने टक्कर मार दी। इसमें स्कूटी सवार 60 साल के रामकुमार की मौत हो गई। वह परिवार के साथ रामपुरा त्रिनगर इलाके में रहते थे। मंगलवार को वह स्कूटी से अकेले घर से अशोक विहार किसी काम से जा रहे थे।

पानी बचाने को दिल्ली सरकार की पहल

यमुना किनारे बनाएंगे तालाब

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

यमुना किनारे वजीराबाद से पल्ला तक 20 किलोमीटर में दिल्ली सरकार इको फ्रैंडली तरीके से पानी बचाएगी। इसके लिए जगह-जगह खुदाई करके बड़े जलाशय बनाए जाएंगे। योजना को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेसवार्ता में बताया कि इन जलाशयों के लिए दिल्ली सरकार किसानों को किराया भी देगी। इसके लिए एक विशेष समिति बनाई है, जो अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की चाहिए इसलिए उनको भी अवगत कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पानी की भारी कमी है और लड़ाईयां हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भूजल स्तर भी गिरता जा रहा है। गिरते जलस्तर को थामने के लिए यह योजना बनाई गई है। योजना से मानसून में यमुना के क्षेत्र में पानी को एकत्र किया जाएगा और भूजल स्तर

को गिरने से रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके परिणामों के आधार पर पानी की क्षमता को एकत्र करने का पता चलेगा। आइआइटी व अन्य विशेषज्ञों की रिपोर्ट बताती है कि यमुना बैराज के साथ वाले इस हिस्से में बर्बाद हो जाने वाले पानी को रोककर गिरते जलस्तर को बचाया जा सकता है। इसके लिए नदी के साथ छोटे-छोटे तलाब बनाए जाएंगे। इस क्षेत्र में 25-30 दिन तक मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी उपलब्ध होता है। जो एक प्राकृतिक जलाशय की तरह है। इस 20 किलोमीटर के मार्ग में नदी की चौड़ाई 3 किमी तक है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में केंद्र सरकार का रुख भी सकारात्मक है। इसलिए जल्द ही योजना को लागू करने की अनुमति मिल जाएगी। अभी यह जमीन किसानों के पास है। किराया निर्धारण के लिए पांच अधिकारियों की समिति बनाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जल संचयन की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्रीय जल आयोग व अपर यमुना बोर्ड को मसविदा भेजा गया है। इस योजना में करीब 50 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है।

'सड़कों पर नहीं भरेगा पानी'

बारिश के दौरान में पीडब्लूडी की सड़कों पर पानी नहीं भरेगा। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेसवार्ता में यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी नालों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया है। नालों में जाली लगाई जा रही है। एनजीटी ने इस बाबत आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की सभी भवनों में बारिश से पहले भूजल संचयन की व्यवस्था की जाएगी।

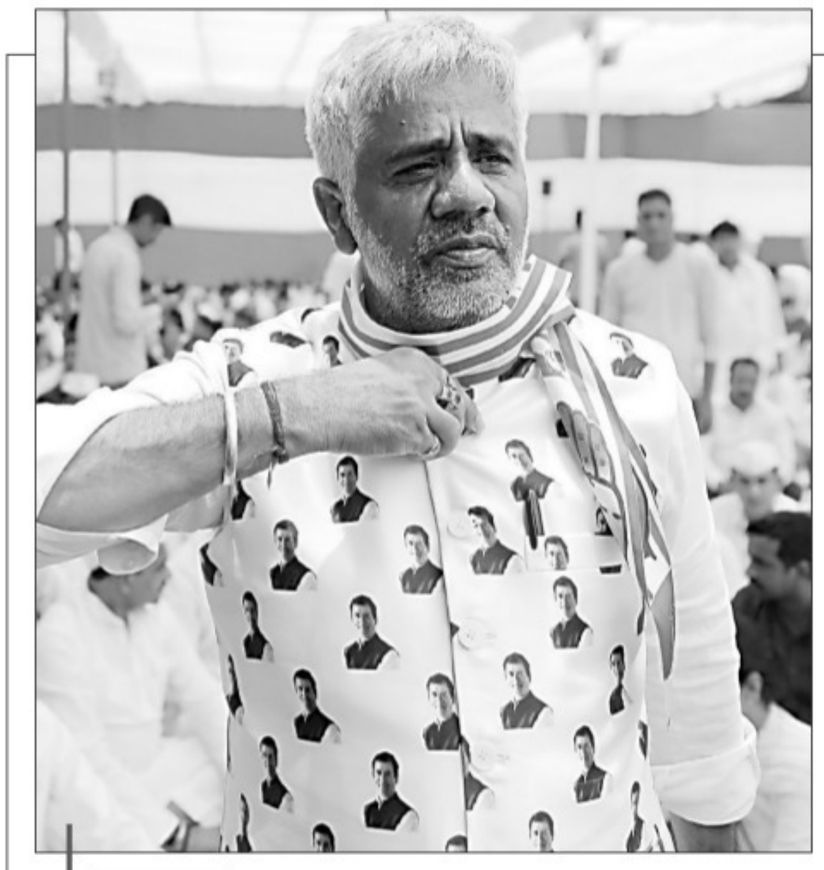

मांग राहुल गांधी से इस्तीफा वापस लेने की मांग करते हुए कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन किया। फोटो : आरुष चोपड़ा।

गरमी से टूटे बिजली के सारे रेकॉर्ड, मांग 7400 मेगावॉट पार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

गर्म हवाओं और उमस से बचने के लिए दिल्ली वाले एससी, कूलर व पंखों का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बिजली की मांग हर दिन नया कीर्तिमान बना रही है। सोमवार को बिजली ने 7241 मेगावॉट का सर्वाधिक मांग का रेकॉर्ड कायम किया था। वहीं, मंगलवार को बिजली की मांग में 168 मेगावॉट का इजाफा दर्ज किया गया है। यह दिल्ली के बिजली रेकॉर्ड के इतिहास में सबसे अधिक मांग है। इस साल गर्मियों में सरकार और बिजली कंपनियों ने करीब 7400 मेगावॉट तक मांग होने का अनुमान लगाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मांग के बाद दिल्ली में बिजली प्रबंधन पर अपनी पीठ थपथपाई है। बिजली वितरण कंपनियों का तर्क है कि एसी, कूलर व पंखे की वजह से एक सामान्य घर की खपत में करीब 50 फीसद तक का इजाफा हुआ है। उधर, टीपीडीडीएल के सीईओ संजय बग्गा का कहना है कि इस बार बिजली की मांग अधिक होने के पूर्वानुमान पहले ही सामने आ रहे थे।

केजरीवाल की तारीफ पर तिवारी ने दिखाया आईना

दिल्ली में बिजली की बढ़ती मांग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली सरकार की व्यवस्था की तारीफ की। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने उनकी इस टिप्पणी को दिल्ली वालों के साथ धोखा बताया।

हर्षवर्धन ने किया दौरा, विहिप ने शुरू की पैरवी

हौज काजी मामला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

पुरानी दिल्ली के लालकुआं इलाके में उपजे सांप्रदायिक विवाद को लेकर गतिविधियां मंगलवार को पल-पल बदलती रहीं। हौज काजी थाना क्षेत्र का यह इलाका तनावपूर्ण बना रहा। सुबह जहां केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने इलाके का दौरा किया। वहीं दोपहर बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक से मिले। पुलिस ने भी एक नाबालिग समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद यहां की कुछ दुकानें खुल गईं लेकिन स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है। इलाके में किसी तरह की कोई हिंसा न हो इसे लेकर पुलिस का बंदोबस्त मंगलवार को भी किया गया। हौज काजी थाना इलाके के इस मोहल्ले में स्कूटी पार्किंग को लेकर शुरू हुए विवाद को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के आरोप में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को तीन लोगों को पकड़ा। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों का ब्योरा अधिकारिक तौर पर नहीं दिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सीसीटीवी देखकर मामले में कार्रवाई की गई। कानून व्यवस्था खराब करने वाले लोगों की पहचान अभी भी जारी है। पुलिस का कहना है कि शराब के नशे में धुत कुछ लड़कों की मारपीट से शुरू हुए इस बवाल को धार्मिक रंग देने की हर नापाक कोशिश से कड़ाई से निपटा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नही जाएगा। दोपहर बाद विहिप के आलोक कुमार की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक से मुलाकात की। धर्म स्थल के तोड़फोड़ में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग भी की।

धर्म स्थल पर तोड़फोड़ की कांग्रेस ने की निंदा

कांग्रेस ने विवाद के बाद एक धर्म स्थल में कथित तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की और इसे शर्मनाक करार दिया। पार्टी ने कहा कि राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भाजपा की अगुआई वाली केन्द्र सरकार की है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली के लोगों को कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और शांति बनाए रखें। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा- दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है और भाजपा की जिम्मेदारी है।

दो टावरों के बीच फंसा युवती का शव निकाला गया

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 2 जुलाई।

शहर की पॉश सोसायटी में शामिल सेक्टर-76 के आम्रपाली सिलिकॉन सिटी के दो टावरों के बीच में 12वीं मंजिल पर फंसा युवती का शव सड़ी गली हालत में मंगलवार सुबह मिला।

आशंका है कि युवती की हत्या कर शव को 18वीं मंजिल से तार के जरिए दोनों टावरों के बीच के हिस्से में डालने की कोशिश की गई जो 12वीं मंजिल पर बने स्लैब पर आकर अटक गया। स्लैब में फंसे शव के सड़ने की बदबू आने पर सोसायटी में रहने वालों को पता चला। देर शाम उसकी शिनाख्त 19 वर्षीय सोनामुनी के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे सोसायटी के सी टॉवर के लोगों ने बदबू फैलने पर अपने

बालकनी से शव को नीचे उतारते एनडीआरएफ कर्मी

निजी सुरक्षाकर्मियों को सूचना दी। सी टॉवर में 12वीं मंजिल पर रहने वालों को सबसे ज्यादा बदबू आ रही थी। इसी मंजिल पर सी-1207 में रहने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी जेपी मिश्रा ने बताया कि सुरक्षाकर्मी के साथ जब वह 17वीं मंजिल की छत पर गए, तो उन्हें सी और डी टॉवर के बीच करीब एक फुट के दायरे में एक महिला शव 12वीं मंजिल की स्लैब पर पड़ा दिखाई दिया। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शव की हालत बुरी होने से उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके बाद एनडीआरएफ को सूचना दी गई। एनडीआरएफ के दस्ते ने एक फ्लैट की दीवार काटकर शव को बालकॉनी में रख लिया। इसके बाद शव को स्ट्रैचर से बांधकर रस्सी के जरिए नीचे उतारा। करीब तीन बजे शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। बिहार के मधेपुरा की रहने वाली सोनामुनी 28 जून से लापता थी।

- हत्या की आशंका, देर शाम 19 वर्षीय मृतका की हो सकी पहचान

बाइक टैक्सी की तीसरी कंपनी 50 करोड़ रुपए लेकर भागी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 2 जुलाई।

'बाइक बोट' और 'बाइक फॉर यू' की तर्ज पर बाइक यात्रा एमआइटी नाम की तीसरी कंपनी की भी ठगी की खबर आई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के आसपास शहरों के साथ कई शहरों के हजारों निवेशकों को रकम दोगुना करने का झांसा देकर करीब 50 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी की गई है। ठगी करने के बाद कंपनी ऑफिस पर ताला लगाकर फरार हो गई।

पीड़ित एक निवेशक की शिकायत पर कंपनी के एमडी, निदेशक सहित छह आरोपियों के खिलाफ थाना सेक्टर-58 ने मामला दर्ज किया गया है। अपनी शिकायत में गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी निवासी रामेश्वर सिंह ने बताया कि सेक्टर-62 में बाइक यात्रा एमआइटी के नाम से कंपनी का ऑफिस है। 2018 में बाइक टैक्सी चलवाने वाली कंपनी के ऑफिस में एमडी राजेश खंडेलवाल, कपिल धामा, निदेशक नितिन त्यागी, आलम, पुष्पेंद्र व शुभम चौधरी से मुलाकात की थी। उन्होंने रामेश्वर को बताया कि कंपनी बाइक टैक्सी चलवाती है। कंपनी निवेशकों से 62 हजार 100 रुपए प्रति मोटर साइकिल के हिसाब से जमा करेगी। इसके एवज में हर महीने 10 हजार 100 रुपए निवेशक को वापस दिया जाएगा। रामेश्वर का आरोप है कि कंपनी ने कुछ महीने तक ही उन्हें रुपए दिए। फिर बंद कर दिए।

मोबाइल नंबर से चोरी की गाड़ी बेचने और पंजीकरण पर लगेगी रोक

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 2 जुलाई।

यदि परिवहन विभाग की योजना सफल रही तो फर्जी एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) के जरिए चोरी की गाड़ी को दूसरे के नाम से पंजीकृत कराने, बेचने या ट्रांसफर करने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।

इसके लिए विभाग वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजकर सत्यापन करेगा। माना जा रहा है कि ओटीपी मिलने से गाड़ी का असली मालिक सतर्क हो जाएगा और चोरी की गाड़ियों के पंजीकरण पर रोक लग सकेगी। योजना को सफल बनाने के लिए वाहन मालिक के मोबाइल नंबर समेत अन्य ब्योरा ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है।

सेक्टर- 33 स्थित परिवहन कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, गाड़ी का ट्रांसफर, पंजीकरण, लोन, फिटनेस, कर जमा कराने आदि से संबंधित कार्यों के लिए विभाग ओटीपी तैयार करेगा। यह ओटीपी तुरंत ही वाहन मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पहुंचेगा। पासवर्ड पर वाहन मालिक की सहमति के बाद ही आगे की कार्यवाही पूरी की जा सकेगी। ओटीपी के जरिए चोरी के वाहनों के पंजीकरण, ट्रांसफर और बिक्री आदि पर रोक लगाई जा सकेगी।

कक्षा निर्माण के मामले में तेज हुए हमले

भाजपा पुलिस तक पहुंची और 'आप' ने खोली निगमों की फाइल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई

भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की ओर से निर्माण को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां स्कूलों के कक्षा निर्माण से जुड़े कथित घोटालों के आरोपों की जांच के लिए मंगलवार को भाजपा नेताओं ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा को जवाब देने के लिए नगर निगमों में भी निर्माण से जुड़ी गड़बड़ी की फाइल मीडिया के सामने खोल दी है।

भाजपा

भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना व मीडिया विभाग के प्रमुख नीलकांत बक्शी ने नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त को शिकायत सौंपी है। शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 12748 कक्षाओं का निर्माण ऊंची दरों पर कराया है। इस कक्षाओं के निर्माण के लिए 2892.65 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस प्रकार निर्माण के लिए दिल्ली सरकार ने 8800 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान किया है। जबकि सामान्य तौर पर 1500 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से निर्माण होता है।

आप

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निगम में किए जा रहे निर्माण कार्य का दस्तावेज जारी करते हुए मंगलवार को भाजपा से जवाब मांगा। दस्तावेजों के मुताबिक निगम ने 24.97 लाख रुपए की लागत से एक कमरे का निर्माण किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के आरोपों के बाद सभी कागजातों की जांच की थी। इसके बाद हमें निगम के भी कागज मिले हैं। इन कमरों के निर्माण के लिए अनुमानित लागत 10.73 करोड़ रुपए बताई है। कमरे के हिसाब से ये 24 लाख 95 हजार की कीमत आती है।

सामने आई शीला और चाको की कलह

खतों में जाहिर हो रहा एक-दूसरे का मनभेद

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

लोकसभा चुनाव की हार से सबक लेकर विधानसभा की चुनावी तैयारियों में जुटने की जगह कांग्रेसी एक-दूसरे की टांग खिंचाई में मुस्तैदी से भिड़े हैं। दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित के खेमे आमने-सामने हैं और अब चिट्ठियों के मार्फत एक-दूसरे को घेरने में जुटे हैं। चाको ने दीक्षित को पत्र भेजकर 280 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को हटाने का औचित्य जानना चाहा तो दीक्षित ने उन्हें जवाब देने के बदले सीधे

पीसी चाको की चिट्ठी का जवाब न देकर शीला दीक्षित ने राहुल को लिखी चिट्ठी

पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी भेजकर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली कांग्रेस के पुनर्गठन की इजाजत मांगी और उस पत्र की प्रति मात्र चाको को भेज दी। 28 जून को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दिल्ली के कांग्रेस नेताओं की मुलाकात के तुरंत बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने दिल्ली के सभी 280 ब्लॉक अध्यक्षों की छुट्टी कर दी। इस पर चाको ने कहा कि यह फैसला बगैर उनकी जानकारी के लिया गया है। बाद में उन्होंने दीक्षित के इस आदेश को स्थगित करने की घोषणा कर दी।

प्रेसवार्ता में न शीला आईं और न ही उदितराज

प्रदेश कांग्रेस में मंगलवार को उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित व पूर्व सांसद उदितराज की प्रेस वार्ता में ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में न दीक्षित पहुंचीं और न ही उदितराज। दरअसल, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद उदितराज के कुछ समर्थकों को मंगलवार को कांग्रेस में शामिल कराया जाना था। इस संबंध में पूछने पर प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र कोचर ने कहा कि उन्हें ठीक ठीक नहीं पता कि उदितराज समर्थक क्यों नहीं पहुंच पाए।

जेवर हत्याकांड में बावरिया गिरोह का बदमाश गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 2 जुलाई।

एसटीएफ नोएडा की टीम ने बावरिया गिरोह के कुख्यात बदमाश और 50 हजार रुपए के इनामी मोनू बावरिया उर्फ कन्हैया को सोमवार रात जेवर इलाके से गिरफ्तार किया। आरोपी जेवर बलात्कार और हत्याकांड में करीब दो साल से वांछित था। आरोपी के कब्जे से तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। मोनू जिस गिरोह से जुड़ा है, वह डकैती सहित हत्या और सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर लूट की वारदातों को अंजाम देता है। एसटीएफ के क्षेत्राधिकारी राजकुमार मिश्रा के मुताबिक वांछित अपराधियों के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिरों से सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं।

बच्ची से बलात्कार के बाद जयपुर में तनाव, 13 इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 2 जुलाई।

जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में बच्ची से बलात्कार की वारदात के बाद मंगलवार को इलाके में भारी तनाव के हालात बन गए। गुस्साए लोगों ने घरों पर पथराव किया और वाहनों में तोड़फोड़ की। शहर में तनाव की आशंका को देखते हुए 13 थाना इलाकों में बुधवार दोपहर तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इन इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

जयपुर पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार रात आठ बजे के करीब एक युवक ने घर के बाहर खड़ी बच्ची को उसके पिता का दोस्त होने की बात कह कर अपने साथ ले गया। युवक ने पास के ही एक नाले में ले जाकर बच्ची के साथ बलात्कार किया और बाद में उसे अचेत अवस्था में उसके घर के पास छोड़ गया। घर वालों ने बच्ची को बेहोशी की हालत में देखा तो उसे पास के सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बच्ची की हालत गंभीर देख उसे शहर के एक बड़े अस्पताल में भेज दिया।

घटना की जानकारी मिलने पर रात को ही बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में जमा हो गए। संबंधित इलाका शहर का संवेदनशील क्षेत्र है। इस घटना को लेकर दो समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए। मंगलवार को दिन भर बच्ची की मौत सहित कई अफवाहें सोशल मीडिया पर चलती रहीं। इसे रोकने के लिए संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने शहर के 13 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी कर दिए। पुलिस का कहना है कि मंगलवार को दो बार पथराव की घटनाएं हुईं और वाहनों में तोडफोड़ की गई। पुलिस ने पथराव कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियां भी बरसाई। भीड़ ने घरों में घुस कर लोगों से मारपीट भी की।

स्थानीय विधायक और प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्षेत्र का दौरा कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने अस्पताल में जाकर पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों से मुलाकात भी की। खाचरियावास ने कहा कि बच्ची अब ठीक है और उसका उपचार जारी है। उन्होंने बच्ची की मौत की बात को कोरी अफवाह करार दिया और पुलिस को ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी।

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक को बच्ची का निशुल्क उपचार करने का निर्देश दिया है। पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव का कहना है कि पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं।

बच्ची से बलात्कार के आरोप में बैतूल का पार्षद गिरफ्तार

बैतूल (मध्य प्रदेश), 2 जुलाई (भाषा)।

एक बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में बैतूल नगरपालिका के निर्दलीय पार्षद राजेंद्र सिंह चौहान उर्फ केंडू बाबा को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बैतूल के गंज पुलिस थाने के सहायक उपनिरीक्षक जुगल किशोर ने मंगलवार को बताया कि जवाहर वार्ड के पार्षद केंडू बाबा (59) के खिलाफ बालिका के साथ बलात्कार करने के आरोप में गंज पुलिस थाने में रविवार को मामला दर्ज किया गया था।

थोराट बन सकते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष

मुंबई, 2 जुलाई (भाषा)।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बालासाहेब थोराट, अशोक चव्हाण की जगह महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष बनने वाले हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

चव्हाण ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस के बदतर प्रदर्शन के बाद पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंपा था।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

Circle Office South Delhi

सार्वजनिक सूचना

पंजाब नैशनल बैंक के समस्त ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि हमारी **नेहरू प्लेस, नई दिल्ली शाखा** की चेक डिपॉजिट मशीन मे शनिवार, 29.06.2019 दोपहर 3 बजे से 01.07.2019 प्रातः 9 बजे के पहले तक जमा किए गए चेक चोरी हो गए हैं। जमा किए गए चेकों की सूची बैंक के पास उपलब्ध नहीं होने के कारण सभी ग्राहकों से आवेदन किया जाता है कि उपर्युक्त समय के बीच जमा किए गए चेकों की स्टॉप पेमेंट करवा दें।

इस सन्दर्भ में **शाखा प्रबन्धक से 8130694821** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

दिनांक : 01-07-2019, स्थान : दिल्ली — मुख्य प्रबंधक

सूरज इंडस्ट्रीज लि.

सिन: L26943HP1992PLC016791

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट न.2, फेस 3, संसारपुर टैरेज, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-173212
कार्पोरेट कार्यालयः एफ-32/3, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110020
ईमेल- secretarial@surajindustries.org; वेबसाइट- www.surajindustries.org, फोन: 01970-256414

27वीं सालाना साधारण बैठक, बही बंदी व रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

एतत् द्वारा सूचित किया जा रहा है कि **मै0 सूरज इण्डस्ट्रीज लि0** के सदस्यों की 27वीं सालाना साधारण बैठक, **शनिवार 27 जुलाई, 2019 को दोपहर 2:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, प्लॉट न0 2, फेस-III संसारपुर टैरेस, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-173212** में होगी जिसके विषय में सूचना सभी सदस्यों को अलग से 02 जुलाई, 2019 को वर्ष अंत 31 मार्च, 2019 की सालाना रिपोर्ट के साथ भेज दी गई है जो कि कम्पनी की वेबसाईट **www.surajindustries.org** और सीडीएसएल की वेबसाईट **www.evotingindia.org** पर भी उपलब्ध है।

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 42 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स कंपनी की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के उद्देश्य से सोमवार, 22 जुलाई, 2019 से शनिवार, 27 जुलाई, 2019 (दोनों दिन समावेशी) तक बंद रहेगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनीज (प्रबंध व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीबद्धता कृर्तव्यता तथा उल्लेख आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों हेतु विद्युतीय, मतदान कार्य प्रक्रिया प्रणाली का उपयोग करते हुए वार्षिक साधारण बैठक (दूरस्थः ई-मतदान कार्य प्रक्रिया) जैसा कि सेन्ट्रल डिपॉजिट्री सर्विसेज लि. द्वारा प्रदत्त अनुसार है बैठक का स्थल एक में स्थानांतरित कार्य तथा वार्षिक साधारण बैठक की सूचना में निर्धारित समस्त संकल्प पत्रों में उनके मतदान कार्य के मूल्यांकन हेतु सुविधा के साथ प्रदत्त है।

ई-मतदान कार्य प्रक्रिया अवधि बुधवार, तिथि 24.07.2019 में प्रातः काल 10:00 बजे से प्रारम्भ तथा शुक्रवार तिथि 26.07.2019 में सायं. 5:00 बजे तक उपलब्ध होगी तथा इस अवधि के दौरान सदस्यगण उनके मत वैद्युतीय माध्यम से कर सकते है तथा वैद्युतीय माध्यम द्वारा मतदान कार्य तिथि 26.07.2019 में सायं. 5:00 बजे से बाहय स्वीकृत नहीं होगी तथा ई-मतदान कार्य प्रतिमान, आदर्श इसके पश्चात सेन्ट्रल डिपॉजट्री सर्विसेज लि. द्वारा अयोग्यता तथा अनुपयुक्त होगा।

सदस्यों के वोटिंग अधिकार तिथि 20 जुलाई, 2019 (अंतिम तिथि) के अनुसार कंपनी की चुकाई गई समतुल्य अंश पूंजी में उनके द्वारा प्राप्त समतुल्य अंशों हेतु अनुपात आधार में होगा। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य है अंतिम तिथि तक वह वोट डालने का अधिकारी है सभी प्रस्तावों के लिए जो एजीएम की सूचना में दिये गये हैं, वो चाहे रिमोट ई वोटिंग द्वारा अथवा एजीएम में वोट द्वारा कर सकता है।

वोट देने की सुविधा, इलैक्ट्रोनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा अथवा पोलिंग पेपर द्वारा प्रदान की जायेगी। एजीएम के समय और जिन सदस्यों ने अपने वोट रिमोट ई वोटिंग द्वारा नहीं किये हैं वो अपने अधिकार का प्रयोग एजीएम के दौरान कर सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा कर दिया है वो एजीएम में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

कोई व्यक्ति जिसने कंपनी के शेयर ले लिये हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है एजीएम की सूचना के बाद और शेयर धारक है कट ऑफ डेट पर वह लॉग इन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है अपनी प्रार्थना **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को भेजकर। अगर वह व्यक्ति पहले से सीडीएसएल से पंजीकृत है रिमोट ई वोटिंग के लिए तब वह मौजूदा यूजर आईडी व पासवर्ड का इस्तेमाल कर वोट डाल सकता है।

ई वोटिंग, मतपत्र और पोल के वितरण के लिये कृपया एजीएम की सूचना देंखे। इलैक्ट्रोनिक माध्यम से वोटिंग के विषय में पूछताछ के लिए कृपया अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ's) से सम्पर्क करें और ई वोटिंग इस्तेमाल के लिए शेयर धारकों का मैन्वल देखें जिसका **www.evotingindia.com** से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा सीडीएसएल से सम्पर्क करें टोल फ्री न0 1800-22-5533 पर। इलैक्ट्रोनिक माध्यम से वोटिंग में परेशानी होने पर कृपया श्री राकेश दल्वी, डिप्टी मैनेजर, सीडीएसएल, 16वीं मंजिल, फिरोज जीजाभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट फोर्ट, मुम्बई 400001 से सम्पर्क करें। इलैक्ट्रोनिक माध्यम से वोटिंग के तौर तरीके एजीएम की सूचना में दिये गये है।

व्यक्ति जो मीटिंग में वोट डालने और भाग लेने के अधिकारी है वे स्वयं अथवा प्रोक्सी द्वारा/या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वोट कर सकते हैं बशर्ते सभी प्रोक्सियां दिये गये फार्म में हों जो उस व्यक्ति द्वारा बकायदा हस्ताक्षरित हों जिसने मीटिंग में भाग लेना हो जिनको कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में मीटिंग शुरू होने से 48 घंटे पहले जमा करा दिया हो।

परिणामों को परीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वैबसाईट पर पोस्ट कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को भी समप्रेषित किये जायेंगे।

कम्पनी के शेयरों के डिमेटिरियलाईजेशन के लिए कम्पनी को सीडीएसएल की ओर से **ISIN (INE170U01011)** और एनएसडीएल की ओर से **(IN8170U01010)** प्रदान किया गया। सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपने शेयरों का डिमेटिरियलाईजेशन करा लें।

बोर्ड के निदेशकों के आदेश द्वारा
सूरज इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
ह0/-
अतुल जैन
(पूर्णकालिक निदेशक)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 02.07.2019

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजनीतिक दल **भारतीय स्वतंत्र पंच पार्टी** के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय **नौरंगिया चौराहा से 50 मीटर कोनी मार्ग, पोस्ट कोनी नेहरू चौक, खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर उ0प्र0** में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है। पार्टी के पदाधिकारियों के नाम/पते नीचे हैं:-

अध्यक्ष : प्रदीप गुप्ता पता तहसील खलीलाबाद, जिला-संत कबीर नगर।
महासचिव : संदीप गुप्ता पता तहसील खलीलाबाद, जिला-संत कबीर नगर।
कोषाध्यक्ष: कबीता गुप्ता पता तहसील खलीलाबाद, जिला-संत कबीर नगर।

यदि किसी को **भारतीय स्वतंत्र पंच पार्टी** के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति इसके कारणों सहित सचिव (राजनीतिक दल), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 को सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भेजें।

सार्वजनिक उद्घोषणा

[दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12(3) के साथ पठित विनियमन 31(2)]

श्री बालाजी प्रिन्टोपैक प्राईवेट लिमिटेड
(परिसमापन के अधीन) के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 31 के अनुपालन में कॉर्पोरेट डेब्टर के स्टेकधारकों के लिये एतद्द्वारा यह सांजनिक उद्घोषणा की जाती है कि कॉर्पोरेट डेब्टर के शेयरधारकों की सूची माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) नई दिल्ली शाखा III, नई दिल्ली में 27 जून, 2019 को दाखिल कर दी गई है।

समय-समय पर यथा-संशोधित स्टेकधारकों की सूची दावे का प्रमाण जमा किये होने वाले व्यक्तियों द्वारा तथा कॉर्पोरेट डेब्टर के सदस्यों, पार्टनरों, निदेशकों तथा गारन्टरों द्वारा जी-41, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 में स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के पते पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध होंगे।

श्री बालाजी प्रिन्टोपैक प्राईवेट लिमिटेड के लिये
(परिसमापन के अधीन)
हस्ता./-
मोह. नाजिम खान
परिसमापक
IBBI/IPA-002/IP-N00076/2017-18/10207

तिथि: 1.7.2019
स्थान: नई दिल्ली

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 34, कम्युनिटी सेंटर, वसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
CIN: L35911DL1984PLC017354, फोन: 011-46044100, फैक्स: 011-26143321
ईमेल: secretarialho@heromotocorp.com, वेबसाइट: www.heromotocorp.com

डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सार्वजनिक सूचना

आम जनता के सदस्यों और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ('कंपनी') के मौजूदा शेयर धारकों को सूचित किया जाता है कि मूल शेयर प्रमाण पत्र (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) चोरी हो गए हैं / नहीं मिले हैं / गुम हो गए हैं, ऐसी सूचना अनुसारी चिंतित शेयरधारकों दावेदारों से प्राप्त हुई हैं। कंपनी उनके पक्ष में मूल शेयर प्रमाण पत्र के एवज में डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का इरादा रखती है:

क्र. सं.	फोलियो नं.	शेयरधारकों का नाम	डिस्टिन्क्टिव नं. से	डिस्टिन्क्टिव नं. तक	प्रमाणपत्र संख्या	शेयरों की संख्या
शेयरों के अंकित मूल्य रू 10/- प्रत्येक						
1	HML0016643	सत्यवान महादेव नरीनग्रेकर	16037507 16037517	16037516 16037521	203480 203481	10 05
		सविता सत्यवान नरीनग्रेकर	16037522 20207837 20207887	16037523 20207886 20207923	203482 321599 321600	02 50 37
2	HML0137269	राजेश सी मकाती विमेश जे गांधी	15362319 19938903 19938913 35193965 35194015	15362368 19938912 19938914 35194014 35194026	170238 307881 307882 413040 413041	50 10 02 50 12
3	HML0055169	भिखी देवी दुगर	2773566 16167480 16167490 16167495	2773615 16167489 16167494 16167496	55481 226555 226556 226557	50 10 05 02
4	HML0034962	पिनाकी रॉय चौधुरी	1757166	1757215	35153	50
5	HML0091301	राजेन्द्र कुमार दुआ	11272714 11272764 19764924 19764944 34237187 34237237 34237287	11272763 11272813 19764943 19764948 34237236 34237286 34237311	100668 100669 303945 303946 393601 393602 393603	50 50 20 05 50 50 25
6	HML0100868	रवि अग्रवाल	1501816 34248154	1501865 34248203	30046 393861	50 50
7	HML0110372	अविनाश मेहता	15531151 19079808 19079810 33130662	15531165 19079809 19079810 33130679	174834 273521 273522 363466	15 02 01 18
8	HML0035625	अविनाश मेहता	12264076 16098360 16098362 20444472	12264090 16098361 16098362 20444489	128693 241241 241242 328447	15 02 01 18
शेयरों के अंकित मूल्य रू 2/- प्रत्येक						
9	HML0137269	राजेश सी मकाती विमेश जे गांधी	165498471	165499090	524701	620
10	HML0055169	भिखी देवी दुगर	45968191	45968525	529046	335
11	HML0016255	के मरप्पन	40140556	40140585	500369	30
12	HML0143596	राजीव कौल	166213251	166213750	526331	500
13	HML0100868	रवि अग्रवाल	162054696	162055195	523502	500
14	HML0109225	नरेन्द्र मोहनलाल वैष्णव	159251397	159251740	530751	344
15	HML0110372	अविनाश मेहता	159309621 166124846	159309695 166124950	516767 526042	75 105
16	HML0035625	अविनाश मेहता	44914876	44915055	508510	180

किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर लिखित में कंपनी 'सचिवीय डिपार्टमेंट' को प्रस्तुत करते हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजें। इस बीच, जनता के सदस्यों को ऊपर उल्लेख शेयर प्रमाण पत्रों में निवेश करने के खिलाफ आगाह किया जाता है।

कृते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
हस्ता./-
नीरजा शर्मा
कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 02.07.2019

इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड

CIN: L63040DL1981PLC011941

पंजी. कार्यालयः 'ट्रैवल हाउस', टी-2, कम्युनिटी सेंटर, शेख सराय, फेज-I, नई दिल्ली-110017, टेली.: 91-11-26017808
ई-मेल: investor-TH @ith.co.in, वेबसाईट: www.internationaltravelhouse.in

एतद्द्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी की 38वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) जो 27 जुलाई, 2019 को आमंत्रित की गई है तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए रिपोर्ट तथा लेखाओं का प्रेषण कार्य 1 जुलाई, 2019 को पूरा कर लिया गया है। ऐसे सदस्यों को ये सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में भेजी गई है जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरीज के पास अपने ई-मेल पते दर्ज कराए हैं।

38वें एजीएम में विचार के लिए प्रस्तावों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम के अन्यत्र के किसी स्थान से मतदान करने की सुविधा) तथा साथ ही एजीएम स्थल पर मत पत्र के माध्यम से मतदान द्वारा कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। ई- वोटिंग प्लेटफार्म का प्रावधान करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड ('सीडीएसएल') को नियुक्त किया गया है। एजीएम स्थल पर कोई डुप्लिकेट प्रवेश पर्ची जारी नहीं ही जायेगी।

जिन सदस्यों का नाम कट ऑफ तिथि अर्थात 20 जुलाई, 2019 को कंपनी के सदस्यों की पंजी. में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों की पंजी में दर्ज होंगे, वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम स्थल पर मत पत्र द्वारा मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे। जो व्यक्ति कट ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना को तदनुसार केवल जानकारी के लिए देखें।

रिमोट ई वोटिंग की अवधि 23 जुलाई, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा 26 जुलाई, 2019 को 5 बजे सायं में बंद होगी जब सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग अवरुद्ध कर दी जाएगी। जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करते हैं, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

जो व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद किंतु कट ऑफ तिथि को या उससे पूर्व कंपनी का सदस्य बने हों, वे रिमोट- ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करने के लिए Investor-TH@ith.co.in पर कम्पनी ने पास अनुरोध करें या evoting@cdsl.co.in पर सीडीएसएल को लिखें। रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत सदस्य इस उद्देश्य से अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

किसी भी प्रश्न/ समस्या के लिए सदस्य सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध शेयरधारकों के लिए Frequently Asked Questions तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा श्री राकेश डाल्वी प्रबंधक, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसल), 25वाँ तल, ए विंग, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल्स कम्पाउण्ड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल मुम्बई-400013 से अथवा ई-मेल आईडीः helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अथवा टोल फ्री नंबर 18002005533 पर संपर्क करें।

मतदान के परिणामों की घोषणा 38वीं एजीएम की पूर्णता से 48 घंटे के भीतर की जाएगी। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तत्काल "Investor Relation" सेक्शन के अंतर्गत कंपनी की वेबसाईट www.internationaltravelhouse.in तथा सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे। इन परिणामों को कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) के पास भी अग्रसारित की जाएगी।

38वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाईट (www.internationaltravelhouse.in), सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट (www.evotingindia.com) तथा बीएसई की वेबसाईट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें मंगलवार, 16 जुलाई, 2019 से शनिवार 27 जुलाई, 2019, दोनों दिवस सहित, तक 27 जुलाई, 2019 को आमंत्रित 38वें एजीएम में सदस्यों द्वारा यदि घोषित होता है, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

सोमवार, 15 जुलाई, 2019 के 5.30 बजे अप. तक कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट्स मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रान्स्फर एजेन्ट लिमिटेड, एफ-65, 1ला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 में व्यवस्थित रूप से प्राप्त शेयर अंतरणों का अंतरितियों अथवा उनके मैन्डेटीज के लिये यदि घोषित होता है, लाभांश के भुगतान के लिये प्रॉसेस किया जायेगा तथा लाभांश, यदि घोषित होता है, का भुगतान शुक्रवार, 2 अगस्त, 2019 को उसके लिये अधिकृत सदस्यों जिनके नाम 27 जुलाई, 2019 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे, को अथवा उनके मैन्डेटीज को किया जायेगा जो अधिनियम की धारा 126 के प्रावधानों के अधीन होगा। डीमैटोरियलाइज्ड शेयरों के मामले में लाभांश का भुगतान इस उद्देश्य से नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणों के अनुसार सोमवार, 15 जुलाई, 2019 को लाभभोगी स्वामित्व के आधार पर किया जायेगा।

इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
जानकी अग्रवाल
कंपनी सचिव

तिथि: 2 जुलाई, 2019

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement.)

EARUM PHARMACEUTICALS LIMITED

EARUM PHARMACEUTICALS LIMITED

Corporate Identification Number: U24230GJ2012PLC071299

Our Company was originally incorporated as "Earum Pharmaceuticals Private Limited" on July 26, 2012 vide Registration no. 071299 (CIN: U24230GJ2012PTC071299) under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Havelli. Further, pursuant to Special Resolution passed by the shareholders at the Extra Ordinary General Meeting held on January 10, 2019, our company was converted into a Public Limited Company and consequently the name of our Company was changed from "Earum Pharmaceuticals Private Limited" to "Earum Pharmaceuticals Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation dated January 23, 2019 issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad. The Corporate Identification Number of our Company post conversion is U24230GJ2012PLC071299.For further details please refer to chapter titled *"History and Certain Corporate Matters"* beginning on page 92 of the Prospectus.

Registered Office: G1, Ground Floor, V R Complex, Near Sanathal Cross Road, SP Ring Road, Sanathal, Ahmedabad, Gujarat-382210, India.
Corporate Office: A-1106, Empire Business Hub, Nr. AUDA Water Tank, Science City Road, Sola , Ahmedabad 380060, Gujarat, India.
Website: https://www.earumpharma.com | **E-mail:** cs@earumpharma.com | **Tel No:** +91-79-48402525 | **CIN:** U24230GJ2012PLC071299
Contact Person: Mr. Parsotam Kantilal Purohit, Company Secretary & Compliance Officer

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 18,48,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH (THE "EQUITY SHARES") OF EARUM PHARMACEUTICALS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "EPL" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 36 PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ 665.28 LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 96,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 36 PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING TO ₹ 34.56 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 17,52,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 36 PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ 630.72 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 29.96% AND 28.41% RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER "ISSUE PROCEDURE" ON PAGE 181 OF THE PROSPECTUS.

ISSUE
OPENS ON: FRIDAY, JUNE 21, 2019
CLOSES ON: WEDNESDAY, JUNE 26, 2019

PROPOSED LISTING: JULY 04, 2019*

The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited (**"BSE"**) in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated May 29, 2019 from BSE Limited (**"BSE"**) for using its name in the Offer Document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of BSE beginning on page 169 of the Prospectus. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited. The trading is proposed to be commenced on or about July 04, 2019.

**Subject to the receipt of listing and trading approval from the BSE SME Platform.*

All Applicants were allowed to participate in the Issue either through **APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA")** process by providing the details of their respective bank accounts in which the corresponding application amounts were blocked by Self Certified Syndicate Banks (the "SCSBs") or through UPI Mechanism.

SUBSCRIPTION DETAILS

The issue has received 445 applications for 26,07,000 equity shares resulting in 1.41 times subscription (including reserved portion of Market maker).

The details of applications received in the issue (before technical rejections) are as follows:

Category	No. of applicants	%	No. of Equity shares	%	Subscription (times)*
Market Maker	1	0.22	96,000	3.68	1
Retail Individual Investors	409	91.91	12,27,000	47.07	1.40
Other than retail individual Investors	35	7.87	12,84,000	49.25	1.47
Total	**445**	**100.00**	**26,07,000**	**100.00**	**1.41**

** Subscription times have been computed based on the issue size as per the Prospectus.*

The details of applications rejected by the Registrar on technical grounds (including withdrawal) are detailed below:

Category	No. of applicants	No. of Equity shares
Market Maker	Nil	Nil
Retail Individual Investors	4	12000
Other than retail individual Investors	Nil	Nil
TOTAL	**4**	**12,000**

After eliminating technically rejected applications, the following table gives us category wise net valid applications:

Category	No. of applicants	%	Issue Size	No. of valid shares applied	% of Total Applied	Subscription (times)
Market Maker	1	0.22	96,000	96,000	3.70	1
Retail Individual Investors	405	91.84	8,76,000	12,15,000	46.82	1.39
Other than retail individual Investors	35	7.94	8,76,000	12,84,000	49.48	1.47
Total	**441**	**100.00**	**18,48,000**	**25,95,000**	**100.00**	**1.40**

Allocation: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange - BSE Limited on July 01, 2019.

A. Allocation to Market Maker (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹ 36 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1 time. The total number of shares allotted in this category is 96,000 Equity Shares.

The Category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

| No. of Shares Applied for (Category wise) | No. of Applications received | % to Total

जनसत्ता

3 जुलाई, 2019

सख्ती का संदेश

पिछले कुछ दिनों के भीतर अलग-अलग राज्यों में पुलिस और प्रशासन से जुड़े अधिकारियों पर हमले की जैसी घटनाएं सामने आई हैं, उन्हें महज किसी की तात्कालिक प्रतिक्रिया मान कर दरकिनार कर देना उचित नहीं होगा। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के विधायक बेटे ने ड्यूटी पर तैनात एक अफसर पर बल्ले से हमला कर दिया था और बाद में उसे सही भी ठहराने में लगे थे। चूंकि इस घटना का वीडियो सार्वजनिक हो गया, इसलिए देश भर में इसकी तीखी आलोचना हुई। दूसरी ओर, इन आलोचनाओं की फिक्र करने के बजाय हमला करने वाले इस विधायक को जमानत मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ठीक इसी तरह की दूसरी घटना मध्यप्रदेश के सतना जिले के रामनगर में हुई और वहां भी भाजपा के एक नेता ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बुरी तरह पीटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा, तेलंगाना में भी सोमवार को सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक विधायक के भाई की अगुआई में भीड़ ने एक महिला वन सेवा अधिकारी पर जानलेवा हमला कर दिया।

इन सभी घटनाओं में पीड़ित अफसर महज अपने पद के दायरे में आने वाले दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन नेताओं या उनके रिश्तेदारों ने अपने रसूख की धौंस दिखा कर उन पर हमला किया। सवाल है कि किस बात का अहंकार इन नेताओं के सिर चढ़ कर बोल रहा था कि किसी बात की शिकायत होने पर कानून का सहारा लेने के बजाय इन्होंने अफसरों पर हमला करना जरूरी समझा? आखिर इन्हें किस बात की आश्वस्ति थी कि ये कानून के विरुद्ध अराजक आचरण कर लेंगे और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा? जाहिर है, ये अपने राजनीतिक रसूख के भरोसे इस तरह बेलगाम होकर हिंसा कर रहे थे। इन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि ऐसी गुंडागर्दी से खुद इनके सहित इनकी पार्टियों की कैसी छवि बन रही है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया और इसके मद्देनजर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है तो यह बिल्कुल उचित है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि बेटा किसी का हो, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो पार्टी का नाम कम करता है; सार्वजनिक रूप से अहंकार दिखाने का हक किसी को नहीं है और जिन लोगों ने स्वागत किया है, उन्हें भी पार्टी में रहने का हक नहीं है, सभी को पार्टी से निकाल देना चाहिए।

प्रधानमंत्री का यह रुख इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि आमतौर पर किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नरम रवैये या फिर उसकी अनदेखी की वजह से ही निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के भीतर बेलगाम होने का हौसला बढ़ता है। लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व ऐसे मामलों पर सख्ती बरते तो इसका सीधा असर पड़ता है। यों इस तरह की घटनाएं देश भर से अक्सर सामने आती रहती हैं, जिनमें सरकारी अधिकारियों को राजनीतिकों की दबंगई का शिकार होना पड़ता है। हो सकता है कि किसी मौके पर नेताओं की शिकायत का कोई आधार हो, लेकिन ज्यादातर मौकों पर वे अपने रसूख की धौंस ही जमाते देखे जाते हैं। किसी भी स्थिति में कानून अपने हाथ में लेकर अफसरों या कर्मचारियों पर हमला करना अपराध ही है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी होती है तो न केवल कानून पर अमल सुनिश्चित कराने और व्यवस्था बहाल करने में लगे अधिकारियों का काम करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि इससे जिस तरह की अराजकता पैदा होगी, उसमें आम जनता का सहज जीवन दूभर हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने अगर इस मसले पर सख्त रवैया अख्तियार किया है तो उसका संदेश समझा जाना चाहिए।

दावे और हकीकत

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को अमल में आए दो साल पूरे चुके हैं। लेकिन जीएसटी को लेकर इन दो सालों में उद्योग जगत और कारोबार के किसी भी हिस्से से कोई ऐसी संतोषजनक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली, जिससे इसकी सफलता और स्वीकार्यता का संकेत मिलता। शुरुआत में कर की दरों के जो वर्ग बनाए गए, वे इतने ज्यादा अतार्किक थे कि लग ही नहीं रहा था कि यह कोई अच्छी कर व्यवस्था का रूप लेगी। इसकी आड़ में कर संग्रह के नाम पर सरकारी खजाना भरता गया। इसीलिए अभी तक जीएसटी को एक जबरन थोपी हुई कर व्यवस्था के रूप में ही देखा जा रहा है। छोटे और मझोले कारोबारियों को तो इस नई कर व्यवस्था की वजह से सबसे ज्यादा पीड़ा झेलनी पड़ी है। ऐसे उद्योग-धंधों की संख्या कोई मामूली नहीं है जिनकी जीएसटी ने कमर तोड़ कर रख दी। कारोबार ठप पड़ गए। इन सबके मूल में सबसे बड़ा और पहला कारण जीएसटी की जटिलता और इसे लागू करने में जल्दबाजी माना जाता रहा है। आर्थिक और कर विशेषज्ञ तक इसकी खामियों और लागू करने के तरीके को लेकर सवाल उठाते रहे। एक देश, एक कर-व्यवस्था की अवधारणा अच्छी जरूर है, लेकिन इसमें जो झोल रह गए हैं और जिस आधी-अधूरी तैयारी से इसे लागू किया गया, उसका नतीजा अब सरकार के गिरते राजस्व संग्रह लक्ष्यों के रूप में सामने आ रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इस बार जून में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाया। अर्थव्यवस्था के लिए यह चिंताजनक है। सरकार खुद मान रही है कि जीएसटी वसूली उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। पिछले दो साल के आंकड़े जीएसटी संग्रह की हकीकत को बयान करने के लिए काफी हैं। दो साल यानी चौबीस महीनों में सिर्फ छह महीने ऐसे रहे जब जीएसटी संग्रह का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। जबकि नई कर व्यवस्था लागू करते वक्त दावा यह किया गया था कि इससे कर संग्रह तेजी से बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। उलटे निराशाजनक तस्वीर ही सामने आ रही है। जीएसटी में कर चोरी रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था का अभाव साफ नजर आ रहा है। कारोबारियों द्वारा फर्जी बिल दाखिल करने के मामले सामने आते रहे हैं। सरकार भी इस बात को मान रही है। इसीलिए केंद्र और राज्यों को मिल कर जीएसटी की चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात इसके अमल को लेकर है। कारोबारी अभी तक रिटर्न फाइल करने से बच रहे हैं। सरकारी अमले को भी जिस तेजी से इस दिशा में बढ़ना चाहिए था, उसकी सुस्त रफ्तार भी कर संग्रह के लक्ष्य को पूरा करने में बड़ी बाधा साबित हुई है।

जीएसटी को सरल और तर्कसंगत बनाने की दिशा में समय-समय पर सरकार ने कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन कर की दरों में बदलाव करके किया है। अभी जीएसटी की चार दरें हैं- पांच, बारह, अठारह और अट्ठाईस फीसद। ज्यादातर उपभोक्ता वस्तुएं बारह और अठारह फीसद वाले वर्ग में आ चुकी हैं। अट्ठाईस फीसद वाले वर्ग में बहुत ही कम वस्तुएं रह गई हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि दरें घटाने से पिछले दो साल में नब्बे हजार करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। करों की दरें तय करते वक्त आमजन को ध्यान रखना में रखना जरूरी है। बाजार का पहिया आम आदमी की मांग पर ही घूमता है। जनता को कर में राहत हो और कारोबारियों के लिए जीएसटी आसान बने, यह वक्त की बड़ी जरूरत है। तभी कर संग्रह का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

कल्पमेधा

अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति दूसरे के अधिकारों की रक्षा करता है न कि अपने अधिकारों के लिए झगड़ा।

-कार्लाइल

लक्ष्यों और चुनौतियों में घिरा जी-20

विकेश कुमार बडोला

जी-20 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विकसित, विकासशील और आर्थिक आधार पर अति पिछड़े देशों के मध्य आर्थिक संतुलन साधना था, ताकि इन देशों को विकसित बनाने की दिशा में प्रतिवर्ष एक नई सामूहिक कार्ययोजना बने और उस पर ठोस काम हो। लेकिन पिछले दो दशकों में जी-20 की कार्ययोजनाएं समूह के विकसित सदस्य देशों के परस्पर आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक विवादों के कारण परिणामोन्मुखी नहीं बन पाईं।

जापान के शहर ओसाका में पिछले हफ्ते बीस देशों के समूह यानी जी- 20 का चौदहवां शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया। इस बार समूह देशों का संकल्प था, 'महत्त्वपूर्ण, व्यवस्थित व औद्योगिक रूप में समृद्ध यानी विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को भविष्य में एक साथ लाया जाए, ताकि विश्व की अर्थव्यवस्था को सावर्देशीय आर्थिक प्रगति का आधार बनाया जा सके।' जी-20 सम्मेलन जापान में पहली बार हुआ। पिछले वर्ष अर्जेंटीना में आयोजित जी-20 वार्ता के प्रमुख कार्यकारी बिंदुओं में भावी कार्य, विकास हेतु ढांचागत क्षेत्र में सुविधाएं और दीर्घकालिक खाद्य आपूर्ति जैसे बिंदु शामिल थे, जो अर्जेंटीना की राष्ट्रीय चुनौतियों के समग्र रेखांकन के बाद उपजे विचारणीय बिंदु थे। प्रायः जी-20 के सदस्य देशों में से जिस देश में वार्षिक जी-20 शिखर सम्मेलन आयोजित होता है, वह अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही सम्मेलन के कार्यकारी बिंदुओं को निर्धारित करने पर बल देता है। जी-20 वैश्विक अर्थव्यवस्था को सार्थक, कल्याणकारी और सार्वदेशीय-सार्वभौमिक हितसाधक बनाने के लिए प्रयासरत है। इसलिए जी-20 सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख प्रतिनिधियों की उपस्थिति हर दृष्टि से अनिवार्य व उपयोगी होती है। इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों का भी दायित्व बनता है कि वे जी-20 जैसे आयोजन के उद्देश्यों, मूलभूत सिद्धांतों और सम्मेलन में निर्धारित नवीन लक्ष्यों की प्राप्ति में जी-20 की नीतियों पर विमर्श करें। लेकिन चूंकि जी-20 जैसे मंचों की स्थापना ही अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अपने-अपने कार्यों और दायित्वों का समुचित निर्वाह न करने के कारण हुई है, इसलिए वर्तमान में जी-20 में इन संस्थाओं को आमंत्रित करने का उद्देश्य इनसे संतुलित आर्थिक प्रगति के बारे में कोई सीख या सुझाव लेना नहीं, अपितु इन्हें जी-20 द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित की जाने वाली मौद्रिक, आर्थिक और व्यापारिक नीतियों के अनुरूप अपने संस्थागत दायित्व निभाने के लिए प्रेरित करना है।

लेकिन जी-20 के मंचों से यह कार्य भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस समूह में जहां एक ओर जापान जैसे विकसित, प्रशांत व शासकीय रूप में स्थिर देश हैं और जिनका ध्यान तकनीक आधारित व्यवसाय-व्यापार करने और आर्थिक प्रगति के लिए अपने हितों के अनुसार अर्थ नीतियां बनाने पर केंद्रित है, तो दूसरी ओर अर्जेंटीना, भारत, इटली जैसे देश भी हैं, जो आतंकवाद, जलवायु, खाद्यान्न व जलापूर्ति जैसी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देते हैं। जी-20 में व्याप्त इन परिस्थितियों से सामंजस्य न बिठाने की स्थिति में विकसित देशों के लिए यह समूह औपचारिक सम्मेलन बनता जा रहा है और इसीलिए वे जी-20 की प्रमुख बैठक व बैठक की सामूहिक चिंताओं से अलग अपने-अपने हितों के अनुरूप द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ताओं के प्रति अधिक गंभीर हो रहे हैं।

जी-20 सम्मेलन से कुछ दिन पूर्व ओसाका में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों, विदेश मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गर्वनरों ने जापान के प्रतिनिधित्व में सम्मेलन के लिए सूचीबद्ध होने वाले विचार बिंदुओं पर चर्चा की थी। इनमें से एक प्रमुख बिंदु जापान सहित चीन, दक्षिण कोरिया और ब्राजील जैसे देशों में बढ़ती वृद्ध आबादी का था। जी-20 में शामिल जिन देशों में युवाओं से अधिक कार्यमुक्त बूढ़े लोगों की संख्या है, वे देश अपने भावी आर्थिक विकास की आशंकाओं से घिरे हुए हैं। इसलिए यह प्रमाणित है कि जापान की मेजबानी में जी-20 की आर्थिक चिंताएं एक नई दिशा में मुड़ चुकी हैं। बढ़ती बूढ़ी आबादी वाले जापान और उस जैसे देशों को चिंता है कि ऐसे में जी-20 के सदस्य देशों के साथ आर्थिक संतुलन साधने में मुश्किलें आ सकती हैं। पूर्व में जी-8 को लेकर विश्व के प्रमुख देशों में जैसे मतभेद उभरे और जिस कारण जी-8 के स्थापना उद्देश्यों और लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सका, कमोबेश वही स्थिति आज जी-20 के साथ भी देखने को मिल रही है।

सामूहिक रूप में जी-20 की विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में नब्बे फीसद, वैश्विक व्यापार में अस्सी फीसद (यदि यूरोपीय संघ के परस्पर-व्यापार को छोड़ दें तो पचहत्तर फीसद) की सहभागिता है। जी-20 के सदस्य देशों में विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या रहती है और इनके पास विश्व के कुल भू-क्षेत्र का लगभग आधा भू-क्षेत्र है। इस समूह में शामिल देशों की सरकारें और इनके केंद्रीय बैंकों के गर्वनर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए परस्पर लाभांश

वितरण, अंतरराष्ट्रीय श्रम व रोजगार की स्थितियों को सुगम बनाने और संतुलित आर्थिक विकास के लिए प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले सम्मेलन से पूर्व नीतियां बनाते हैं। जी-20 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विकसित, विकासशील और आर्थिक आधार पर अति पिछड़े देशों के मध्य आर्थिक संतुलन साधना था, ताकि इन देशों को विकसित बनाने की दिशा में प्रतिवर्ष एक नई सामूहिक कार्ययोजना बने और उस पर ठोस काम हो। लेकिन पिछले दो दशकों में जी-20 की कार्ययोजनाएं समूह के विकसित सदस्य देशों के परस्पर आर्थिक, व्यापारिक व सामरिक विवादों के कारण परिणामोन्मुखी नहीं बन पाईं।

जी-20 में शामिल अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य इन देशों के बीच ही अनेक अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय, महासागरीय और दूसरी समस्याओं को लेकर एक-दूसरे के विरोध में कई गुट बने हुए हैं। पिछले दो साल से अमेरिका और चीन के मध्य व्यापार युद्ध चल रहा है। अमेरिका की नई अर्थनीतियां और व्यापारिक नियम चीन ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया में भारत पर भी भारी पड़ रहे हैं। चीन-अमेरिकी व्यापार युद्ध ने भारत की भी चिंताएं बढ़ाई हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर जी-20 में जहां एक ओर भारत-रूस-चीन ने अलग से त्रिपक्षीय वार्ता की, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी भारत के प्रधानमंत्री से भेंट कर भारत-अमेरिका के संबंधों में व्यापारिक शुल्क को लेकर उत्पन्न खटास कम करने की कोशिश की। जी-20 से इतर भारत ने एक दर्जन से अधिक देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय वार्ताएं कीं।

पहले से शक्तिशाली अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों और उभरती वैश्विक शक्तियों- भारत व जापान जैसे देशों की परस्पर तनातनी के चलते जी-20 कहीं से भी बीस देशों के मूलभूत आर्थिक सिद्धांतों को सार्वभौमिक हित पूरे करता नहीं दिखता। इतना अवश्य है कि जी-20 और इसके समांतर अनेक द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वार्ताओं के मंचों पर पिछले कुछ सालों से भारत के दृष्टिकोण को गंभीरता से लिया जा रहा है। वास्तव में जी-20 समूह में विकसित और विकासशील दोनों तरह के देश हैं। जहां विकसित देशों की आर्थिक समस्याएं खुद को अधिक अर्थसंपन्न बनाने से जुड़ी हैं, वहीं विकासशील देशों के समक्ष राजनीतिक अस्थिरता से लेकर आतंक, पर्यावरण, कुपोषण, नारी एवं बाल विकास संबंधी समस्याएं और अनेक अन्य सामाजिक बाधाएं भारी विसंगतियों के साथ खड़ी हैं। विकासशील देशों के सम्मुख इन समस्याओं के समाधान की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य करने की चुनौतियां तो हैं ही, उनके सामने वैश्विक आर्थिक वातावरण के अनुरूप अपनी अर्थ नीतियां बना कर आर्थिक रूप में समृद्ध बनने की बड़ी चुनौतियां भी हैं। यही कारण है जो जी-20 जैसे मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले और सामूहिक सहमति से कार्यान्वयन के लिए पारित कार्यक्रम बड़े पैमाने पर निष्फल ही रहे हैं।

वास्तव में जी-20 में शामिल शक्तिशाली राष्ट्र, समूह के मूलभूत उद्देश्यों और प्रतिवर्ष मेजबान देश की जरूरतों के आधार पर निर्धारित होने वाले सामूहिक नवीन उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में अधिक कार्यशील नहीं होते। इसके स्थान पर उनका ध्यान जी-20 मंच पर चर्चित अपनी निजी समस्याओं को सुलझाने पर अधिक होता है। जब तक जी-20 में शामिल शक्तिशाली राष्ट्रों की यह प्रवृत्ति नहीं बदलती तब तक यह मंच विश्व स्तर पर अर्थ संतुलन साधने के लिए औपचारिकताएं ही करता रहेगा और धरातल पर कुछ भी ठोस काम नहीं हो सकेगा।

छवि के बरक्स

आलोक रंजन

दुनिया मेरे आगे

देश के किसी भी हिस्से में मेरी पहचान एक बिहारी की है। यह पहचान मैं चाहूं या न चाहूं, मुझसे जुड़ी ही रहेगी। इस पर गर्व करने या इससे उपजी शर्म में गड़ जाने वाली स्थिति से अलग मुझे अपना यह राज्य प्रिय है। इसके बावजूद जब भी मैं अपने बिहारी होने का जिक्र करता हूं तो अन्य राज्यों या जगहों के लोग उससे बिहार की दुर्दशा जरूर जोड़ते हैं। बेशक पहली ही मुलाकात हो, लेकिन लोग अशिक्षा, भ्रष्टाचार, अराजक सामान्य जीवन और गरीबी से मेरी पहचान जोड़ना नहीं भूलते। अपने राज्य से कितनी भी मुहब्बत हो, लेकिन इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता।

दशकों से बिहार अपनी इन पहचानों से जूझ रहा है और यह स्वीकार करना बिल्कुल आसान है कि जूझते हुए भी यह राज्य इन मामलों में असफल रहा है। लोग एक खास नेता का नाम लेकर उन्हें भ्रष्टाचार के नायक के रूप में लगभग चिढ़ाने के लहजे पर उतर आते हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक न्याय जैसी चीजों से कोई सरोकार नहीं रहता। हालांकि एक बड़ी और जरूरी बात यह है कि जिन मुद्दों पर बिहार को कोसा जाता है, कमोबेश ऐसे मुद्दे हर राज्य में मौजूद हैं, लेकिन बिहार की बुरी स्थिति देश के अन्य भागों के लोगों को गहराई से अपील करती है। कुछ अच्छा हो जाना वहां के लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों के लिए यह कोई खबर नहीं।

बिहार के बारे में यह सब अप्रिय तो लगता है, लेकिन ये बातें मुझे खास प्रभावित नहीं करतीं। मुझे बस इस राज्य की उस आग के खत्म हो जाने का दुख होता है, जिसके लिए यह अतीत से लेकर हाल के इतिहास तक में प्रसिद्ध रहा। यहां प्रतिरोध का स्वर बहुत मजबूत रहा था। स्थानीय संस्कृति में सामंतवाद था तो उसके प्रतिकार की बात भी थी। सामंतवाद तो नहीं मिटा, लेकिन प्रतिकार की शक्तियां जरूर कमजोर पड़ गईं। बिहार में आपसी सौहार्द का माहौल तेजी से बिगड़ा है। कुछ गिने-चुने उदाहरणों को छोड़ कर यह इसकी पहचान नहीं थी।

फिर एक बात और दुखी करती है कि देश के दूसरे राज्य जब संकटग्रस्त होते हैं, तो वहां के लोग और वहां से बाहर रहने वाले भी बड़ी शिद्दत से अपने राज्य के साथ खड़े होते हैं। बिहार शायद देश का एकलौता राज्य होगा जहां ऐसा देखना असंभव के स्तर की बात है। लेकिन मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में फैले एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम के मामले में यह बात उलट गई। बिहार के लोगों ने इसके माध्यम से अपने भीतर सोई उस आग को जगा लिया जो कहीं राख की तहों में दब गई थी।

एक-दूसरे से जुड़ कर कैसे एक बड़ी बीमारी से जूझते समाज को जगाया जाता है, उसकी मिसाल बने लोग उस आग के वाहक हैं। थोड़े दिनों पहले तक ये लोग एक-दूसरे को भले नहीं जानते हों, लेकिन एक-एक से जुड़ कर कड़ी बनी और उस कड़ी ने कमाल का काम किया। तारीफ की बात यह है कि ये लोग बिहार को, उसकी स्थानीयता को और उसके लोगों को जानते हैं जो बाहर काम करने गए हैं। इन सबको यह पता है कि यहां कम संसाधनों में ही बेहतरीन काम करना पड़ेगा। वहां काम कर रहे लोगों की कार्यप्रणाली को देखने पर इसका इल्म हो जाता है। वे खराब पड़ी मशीनों को बदलने के बजाय उन्हें ठीक कर रहे थे। बड़े-बड़े हवाई कामों के बजाय मुजफ्फरपुर के अस्पताल के परिसर में परिजनों और रोगियों की सुविधा बहाल कराने पर जोर था। सबकी जड़ में था बिहारीपन, जो कम संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना जानता है। सोशल मीडिया पर उन्होंने जरूरी पैसे जुटाने के लिए अपील की। इसमें सबसे प्रशंसनीय बात यह रही कि जरूरत भर का पैसा मिल जाने के बाद इन्होंने लोगों से सहायता लेना बंद कर दिया, साथ ही उन पैसों के खर्च की मदों को सार्वजनिक किया।

आपदाओं के समय अक्सर यह देखा जाता है कि पैसे खूब आते हैं, लेकिन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचते। यहां बात उलट थी। निश्चित रूप से ये स्वयंसेवक सरकार का काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन अपने आत्मबल और जुड़ाव से उन्होंने बिहार के नए तेवर को सामने रखा है। सरकार बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति उसका रवैया दुखद ही है। सवा सौ बच्चों से ज्यादा के मरने के सरकारी आंकड़ों को देखें तो वित्तीय वर्ष 2017-18 की नीति आयोग की उस रिपोर्ट को भी देखना पड़ेगा, जिसमें कहा गया है कि बिहार सरकार ने स्वास्थ्य पर 6,668 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि उसी अवधि में केरल सरकार ने इससे ज्यादा रुपए खर्च किए और वहां की आबादी बिहार की लगभग एक तिहाई है। इस आंकड़े के साथ उनके काम को देखिए, गर्व होगा!

चौपाल

हमारा दायित्व

मनुष्य ने अपने विकास के क्रम में और कुछ सीखा हो या न सीखा हो पर दोषारोपण करना अवश्य सीख लिया है। हम सफलता का श्रेय खुद रख कर विफलता का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ना खूब जान गए हैं और समय के साथ इस कला में पारंगत भी हो गए हैं। हर छोटी-बड़ी घटना, दुर्घटना या परिस्थिति के लिए हम सरकार को दोषी मान कर खुद को बड़ी चालाकी से बचा लेते हैं। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, हिंसा, जल संकट, बिजली की कमी आदि समस्याओं से निजात दिलाना बेशक सरकार का कर्तव्य है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को उसके जीवन से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे। पर हम भूल जाते हैं कि जिस समाज और देश में रहते हैं उसके प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं।

हम अपने अधिकारों के लिए तो जमीन-आसमान एक करने के लिए तैयार रहते हैं, बसों को आग के हवाले करने में देरी नहीं लगाते, रेलवे की पटरियां पलक झपकते उखाड़ देते हैं पर जब कर्तव्यों के निर्वाह की बात आती है तो हमारी हालत पतली हो जाती है। हम लाचार हो जाते हैं, हमारे पास समय का अभाव हो जाता है, संसाधनों की कमी से जूझने लगते हैं। हम किसी दुर्घटना के बाद घायल को उठाने से ज्यादा उसका वीडियो वायरल करने में विश्वास करने लगे हैं। हमें दंगे भड़कते देखकर रोमांच होने लगा है। भविष्य की चिंता किए बिना पेड़ों को काट रहे हैं और गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ी इलाकों में सुकून ढूंढ़ रहे हैं। घंटों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं बिना यह सोचे कि देश के कितने ही गांवों में आज भी बिजली की किल्लत जस की तस बनी हुई है। हमें पानी बर्बाद करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। शादी-ब्याह में खाना फेंकते हुए हमारे हाथ जरा नहीं कांपते।

इन तमाम बातों से निष्कर्ष निकाला जाए तो साफ हो जाता है कि अब हमारे अंदर का इंसान बहुत बदल गया है। उसकी इंसानियत अब जमीन पर नहीं, फेसबुक और ट्विटर पर झलकती है। वह सोशल मीडिया में अधिक संवेदनशील नजर आता है। हम चाहें तो समाज को बदलने में अपना योगदान दे सकते हैं। पेड़ लगा कर पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, पानी को बेवजह बर्बाद करने से बच सकते हैं, अपने आस-पास सफाई के लिए उचित कदम उठा सकते हैं, धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ावा दे सकते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अंत में बस एक सवाल- हम चुप रहे तो फिर यह पहल कौन करेगा?

● *मुकुल सिंह चौहान, जामिया मिल्लिया, दिल्ली*

बढ़ती तल्खी

भारत में अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क की कथित उच्च दरें घटाने से संबंधित राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी को दोनों देशों के बीच व्यापारिक तल्खी से जोड़ कर देखा जा सकता है। अमेरिका की मंशा 'डाटा लोकलाइजेशन' और ई-कॉमर्स से संबंधित नियमों में भारत द्वारा लाए गए बदलावों को लेकर दबाव बनाने की भी है। गौरतलब है कि भारत में लेन-देन करने वाली हर कंपनी के लिए स्थानीय स्तर पर डाटा रखना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, ई-कॉमर्स के नियमों में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। इन दोनों कदमों से गूगल, व्हाट्सएप और अमेजॉन जैसी अमेरिकी कंपनियों को परेशानी हो रही है। वैसे मुद्दे दूसरे भी हैं खासतौर पर खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच बन रहे हालात से भारत असहज है। दोनों मुल्कों को अपने बीच पनपती इन तल्खियों को दूर करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी।

● *भूपेंद्र रंगा, पानीपत, हरियाणा*

जल संरक्षण

प्रधानमंत्री ने देश में पानी की समस्या से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बात करते हुए लोगों से स्वच्छता आंदोलन की तरह 'जल संरक्षण' आंदोलन चलाने का आग्रह किया है। साथ ही, जल संरक्षण के पारंपरिक तौर तरीकों के बाबत इस आंदोलन में जुटे लोगों, गैर सरकारी संगठनों आदि से जानकारी साझा करने की अपील की है ताकि एक विस्तृत ब्योरा तैयार हो सके। सत्ता में दोबारा लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी पहली 'मन की बात' में जल संरक्षण पर जोर दिया जिससे साफ है कि यह सरकार की प्राथमिकताओं में भी सबसे ऊपर है। उन्होंने जल की महत्ता बताते हुए कहा कि हमारे देश में वर्षा जल का सिर्फ आठ फीसद बचाया जाता है। वर्षा जल संरक्षण के लिए उन्होंने देश के सरपंचों और प्रधानों को पत्र भी लिखा था। उन्होंने अनुरोध किया कि पूरा देश इकट्ठा होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाए। जल संरक्षण के लिए कई तरीके अपनाए जाते रहे हैं। जाहिर है, नई सरकार जल संरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा तेज कदम बढ़ाती दिखेगी।

● *मेघा सिंघल, आइआइएमटी, ग्रेटर नोएडा*

मुनाफे के स्कूल

इन दिनों देश के सभी राज्यों में कुकुरमुत्तों की तरह नित नए निजी स्कूल खुलते जा रहे हैं। इनका मकसद केवल पैसा कमाना है। इनके पास न तो तय मापदंडों के मुताबिक भवन, फर्नीचर, खेल मैदान, प्रशिक्षित शिक्षक व अन्य संसाधन हैं और न ही बच्चों का भविष्य संवारने की कोई दूरदृष्टि। सरकार की ओर से मान्यता देने के नियमों को ताक पर रख कर नौकरशाही भी अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। सरकार को इस बात पर सख्त निगरानी रखते हुए सर्व सुविधा संपन्न स्कूलों को ही अनुमति प्रदान करनी चाहिए। वर्दी, पुस्तकें आदि तयशुदा दुकान से खरीदने की बाध्यता भी समाप्त की जानी चाहिए।

निजी स्कूलों के फीस के नियम भी नए सिरे से तय होने चाहिए। सरकार को नए स्कूल भवन निर्माण के बजाय उपलब्ध स्कूलों में ही संसाधन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों के विषयवार रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए। सरकारी स्कूलों को उच्च तकनीक से युक्त बनाना आवश्यक है ताकि लोगों में इनके प्रति आकर्षण बढ़े और वे अपने बच्चों का दाखिला उनमें कराने के लिए प्रेरित हों। नैतिक शिक्षा, योग और खेलों को शासकीय और अशासकीय सभी विद्यालयों में अनिवार्य किया जाना चाहिए। बच्चों के सर्वांगीण विकास और मूल्यांकन की नवीन पद्धति विकसित करना भी बहुत जरूरी है।

● *ललित महालकरी, इंदौर, मध्यप्रदेश*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

विश्व में पक्षियों की प्रजातियां

विश्व में करीब 10 हजार पक्षियों की प्रजातियां हैं। विश्व के 12 देश ऐसे हैं, जिनमें जैव विविधता अत्यधिक है। जिस कारण इन देशों में पक्षियों की प्रजातियां अन्य देशों के मुकाबले अधिक हैं। अधिक जैव विविधता (हॉटस्पॉट) वाले 12 देशों में भारत, चीन, पेरू (दक्षिण अफ्रीका), ब्राजील, चिली (दक्षिण अमेरिका) आदि शामिल हैं। केरल से ही मानसून नीलगिरि पर्वत होते हुए उत्तर भारत में आता है। सबसे कम जैव विविधता भारत के थार मरुस्थल और लेह लद्दाख में है। जिस कारण इन क्षेत्रों में पक्षियों की प्रजातियां कम हैं।

सर्पीली पहाड़ी सड़कों पर दौड़ते मौत के वाहन

फाइलों में दफन हो जाती है रिपोर्ट

तय हो सबकी जिम्मेदारी

हिमाचल

ओम प्रकाश ठाकुर
शिमला।

खस्ताहाल सड़कें, कानून लागू करने वाली एजंसियों की कमजोर पकड़ और बढ़ते राजनीतिक दखल ने हिमाचल प्रदेश की सर्पीली सड़कों को मौत की सड़कें बना दिया है। सड़क हादसों की वजह से प्रदेश में सालाना औसतन 12 सौ मौतें हो रही हैं।

सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की,कानून राजनीतिक रसूख के हिसाब से ही काम करता है। यही कारण है कि तेज गति पर कोई काबू नहीं है। निजी आपरेटरों के लालच व उनके राजनीतिक रसूख के आगे कानून बौना हो जाता है। इससे साफ है कि हर हादसे के बाद मजिस्ट्रेट जांच का आदेश होता है और रिपोर्ट आने के बाद इसे फाइलों में दफन कर दिया जाता है।

वर्ष 2015 की राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रपट के मुताबिक सड़क हादसों में प्रदेश में मौतों की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। सड़क हादसों में मौतों की दर में छत्तीसगढ़ 75.1 फीसद के साथ शीर्ष पर है तो हिमाचल प्रदेश में मौतों की दर 47.8 फीसद है व प्रदेश सातवें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर व उतराखंड जैसे पहाड़ी प्रदेश मौतों की दर में हिमाचल से बेहतर स्थिति में है। प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे जिला स्तरीय सड़कों व ग्रामीण सड़कों में होते है।

72 लाख की आबादी वाले इस छोटे से प्रदेश में 31 मार्च 2019 तक 16 लाख 9 हजार 654 वाहन पंजीकृत हो चुके है। इनमें से 21 हजार 277 बसें है जबकि 8 लाख 37हजार 46 स्कूटर व मोटरसाइकिल है। इसके अलावा 4 लाख 74 हजार 891 कारें है। इसके अलावा पर्यटन स्थल होने के लाखों वाहन बाहर से आते हैं।

सड़कों हादसों के लिए मानवीय चूक सबसे बड़ी वजह है। इसमें तेज गति, शराब पीकर वाहन चलाना जैसी वजहें शीर्ष पर है। परिवहन निगम के संयुक्त सचिव हेमिस नेगी ने कहा कि 90 से 95 फीसद हादसे मानवीय चूक का नतीजा है। सड़कों की खस्ता हालात भी खूब जिम्मेदार है। आलम यह है कि प्रदेश में रोड सेफ्टी आडिट आज तक हुआ ही नहीं।

एनएचएआइ के रोड सेफ्टी अधिकारी अशोक कुमार रौलानिया ने कहा कि फोरलेन में डीपीआर में ही घाटी की ओर क्रैश बैरियर लगाने का प्रावधान है। चारों राष्ट्रीय राजमार्गों पर जहां क्रैश बेरियर नहीं है वहां पर पैरापिट लगे हुए है व कई जगहों पर काम चल रहा है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी कहीं तय नहीं हो रही है।

फाइल फोटो

पिछले दो सालों में स्कूली बसों के हादसाग्रस्त होने की वजह से स्कूली बच्चों की मौतें हुई हैं। अप्रैल 2018 में जिला कांगड़ा के नूरपूर में एक निजी स्कूल की बस हादसाग्रस्त हो गई व इसमें तीस के करीब बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए। लेकिन सब कुछ होने के बाद जनवरी 2019 में सिरमौर के ददाहू में स्कूली बच्चों का वाहन हादसाग्रस्त हो गया व दर्जन भर बच्चों की मौत हो गई।

अभी हाल ही में बंजार में निजी बस गिरने से 46 यात्रियों की मौत हो गई तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू कर दिया। लेकिन हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।

हाइटैक होगी ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया

परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मानवीय चूक व राजनीतिक दखल दूर करने के लिए सरकार ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया से लेकर प्रशिक्षण तक को हाइटेक करने पर काम कर रही है। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को कठिन करने का फैसला किया गया है। प्रशिक्षण संस्थानों में बायोमीट्रिक लगाई जाएंगी व प्रशिक्षण के दौरान चालक ने कितने किलोमीटर वाहन चलाया, इसका हाइटेक लेखाजोखा रखा जाएगा।

हादसों का आंकड़ा

पुलिस विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में प्रदेश में 3168 सड़क हादसे हुए और इनमें 1271 यात्रियों की मौतें हो गई। जबकि 2017 में 3114 हादसों में 1203 मौतें हो गई। 2018 में 3110 सड़क हादसे हुए व इनमें 1208 यात्रियों की जानें चली गई। इस साल जनवरी से लेकर 15 जून तक प्रदेश की सड़कों पर 1385 सड़क हादसे हो चुके हैं और इनमें 569 यात्रियों की मौतें हो चुकी है।

बीरबल शर्मा
मंडी।

हिमाचल प्रदेश हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत एक एनजीओ की रिपोर्ट की मानें तो दस सालों में इस देव भूमि हिमाचल में 65766 से अधिक लोग दुर्घटनाओं में घायल और मौत का शिकार हुए हैं। यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। जून 18 को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में औट लूहरी नेशनल हाइवे पर बंजार के दियोट मोड़ पर हुए निजी बस हादसे में 46 लोगों की जानें गईं तो इतने ही घायल हो गए।

कुल्लू हादसे की जांच रिपोर्ट बताती है कि इसके लिए बस को फिटनेस प्रमाणपत्र देने वाले परिवहन अधिकारी जिम्मेदार हैं क्योंकि बस काफी पुरानी थी, बार-बार खराबी इसमें आ रही थी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। इन बढ़ते हादसों के पीछे पूरे सिस्टम का लचरपन साफ झलक रहा है।

लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली, सड़कों की दुर्दशा, पानी की निकासी, खतरनाक जगहों पर क्रैश बैरियर नहीं है जबकि सीधी सपाट सड़कों पर खूब चमकते नजर आते हैं, आधुनिक बीम रेलिंग भी ऐसी ऐसी जगहों पर लगी है जहां पर इसकी जरूरत कम है मगर जहां होनी चाहिए वहां पर नहीं है।

मानवीय भूल की पराकाष्ठा देखें कि मंडी के पराशर में चालक 15 सवारियों से भरी गाड़ी को उतराई में खड़ा करके चला गया और एक बच्चे ने गेयर हिला दिया जिससे गाड़ी ढांक में जा गिरी। शिमला बस दुर्घटना में अवैध पार्किंग से सड़क तंग करके बस को कच्चे डंगे से होकर निकाला तो बस बच्चों सहित नीचे जा पहुंची। चंबा जोत पर चालक बस को लापरवाही से खड़ा करके चला गया तो बस खुद ही खिसकते हुए नीचे जा गिरी।

फाइल फोटो

केंद्र और राज्य की तनातनी से मेट्रो परियोजनाएं अधर में

बंगाल

प्रभाकर मणि तिवारी
कोलकाता।

केंद्र और राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच लगातार बढ़ती खाई से कोलकाता में मेट्रो रेलवे परियोजनाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। पहले से जारी परियोजनाओं के भविष्य पर सवालिया निशान तो लगे ही थे, अब रेलवे बोर्ड ने इन परियोजनाओं के पांच भागों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बोर्ड ने महानगर के मेट्रो रेलवे अधिकारियों को पत्र भेज कर फैसले से अवगत करा दिया है। लेकिन यहां के अधिकारियों को उम्मीद है कि पांच जुलाई को केंद्रीय बजट से पहले इस फैसले की समीक्षा की जाएगी और पांचों भागों के लिए धन आवंटित किया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि जिन पांच भागों को बेमियादी काल के लिए स्थगित किया गया है उनमें माझेरहाट-एस्प्लानेड (7.19 किमी), टिटूमीर (सिटी सेंटर-2), एअरपोर्ट (4.22 किमी), माझेरहाट-डायमंड पार्क (3.29 किमी), बरानगर-बैरकपुर (12.5 किमी) और न्यू बैरकपुर-बारासात (7.55 किमी) शामिल हैं। बोर्ड ने अपने पत्र में कहा है कि जब तक जमीन संबंधी विवाद, पुनर्वास नीति और विभिन्न विभागों की ओर से हरी झंडी नहीं मिल जाती उक्त भागों पर काम स्थगित रहेगा। जोका और माझेरहाट के बीच नौ किमी लंबी परियोजना का काम बीते साल माझेरहाट फ्लाईओवर ढहने के बाद से ही कछुए की चाल चल रहा है।

मेट्रो के एक अधिकारी ने बताया कि बोर्ड के फैसले से साफ है कि जोका मेट्रो माझेरहाट तक ही जाएगी और एस्प्लानेड तक उसका विस्तार अधर में लटक गया है। माझेरहाट-एस्प्लानेड भाग के लिए एक साल से धन का इंतजार किया जा रहा था। अब इन परियोजनाओं के काम पर रोक लगने की वजह से केंद्रीय बजट में इन परियोजनाओं के लिए धन के आवंटन में भारी कटौती का अंदेशा है। इससे महानगर में जारी मेट्रो रेलवे परियोजनाओं का भविष्य भी अनिश्चित हो जाएगा।

कोलकाता में मेट्रो रेल परियोजनाओं में बीते पांच वर्षों के दौरान खास प्रगति नहीं हो सकी है। अब केंद्र राज्य संबंधों के बीच बढ़ती कड़वाहट ने इन परियोजनाओं पर सवालिया निशान लगा दिया है। इन परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस समय जो छह परियोजनाएं चल रही हैं उनमें से पांच की शुरुआत ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहने के दौरान ही हुई थी। लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार इन परियोजनाओं को पूरा समर्थन नहीं दे सकी है। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर परियोजना से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि ब्रेबोर्न रोड के किनारे जमीन संबंधी कुछ मुद्दों को सुलझाने में काफी देरी होने के कारण भी परियोजनाओं के आगे बढ़ाने में देरी आई है। अगर राज्य सरकार की ओर से पूरा समर्थन मिला होता तो सुरंग बनाने का काम काफी आगे बढ़ गया होता। बाकी पांच परियोजनाओं की हालत भी बेहतर नहीं है। उनका कहना था कि तमाम परियोजनाओं की तारीख काफी आगे बढ़ा दी गई है और फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि कोई परियोजना कब तक पूरी होगी।

पांच साल के दौरान राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह अतिक्रमण चाहे सरकारी रेलवे की जमीन पर ही क्यों न हो हटा कर अपने वोटरों की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती।

अतिक्रमणकारियों को विस्थापित करने में काफी देरी से भी नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक ढाई किमी लंबी परियोजना की समयसीमा पार हो गई है, जिसे अबकी दुगार्पूजा तक तैयार हो जाना था। रेल मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से विस्तारित योजना तैयार करने के बावजूद नोआपाड़ा-एअरपोर्ट की राह में जमीन का मुद्दा सबसे बड़ा बाधा बना हुआ है।

समुचित जमीन का हस्तांतरण नहीं होने से जोका-बीबीडी बाग परियोजना भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। मेट्रो रेल के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार इन परियोजनाओं को केंद्रीय परियोजनाओं के तौर पर देख रही है। वह सोचती है कि उसे इन परियोजनाओं का श्रेय नहीं मिलेगा। दूसरी ओर अतिक्रमणकारियों को जबरन हटाने से उसके वोट बैंक के बिखरने का भी खतरा है। सूत्रों की मानें तो यही रवैया रहने पर केंद्र सरकार की इन परियोजनाओं में दिलचस्पी खत्म हो सकती है।

भारतीय ऑटोमोबाइल में चीनी युग की शुरुआत

उत्तर प्रदेश

आशीष दुबे
नोएडा।

इलेक्ट्रिक वाहनों की वैश्विक मांग के बीच दो-तीन व चार पहिया वाहनों के सबसे बड़े बाजारों में से एक भारत में जापानी युग का अंत और चीनी युग की शुरूआत को माना जा रहा है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के लिए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की समयावधि तय कर दी गई है। नीति आयोग की तरफ से घोषित तारीख, 1 अप्रैल 2025 व 1 अप्रैल 2023 और 1 अप्रैल 2030 क्रमशः दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहनों के केवल इलेक्ट्रिक वर्जन की बिक्री होने पर देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। इसे भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में चीनी युग की शुरुआत माना जा रहा।

देश में 1982 में मारुति सुजुकी के आने पर जापानी युग की शुरुआत हुई थी। उसके बाद दो-पहिया वाहन क्षेत्र में टीवीएस-सुजुकी, हीरो होंडा, बजाज कावासाकी, एस्कॉर्ट यामाहा और चार पहिया क्षेत्र में होंडा, हुंडई, टोयोटा आदि ने 2010 आने तक पूरा वर्चस्व बना लिया। जिससे भारत में बनने वाली गाडियां एंबेस्डर, प्रीमियर पद्मिनी, एस्कॉर्ट आदि को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। लेकिन अब नीति आयोग ने केवल विद्युत चलित वाहनों की बिक्री की तारीख तय कर दी है, इसे देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में शीर्ष 10 में से पांच वाहन कंपनियां चीन की है। जो अपने सस्ते टिकाऊ और सफल संचालन के लिए पहचान बना चुकी हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन

1982 से 2010 तक भारतीय वाहन बाजार में जापानी कंपनियां रहीं हावी।

इलेक्ट्रिक वाहनों में चीन को हासिल है महारथ, विश्व की शीर्ष 10 में आधी से ज्यादा हैं चीनी कंपनियां।

नीति आयोग ने देश में केवल इलेक्ट्रिक दो-तीन और चार पहिया वाहनों की बिक्री की तारीख कर दी है तय।

भारत में वर्तमान में भी इलेक्ट्रिक वाहन के सबसे बड़े उदाहरण के रूप में चल रहे इलेक्ट्रिक रिक्शा यानी ई-रिक्शा हैं। ई रिक्शा की मोटर से लेकर ज्यादातर अन्य सभी कलपुर्जों का आयात चीन से होता है। भारत में केवल बॉडी (ढांचा) बनाकर उसमें मोटर, कलपुर्जे जोड़कर तैयार किए जा रहे हैं।

ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के मुताबिक पेट्रोल-डीजल गाड़ियों में जापानी, कोरियाइ महारथ की तरह इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में चीन विश्व में अग्रणी है। चीन से खुला आयात है। इलेक्ट्रिक रिक्शा या ई रिक्शा बनाने वाली नोएडा- ग्रेटर नोएडा की करीब दर्जन कंपनियां चीन से मोटर समेत अन्य सामान आयात कर यहां असेंबल कर बिक्री कर रही हैं। दो पहिया और चार पहिया वाहन बनाने वाली भारतीय कंपनियों के इंजीनियर चीन से इलेक्ट्रिक इंजन, मोटर समेत अन्य कलपुर्जों की जानकारी ले रहे हैं। चीनी तकनीक पर आधारित मोटर समेत अन्य कलपुर्जों पर आरएंडडी कर उन्हें भारतीय माहौल के अनुरूप ढाला जा रहा है।

कम लागत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन की जो महारथ चीन के पास है, वह अन्य किसी देश के पास नहीं है। भारत में दुपहिया वाहन बनाने वाली एक नामी कंपनी के अधिकारी के मुताबिक पेट्रोल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। 2021-22 तक काफी संख्या में दो और तीन पहिया वाहन देश की सड़कों पर चलते दिखाई देंगे। इनके लिए बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी काम शुरू हो चुका है।

हिमालयी क्षेत्र में पक्षियों की एक नई प्रजाति मिली

उत्तराखंड

सुनील दत्त पांडे
देहरादून।

उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पक्षियों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति की खोज से पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ा है। हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले इस नई प्रजाति की खोज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग की शोध टीम ने वन्य जीव संस्थान देहरादून, शिकागो विश्वविद्यालय, स्वीडन विश्वविद्यालय और उत्तराखण्ड वन विभाग के पक्षी वैज्ञानिकों के सहयोग से की है। इस शोध टीम ने अपने संयुक्त अभियान में 'सायोरनिस फ्लाईकैचर समूह' की हिमालय क्षेत्र में एक नई प्रजाति और एक उपजाति का पता लगाया है। यह नई पक्षी प्रजाति डाईलिनस (हेनिनस) नाम से जानी जाती है। क्षेत्रीय भाषा में इस नई पक्षी प्रजाति को उड़न तश्तरी कहा जाता है। यह पक्षी बहुत तेजी से उड़ता है और पल भर में ओझल हो जाता है।

पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में इस प्रजाति की खोज ने एक क्रांतिकारी काम किया है। पक्षी विज्ञानियों के मुताबिक भारतीय हिमालय क्षेत्र में सायोरनिस 'फ्लाईकैचर' की कई प्रजातियां प्रजनन करती हैं। इनमें प्रमुख रूप से चार प्रजातियां 'ब्यू थ्रोटेड', 'पेल ब्लू', 'पेल चिन', 'लार्ज ब्लू फ्लाइकैचर' शामिल हैं। ये सभी प्रजातियां दिखने में लगभग एक जैसी होती हैं। शोध टीम इन नए पक्षियों के फैलाव की जानकारियां जुटाने में लगी हुई है।

साथ ही यह शोध टीम पक्षियों की इस नई प्रजाति 'फ्लाईकैचर' के रूप रंग में समानता होने के तथ्यों की जानकारी में जुटी है और यह भी पता लगा रही है कि क्या इनके गीत-संगीत की संरचना और डीएनए में भी समानता है या नहीं। पक्षी विज्ञानियों का मानना है कि एक समान दिखने वाले पक्षी एक ही जीन्स के होने चाहिए। यह शोध टीम पक्षी विज्ञानियों की इस अवधारणा का भी पता लगाने में जुटी है।

गीत गाने की कला पर शोध

शोध टीम ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम इत्यादि हिमालयी क्षेत्र में फ्लाईकैचर्स के गीतों की रिकार्डिंग और जैविक नमूना एकत्रित किया है। इन पक्षियों के गीत गाने की कला पर भी शोध कार्य जारी है। इसके लिए पक्षी विज्ञानी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके गीतों के प्रत्येक नमूने को शृंखलाबद्ध तरीके से तैयार किया गया है, जिनके परिणाम अत्यंत रुचिकर हैं। साथ ही यह सामान्य पक्षियों की गीत-संगीत की प्रचलित अवधारणा से बिल्कुल अलग है। सामान्य पक्षियों के बारे में प्रचलित अवधारणा के मुताबिक दो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाली पक्षियों की समान प्रजातियों के गीत-संगीत संरचना और क्षेत्रीय वाणी में अंतर होता है परंतु आश्चर्य की बात यह है कि दो हजार किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर हिमालय में रहने वाली पक्षी प्रजाति सायोरनिस फ्लाईकैचर के गीतों की संरचना और लयवद्धता में कोई खास अंतर नहीं है। पक्षी वैज्ञानियों की एक राय है कि हिमालय के वायुमंडल के संधि काल के बाद पश्चिम हिमालय में पूर्वी हिमालय से ही यह नई पक्षी प्रजातियां पहुंची। यह भी पता चला है कि प्रचलित अवधारणा के उलट हिमालय में ग्लेशियरों के निर्माण काल के प्रारंभिक दौर से अब तक के हजारों सालों के इस अंतराल में भौगोलिक रूप से प्रजातियों के अलग होने पर भी उनके गीतों की रचना और वाणी पर विशेष असर नहीं पड़ा है।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार की जैव विविधता लैब द्वारा यह पहली बार पता लगाया गया है कि भारतीय हिमालय में यह प्रजाति नई है। साथ ही यह भी पहली बार पता चला है कि 'फ्लाईकैचर' (सायरोनिस रुविकोलाईडिस) की उपजाति 'रोजेशी' भी केवल हिमालय में ही प्रजनन करती है। क्योंकि हिमालय का वातावरण इनके प्रजनन के लिए अत्यंत उपयुक्त है।

-प्रो. दिनेश चंद्र भट्ट
पक्षी विज्ञानी

हिमालयी क्षेत्र की यह नई पक्षी प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है। इस प्रजाति पर किए गए शोध से इसके संरक्षण और संवर्धन की नई उम्मीदें जगी हैं। इससे पक्षी विज्ञानियों में एक नई आशा की किरण जगी है।

-आशुतोष सिंह, शोध छात्र

चौंकाने वाले तथ्य

इन पक्षियों की इस विशेषता को देखते हुए शोध टीम भी बड़ी उलझन में आ गई, तो इस टीम ने पक्षियों की इस नई प्रजाति की जैविक संरचना का गहन अध्ययन किया और इनके जैविक नमूने की समानता और विभिन्नताओं का विश्लेषण वन्य जीवन संस्थान देहरादून की फॉरेंसिक लैब में किया गया। इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और पता चला कि फ्लाईकैचर की 'रुविकोलाइडिस' और डाईलिनस (हेनिनस) प्रजातियां 22 लाख 80 हजार (2.28 मिलियन) वर्ष पूर्व अलग हो चुकी थीं। वैज्ञानिक थ्योरी बताती है कि ऊपर से समान दिखने वाली प्रजातियां 02 मिलियन वर्ष में अलग प्रजाति बन जाती हैं। वैसे भी 'डाईलिनस' और 'हेनिनस' प्रजातियां दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भू-भागों में मिलती है जो आपस में प्रजनन नहीं करती।

देश में तेरह सौ प्रजातियां

भारत में पक्षियों की तेरह सौ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 650 प्रजातियां केवल उत्तराखंड में पाई जाती हैं। भारत में अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों उत्तराखंड, हिमालय के उत्तर पूर्व क्षेत्र असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण भारत में केरल शामिल हैं।

महाराष्ट्र में बारिश का कहर, 35 की मौत

- दीवार ढहने से मुंबई में 21 लोगों की मौत
- सरकार ने कहा कि मुंबई में सिर्फ आपात सेवाएं ही चालू रहेंगी

मुंबई, 2 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र में सोमवार की रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद हुई विभिन्न घटनाओं में 35 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। बारिश के चलते 54 विमानों के मार्ग बदले गए। 52 उड़ानों के साथ ही 20 से ज्यादा लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद सूबे की सरकार ने मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। मुंबई विश्वविद्यालय ने स्थिति को देखते हुए कुछ परीक्षाएं रद्द कीं तो कुछ पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अतिरिक्त वक्त दिया। सरकार ने मंगलवार को कहा कि मूसलाधार बारिश से रेल और सड़क परिवहन प्रभावित होने के कारण मुंबई में सिर्फ आपात सेवाएं ही चालू रहेंगी। सोमवार सुबह से मुंबई के कई हिस्सों में करीब 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने आपदा नियंत्रण कक्ष का दौरा कर स्थानीय निकाय अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मूसलाधार बारिश के पूर्वानुमान के बाद स्थानीय निकाय ने लोगों को घर के बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। राज्य सरकार के अधिकारिक प्रवक्ता बृजेश सिंह ने कहा, 'भारी बारिश के कारण सड़कों और रेल की पटरियों पर पानी भर गया है। एजंसियों से मिली जानकारी के आधार पर आपात सेवाओं को चालू रखने का फैसला लिया गया है। हमने लोगों से अपील की है कि ऐसे हालात में वे घरों से बाहर न निकलें।' दीवार ढहने की घटनाओं से मुंबई के मालाड में 21, और बाकी महाराष्ट्र में 14 लोगों की मौत हुई। सोमवार रात पुणे के अंबेगांव इलाके में एक शैक्षणिक संस्थान की दीवार अस्थायी झोंपड़ियों पर गिरने से छह श्रमिकों की मौत हो गई। वहीं मंगलवार तड़के कल्याण में एक दीवार गिरने से तीन लोगों की जान गई।

खराब मौसम के चलते मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 54 विमानों के मार्ग बदले और 52 उड़ानें रद्द हुईं। हवाईअड्डा प्रवक्ता ने बताया कि जयपुर से आ रहा 'स्पाइसजेट' का एक विमान मुंबई हवाईअड्डे के मुख्य रनवे से फिसलते हुए उससे नीचे उतर गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के अधिकारियों ने बताया कि देर रात करीब दो बजे हुई पूर्वी मलाड के पिंपरीपाड़ा के एक परिसर की दीवार ढही और पास की झुग्गियों में रहने वाले लोग उसकी चपेट में आ गए। स्थानीय निकाय अधिकारी ने बताया कि घायलों को जोगेश्वरी ट्रॉमा अस्पताल और कांदिवली के 'शताब्दी अस्पताल' में भर्ती कराया गया।

कल्याण में हुए हादसे में दुर्गाडी किले के पीछे एक उर्दू स्कूल की दीवार देर रात करीब एक बजे ढह गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। जिला कलेक्टर नवल किशोर राम ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कॉलेज की दीवार पर पेड़ गिरा जिससे दीवार उन झोपड़ियों पर गिरी जो निर्माणाधीन स्थल पर बनाई गई थीं।

एक नौसेना अधिकारी ने बताया कि उपनगरीय कुर्ला में एनडीआरएफ, नौसेना और दमकल विभाग ने साझा अभियान में करीब 1,000 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला।

स्थानीय निकाय के एक अधिकारी ने कहा, 'भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मूसलाधार बारिश के पूर्वानुमान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और उसके लोगों की सुरक्षा के लिए एहतियाती तौर पर दो जुलाई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया।'

मूसलाधार बारिश के कारण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी विधायकों के लिए एक नए भवन के निर्माण की आधारशिला रखने के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। मुंबई विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। साथ ही एमबीबीएस, बीडीएस और बीएएएफएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए छात्रों को अब पांच जुलाई तक का वक्त दे दिया गया है।

मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि आरपीएफ की मदद से मध्य रेलवे ने रात को लोकल ट्रेन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाल उन्हें चाय-बिस्किट दिए।

मध्य रेलवे के अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के कारण मध्य एवं पश्चिमी रेलवे ने लंबी दूरी की 20 से अधिक ट्रेनें या तो रद्द कर दीं या फिर उन्हें मुंबई से बाहर स्टेशनों पर ही रोक दिया है। बिजली कंपनियों ने भी एहतियात के तौर पर मुंबई के कुछ इलाकों में आपूर्ति निलंबित की।

बैंकों से हेराफेरी करने वालों के खिलाफ सीबीआइ की 61 जगह छापेमारी

- दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, ठाणे, वलसाड, पुणे, पलानी, गया, गुरुग्राम, चंडीगढ़, भोपाल, सूरत और कोलार में छापेमारी की गई है।

नई दिल्ली, 2 जुलाई (भाषा)।

सीबीआइ ने कथित तौर पर बैंकों का कर्ज भुगतान करने में चूक करने वालों के खिलाफ मंगलवार को 'विशेष अभियान' चलाते हुए 18 शहरों में 61 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। केंद्रीय एजंसी ने 1,139 करोड़ रुपए मूल्य के कर्ज को लेकर 17 मामले दर्ज करने के बाद यह कार्रवाई की है। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से मिली शिकायतों के आधार पर सीबीआइ की विभिन्न इकाइयों के 300 से अधिक अधिकारियों ने कर्ज भुगतान में चूक करने वालों के 61 ठिकानों पर छापेमारी की।

दिल्ली में सीबीआइ निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और वरिष्ठ अधिकारी सीधे तरह पर कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे। मुंबई में लगातार बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव के बावजूद अधिकारियों ने भगोड़े हीरा कारोबारी जतिन मेहता द्वारा स्थापित विनसम डायमंड्स के प्रवर्तकों व निदेशकों के ठिकानों पर छापेमारी की। मेहता के खिलाफ इस अभियान के तहत नया मुकदमा दर्ज कराया गया था। एक्जिम बैंक के 202 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान करने में कथित तौर पर चूक को लेकर मेहता के खिलाफ 16वीं प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर दो अन्य कंपनियों के भी मुंबई स्थित पांच ठिकानों पर छापेमारी की गई। अधिकारियों ने बताया कि शाम तक एजंसी 17 शिकायत दर्ज कर चुकी है व अभी और शिकायत दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, ठाणे, वलसाड, पुणे, पलानी, गया, गुरुग्राम, चंडीगढ़, भोपाल, सूरत और कोलार में छापेमारी की गई है।

शराब की बोतल पर बापू की तस्वीर लगाने पर संसद में विरोध

पेज 1 का बाकी

गया तो कहीं उनकी तस्वीर पर गोली चलाई गई।' उन्होंने कहा कि अब हाल ही में इजराइल की एक कंपनी ने शराब की बोतल पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगा दी। 'गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़े एक सदस्य ने इस संबंध में इजराइल के प्रधानमंत्री से शिकायत की और कार्रवाई का अनुरोध किया है।' उन्होंने कहा 'हमेशा ही नशे के खिलाफ रहे महात्मा गांधी की तस्वीर शराब की बोतल पर लगाया जाना अस्वीकार्य है। जिस व्यक्ति ने यह किया है, उसकी वेबसाइट भी चलती है और उस वेबसाइट पर भी उसने बापू की तस्वीर लगाई है।' सिंह ने मांग की कि इस संबंध में सरकार को तत्काल कड़े कदम उठाने चाहिए।

आप सदस्य की इस मांग से सहमति जताते हुए सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा 'देश महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह मना रहा है। बापू को लेकर इस तरह की घटना देश के लिए शर्मनाक है। सरकार को चाहिए कि इस बारे में आवश्यक कदम उठाए और इस कंपनी को देश में आने न दे।' सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में मौजूद विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले को देखने और समुचित कदम उठाने को कहा

बेटा किसी का भी हो, मनमानी नहीं चलेगी

पेज 1 का बाकी

घटना का जिक्र नहीं किया लेकिन यह स्पष्ट रूप से भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा अतिक्रमण रोधी टीम पर हमले की ओर इशारा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से पार्टी का नाम खराब होता है और यह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, 'अगर कोई गलती करता है तो उसमें पश्चाताप की भावना भी होनी चाहिए।' आरोपी विधायक ने अपने कृत्य का बचाव किया था और माफी मांगने से इनकार कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने (आरोपी विधायक का) स्वागत किया है, उन्हें पार्टी में रहने का हक नहीं है, सभी को पार्टी से निकाल देना चाहिए। गौरतलब है कि आकाश विजयवर्गीय की जमानत पर जेल से रिहाई के बाद पार्टी कार्यालय में स्वागत किया गया था।

भाजपा सांसद और पार्टी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने मोदी के हवाले से पत्रकारों से कहा कि इस तरह का व्यवहार 'पूरी तरह से अस्वीकार्य' है। यह पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया है, उन्होंने इस पर हामी भरी। रूडी ने कहा, 'उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह का व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया।' हालिया लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ मिली जीत के बाद पार्टी के संसदीय दल की पहली बैठक में वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने मोदी को सम्मानित किया। संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें सम्मानित किया। जोशी ने कहा कि अपने संबोधन में मोदी ने पार्टी सांसदों से संसद सत्र के दौरान उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात की और कहा कि उन्हें लोगों की सेवा के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए ताकि वे जान सकें कि उन्होंने जनता के लिए जो किया है, उसके लिए उन्हें जाना जाता है।

रेलवे की संपत्तियों को कौड़ियों के दाम बेचने का आरोप

नई दिल्ली, 2 जुलाई (भाषा)।

यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को सरकार पर रेलवे की बहुमूल्य संपत्तियों को निजी क्षेत्र के चंद हाथों को कौड़ियों के दाम पर बेचने का आरोप लगाया और इस बात पर अफसोस जताया कि सरकार ने निगमीकरण के प्रयोग के लिए रायबरेली के मॉडर्न कोच कारखाने जैसी एक बेहद कामयाब परियोजना को चुना है। उन्होंने निगमीकरण को निजीकरण की शुरुआत करार दिया।

सोनिया गांधी ने लोकसभा में शून्यकाल में इस विषय को उठाया, जिसके बाद रेलवे ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कारखाना सरकार के नियंत्रण में रहेगा। सोनिया ने कहा कि सरकार एक योजना के तहत उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली के मॉडर्न कोच कारखाने (एमसीएफ) समेत रेलवे की कुछ उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण करने जा रही है, जो इन इकाइयों के निजीकरण की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि जो निगमीकरण का असली मायने नहीं जानते, उन्हें मैं बताना चाहती हूं कि यह दरअसल निजीकरण की शुरुआत है। यह देश की बहुमूल्य संपत्तियों को निजी क्षेत्र के चंद हाथों को कौड़ियों के दाम बेचने की प्रक्रिया है। हालांकि, रेलवे ने कहा कि निगमीकरण (कॉर्पोरेटाइजेशन) का मतलब निजीकरण नहीं है।

एक अधिकारी ने कहा कि रेलवे का निगमीकरण से आशय है कि सरकारी क्षेत्र के पीएसयू- भारतीय रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी को रेल मंत्रालय के तहत लाना और एमसीएफ समेत उत्पादन इकाइयों को हस्तांतरित करना। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ये इकाइयां सरकार के नियंत्रण में रहेंगी, लेकिन इनका बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। इससे पहले गांधी ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं।

शून्यकाल में पहले वक्ता के तौर पर बोलते हुए यूपीए अध्यक्ष ने कहा कि असली चिंता तो इस बात की है कि सरकार ने इस प्रयोग के लिए रायबरेली के मॉडर्न कोच कारखाने को चुना है, जो कई कामयाब परियोजनाओं में से एक है, जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में तत्कालीन यूपीए सरकार ने देश के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यानी 'मेक इन इंडिया' के लिए शुरू किया था। मेक इन इंडिया केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी परियोजना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में लोकसभा में कांग्रेस पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा था कि मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाकर कुछ लोगों को भले ही रात को अच्छी नींद आ जाए, लेकिन इससे देश का भला नहीं हो पाएगा। उन्होंने सवाल किया था कि क्या किसी ने चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का नाम लिया। बहरहाल, मंगलवार को सोनिया गांधी ने शून्यकाल में मेक इन इंडिया शब्द का भी उल्लेख किया और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का भी जिक्र किया।

बोतलबंद पानी में प्लास्टिक की घुलनशीलता सुरक्षित मानकों के दायरे में : सरकार

नई दिल्ली, 2 जून (भाषा)।

बोतलबंद पानी में प्लास्टिक की घुलनशीलता के कारण स्वास्थ्य को नुकसान होने का खुलासा करने वाली एक अमेरिकी अध्ययन रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने भारत में इसके प्रभाव पर वैज्ञानिक अध्ययन के बाद बोतलबंद पानी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के मानकों के मुताबिक सुरक्षित बताया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन ने मंगलवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान भारत में बोतलबंद पानी के खतरे से जुड़े एक सवाल पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, 'न्यूयार्क से प्रकाशित एक अध्ययन की जानकारी मिलने के बाद पानी और अन्य पेय पदार्थों पर मानकों से जुड़ी एफएसएसएआइ के पैनल ने इस विषय को संबद्ध क्षेत्र के वैज्ञानिकों के समक्ष उठाते हुए इसके पहलुओं की जांच की।'

उन्होंने बताया कि इसमें पता चला है कि बोतलबंद पानी में प्लास्टिक की घुलनशीलता मानकों की सुरक्षित सीमा के दायरे में है। डा. हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में निर्धारित मानकों के मुताबिक पानी में प्लास्टिक की घुलनशीलता का सुरक्षित स्तर 60 मिग्रा प्रति किलो है।

भारत को नाटो सहयोगी का दर्जा देने का सीनेट में प्रस्ताव पारित

पेज 1 का बाकी

एफवाई2020 एनडीएए' पेश किया था, जिससे भारत-अमेरिका संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों (प्रतिनिधि सभा और सीनेट) द्वारा इसे पारित किए जाने के बाद यह विधेयक हस्ताक्षर के साथ कानून बन जाएगा। सदन द्वारा एनडीएए के इस संस्करण को जुलाई में किसी समय पेश करने की संभावना है क्योंकि अगस्त में एक महीने के अवकाश के लिए 29 जुलाई को सदन स्थगित कर दिया जाएगा। भारत-अमेरिका सामरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने बयान में सीनेटर कॉर्निन और वार्नर की प्रशंसा की।

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी

नई दिल्ली, 2 जुलाई (भाषा)।

संसद ने मंगलवार को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक-2019 को मंजूरी दे दी। विधेयक में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि मौजूदा एक साल से बढ़ाकर दो साल करने का प्रस्ताव किया गया है। कानून बनने के बाद यह संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। राज्यसभा में इस विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे गत गुरुवार को ही पारित कर चुकी है।

उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाईक ने कहा कि इस संबंध में 2018 में अध्यादेश लाया गया था। यह संशोधन पुराना है। उन्होंने कहा, 'पहले इस संशोधन के जरिए एक साल में नई परिषद गठित करने की बात कही गई थी, लेकिन कई राज्यों में परिषद का चुनाव नहीं होने और इस संबंध में रजिस्टर तैयार नहीं होने के कारण हम परिषद के पुनर्गठन की अवधि मौजूदा एक साल से बढ़ाकर दो साल करने का प्रावधान कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने इसे लाने की जरूरत के बारे में पूछा, 'हम बताना चाहते हैं कि होम्योपैथी परिषद के शासक मंडल को बर्खास्त किया गया क्योंकि वहां भ्रष्टाचार था। अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए थे।'

हरियाणा विस चुनाव में भी 'आप' से हाथ मिला सकते हैं दुष्यंत

- हमारा गठबंधन सपा-बसपा नहीं, जो चुनाव खत्म होते ही समाप्त हो जाए : दुष्यंत
- 'आप' इस मुद्दे पर विचार कर रही है कि उसे विधानसभा चुनाव लड़ना है या नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला की अगुआई वाली जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) सूबे में कुछ ही महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (आप) के साथ चुनावी गठजोड़ करेगी। दोनों दलों ने लोकसभा का चुनाव भी मिलकर लड़ा था। हालांकि इस गठबंधन को प्रदेश की किसी भी संसदीय सीट पर कामयाबी नहीं मिली।

जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को राजधानी में अपने निवास पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि फिलहाल उनकी पार्टी सूबे के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन पार्टी लोकसभा की तरह ही विधानसभा के भी इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठजोड़ की संभावनाओं को भी खारिज नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सही वक्त पर इस संबंध में निर्णय किया जाएगा।

जेजेपी प्रमुख ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ना उनके लिए अच्छा अनुभव रहा और जेजेपी ओर आप लंबे वक्त तक सकारात्मक काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन सपा-बसपा जैसा नहीं है, जो चुनाव खत्म होते ही समाप्त हो जाए। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी यह विचार कर रही है कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है या नहीं।

इस मौके पर सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार की आलोचना करते हुए पूर्व सांसद चौटाला ने कहा है कि अपने कार्यकाल के आखिरी महीनों में हरियाणा सरकार ने राज्य को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल है, वहीं दूसरी ओर राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े काम पटरी से उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में घोषित मनेठी एम्स के रद्द होना हरियाणा के भाजपा नेताओं की बड़ी विफलता है।

करतारपुर गलियारे पर दूसरी बैठक 14 जुलाई को

इस्लामाबाद, 2 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान और भारत ने मंगलवार को करतारपुर गलियारे के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने व संबंधित तकनीकी मुद्दों पर चर्चा के लिए दूसरी बैठक करने का फैसला किया। नई दिल्ली में आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की कि भारत पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित तारीखों को स्वीकार करेगा क्योंकि यह उसकी योजना के अनुरूप है। विदेश मंत्रालय ने कहा, 'पाकिस्तान ने आज (मंगलवार) भारत को जानकारी दी कि करतारपुर गलियारे के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने और संबंधित तकनीकी मुद्दों पर चर्चा के लिए दूसरी बैठक वाघा पर 14 जुलाई 2019 को होगी।'

माता-पिता से बुरे बर्ताव पर छह महीने तक की जेल का प्रस्ताव

पेज 1 का बाकी

या सौतेले बच्चे, दामाद और बहू, नाती-पोतों और अपने कानूनी अभिभावक द्वारा पालन पोषण किए गए नाबालिग बच्चों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।

मौजूदा समय में बच्चों की परिभाषा में माता-पिता की सिर्फ अपनी संतान और नाती-पोते ही आते हैं। प्रस्तावित मसविदे में माता-पिता के भरण-पोषण के लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह की राशि की सीमा को खत्म करने का प्रस्ताव है।

शोध संस्कृति को बढ़ाने के लिए बहुविषयक अनुसंधान योजना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शोध संस्कृति को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 'भारत की विकासशील अर्थव्यस्था के लिए बहुविषयक अनुसंधान योजना (स्ट्राइड)' की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऐसे शोध को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता आधारित, राष्ट्रीय और वैश्विक रूप से महत्त्वपूर्ण हो। यह योजना जनसाधारण के लिए बेहतर और नागरिक समाज को सशक्त बनाने वाले नए विचार, अवधारणाओं और अभ्यास के विकास, सृजन और एकीकरण में मदद करेगी।

नीरव के परिवार के जमा 44.41 करोड़ रुपए जब्त होंगे

पेज 1 का बाकी

हैं। भारतीय जांच एजंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत में मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में यह आदेश दिया गया है। ईडी ने कहा कि जब्त किया गया बैंक खाता पैवेलियन प्वाइंट कारपोरेशन के नाम से है। यह कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में स्थित है। इस कंपनी से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के नाम पूर्वी मोदी और मयंक मेहता बताया गया है। पूर्वी, नीरव मोदी की बहन है और मयंक नीरव मोदी के बहनोई हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नीरव इस समय लंदन में जेल में बंद है। उसे वहां से भारत के हवाले करने की कानूनी कार्रवाई चल रही है। सिंगापुर हाई कोर्ट ने ईडी के आग्रह पर वहां जमा 61.22 लाख अमेरिका डालर (44.41 करोड़ रुपए) जब्त करने का आदेश दिया। अदालत ने इस आधार पर राशि जब्त करने का आदेश दिया कि बैंक खाते में जमा राशि अपराध की कमाई है जिसे नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज के साथ धाखाधड़ी कर हासिल की है।

एजंसी ने पिछले साल मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत जारी अस्थायी आदेश के तहत सिंगापुर में यह बैंक खाता कुर्क किया था। पीएनबी में दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसकी बहन के स्विट्जरलैंड के चार बैंक खातों में जमा 283 करोड़ रुपए पिछले सप्ताह स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने भारत में चल रही मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में जब्त किए थे।

दरअसल

यूपी में ओबीसी के 17 समुदायों का मामला

अजा सूची में शामिल करना उचित नहीं : केंद्र

नई दिल्ली, 2 जुलाई (भाषा)।

केंद्र ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए।

शून्यकाल में यह मुद्दा बसपा के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला असंवैधानिक है, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है।

गहलोत ने कहा कि किसी भी समुदाय को एक वर्ग से हटा कर दूसरे वर्ग में शामिल करने का अधिकार केवल 'सांसदों को है। उन्होंने कहा कि पहले भी इसी तरह के प्रस्ताव संसद को भेजे गए, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। राज्य सरकार को समुचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए अन्यथा ऐसे कदमों से मामला अदालत में पहुंच सकता है।

सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 के उपवर्ग (2) के अनुसार, संसद की मंजूरी से ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव किया जा सकता है। यहां तक कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जिन 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में डालने का फैसला किया है, उन समुदायों को अब न तो अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत मिलने वाले लाभ हासिल होंगे और न ही अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले लाभ हासिल हो पाएंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति की सूची में बदलाव करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जून को जिला मजिस्ट्रेटों और आयुक्तों को आदेश दिया था कि वे अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों- कश्यप, राजभर, धीवर, बिंद, कुम्हार, कहार, केवट, निषाद, भार, मल्लाह, प्रजापति, धीमर, बठाम, तुरहा, गोड़िया, मांझी और मचुआ को जाति प्रमाणपत्र जारी करें।

थावर चंद गहलोत ने कहा, राज्य सरकार को समुचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए अन्यथा ऐसे कदमों से मामला अदालत में पहुंच सकता है।

लेखिका सारा अबूबकर ने साहित्य चोरी के मामले में कानूनी लड़ाई जीती

मंगलुरु, 2 जुलाई (भाषा)।

जानी-मानी कन्नड़ लेखिका सारा अबूबकर ने फिल्म 'ब्यारी' के निर्माताओं के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीत ली है। 2011 की इस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था और लेखिका का दावा है कि फिल्म उनके बहुप्रशंसित उपन्यास 'चंद्रगिरिया तीरदल्ली' पर आधारित है।

कर्नाटक में बोली जाने वाली 'ब्यारी भाषा' में बनी यह पहली फिल्म है। केपी सुवीरन के निर्देशन में बनी इस फिल्म के निर्माता अतलाफ हुसैन हैं। इस फिल्म ने 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्णकमल जीता था। फिल्म में हुसैन ने भी अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म के निर्माता व निर्देशक के खिलाफ लेखिका ने अदालत का रुख किया था और कहा था कि फिल्म निर्माताओं ने बिना उनकी अनुमति के उनकी कहानी का इस्तेमाल किया।

सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का हलफनामा

राज्य में डॉक्टरों के 57 फीसद पद खाली

नई दिल्ली, दो जुलाई (भाषा)।

दिमागी बुखार जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हुए चौंकाने वाले खुलासे में राज्य सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार के जरिए संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत 12,206 पदों के लिए सिर्फ 5,205 डॉक्टर ही तैनात हैं।

कोर्ट में दिए गए हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि सरकार के जरिए संचालित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत क्षमता 19,155 के मुकाबले सिर्फ 5,634 नर्सों ही तैनात हैं। कोर्ट ने 24 जून को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और साफसफाई को लेकर एक हफ्ते में मौजूदा स्थिति से उसे अवगत कराए। मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद अदालत ने यह निर्देश दिया था। इस बीमारी के संदर्भ में राज्य सरकार ने कहा कि कुल 824 मामले सामने आएं हैं और कुल 157 मौत हुई हैं। इसमें हालांकि कहा गया कि यह नहीं पता कि दिमागी बुखार से हुई मौत के 215 मामलों में से 24 इस बीमारी से हुई हैं या नहीं। बिहार सरकार ने कहा कि राज्य में डॉक्टरों और नर्सों के क्रमशः 57 और 71 फीसद पद खाली हैं।

पोप फ्रांसिस नन मरियम थ्रेसिया को संत घोषित करेंगे

कोच्चि, 2 जुलाई (भाषा)।

पोप फ्रांसिस भारतीय नन मरियम थ्रेसिया चिरामल मनकिदियां को 13 अक्तूबर को संत घोषित करेंगे। उनके धर्मसंघ ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पोप ने एक जुलाई को वेटिकन में कार्डिनल की साधारण औपचारिक परिषद में मरियम थ्रेसिया को मान्यताप्राप्त संतों की सूची में शामिल किए जाने को स्वीकृति दे दी है।

सभा ने बताया कि संतों की सूची में उन्हें शामिल किए जाने का कार्यक्रम इस साल 13 अक्तूबर को सेंट पीटर्स स्क्वायर में होगा। बताया गया कि केरल की नन को एक प्रार्थना सभा के दौरान इंग्लैंड के जॉन हेनरी न्यूमैन, इतालवी जोसफीन वानिनी, स्विस मार्गुरेट बेज और ब्राजीलियाई इर्म डुलसे पोंट्स के साथ संत की सूची में शामिल किया जाएगा। नन का संबंध सायरो-मलाबार कैथोलिक चर्च से है।

उनका जन्म त्रिशूर के पुथेनचीरा में 26 अप्रैल को हुआ था और निधन आठ जून, 1926 को कुझीकट्टूसेरी में हुआ था।

आइआइटी हैदराबाद के छात्र ने की खुदकुशी

संगारेड्डी (तेलंगाना), 2 जुलाई (भाषा)।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के एक छात्र ने छात्रावास में पंखे से लटककर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। इस साल संस्थान में आत्महत्या की यह दूसरी घटना है। संगारेड्डी के पुलिस उपाधीक्षक पी श्रीधर रेड्डी ने बताया कि छात्र मार्क एंड्रयू चार्ल्स (20) सोमवार रात करीब 11 बजे छात्रावास के अपने कमरे में गया था। उन्होंने बताया कि उसके नहीं दिखने पर मंगलवार दोपहर उसके मित्रों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो वह पंखे से लटका मिला।

डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे छात्र ने कुछ दिन पहले अंतिम वर्ष की परीक्षा दी थी और अंतिम प्रजेंटेशन की तैयारी कर रहा था। वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के नारिया लंका क्षेत्र का रहने वाला था।

पुलिस को उसकी डायरी में एक सुसाइड नोट लिखा मिला है जिसमें उसने लिखा है कि शायद उसे अच्छे अंक न मिलें और दुनिया में असफलता का कोई भविष्य नहीं है। पुलिस ने बताया कि संभवतः अवसाद के कारण उसने यह कदम उठाया। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और शव को अंत्य परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है।

छेड़खानी रोकने के लिए

छात्र-छात्राओं को अलग-अलग दिन आने का स्कूल ने दिया निर्देश

मालदा (पश्चिम बंगाल), 2 जुलाई (भाषा)।

छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के एक सरकारी स्कूल ने एक 'बेहद अजीब' सा निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत छात्र-छात्राएं अलग-अलग दिनों में स्कूल आएंगे। मालदा के हबीबपुर क्षेत्र के गिरिजा सुंदरी विद्या मंदिर के फैसले पर प्रशासन ने ऐतराज जताया है। उन्होंने इस कदम को 'अजीब' बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की।

इस स्कूल के प्रधानाध्यापक रविंद्रनाथ पांडे ने दावा किया कि छेड़खानी की कई घटनाएं सामने आने के बाद स्कूल इस कदम को उठाने के लिए मजबूर था। पांडे ने कहा कि यह फैसला किया गया कि लड़कियां सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को और लड़के मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को कक्षाओं में आएंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA.)

SBC EXPORTS LIMITED

CIN: U18100UP2011PLC043209

Our Company was incorporated as "SBC Exports Limited" on January 18, 2011 at Uttar Pradesh as a Public Limited Company under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated January 18, 2011 issued by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh and Uttarakhand and Later on, the Certificate of Commencement of Business was issued on 23rd February, 2011 by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh and Uttarakhand. For further details of incorporation, change of name and registered office of our Company, please refer to chapter titled "General Information" and "Our History and Corporate Structure" beginning on page 51 and page 142 respectively of the Prospectus.

Registered Office: House No.-20, Lohiya Talab, Choti Basahi, P.O. Vindhyachal Mirzapur, Uttar Pradesh-231307
Corporate office: 49/95, Sahibabad Industrial Area Site 4, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201010
Tel: 0120-2895246; **Email:** info@sbcel.com; **Website:** www.sbcexportslimited.com; **Contact Person:** Mr. Hari Om Sharma, Company Secretary & Compliance Officer
Promoters of the Company: Mr. Dheerendra Kumar Gupta and Mrs. Deepika Gupta

BASIS OF ALLOTMENT

PUBLIC ISSUE OF 29,82,000 EQUITY SHARES OF A FACE VALUE OF RS. 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF SBC EXPORTS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "SBC" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 22/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 12 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS. 656.04 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH UPTO 1,50,000 EQUITY SHARES AT AN ISSUE PRICE OF RS. 22 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 33.00 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF UPTO 28,32,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10.00 EACH AT AN ISSUE PRICE OF RS. 22 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 623.04 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 28.18% and 26.76%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS RS. 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS RS. 22/- EACH I.E. 2.20 TIMES OF THE FACE VALUE.

ISSUE **OPENED ON: JUNE 24, 2019** **ISSUE CLOSED ON: JUNE 26, 2019**

The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE") in terms of the Regulation 281 read with Regulation 103(1) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principal approval from BSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated May 30, 2019. **BSE shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is proposed to be commenced on July 04, 2019** (Subject to receipt of listing and trading approvals from the BSE Limited).

The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category shall be made pursuant to Regulation 281 read with Regulation 129(4) and Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public shall initially be made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public shall be made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All Investors have participated in the Issue through **APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA")** process by providing the details of their respective bank accounts in which the corresponding application amounts were blocked by Self Certified Syndicate Banks (the "SCSBs").

SUBSCRIPTION DETAILS

The Issue has received 239 applications for 38,52,000 Equity Shares (Including Market Maker Application of 1,50,000 Equity Shares) resulting 1.292 times subscription. 15 applications of aggregating 1,92,000 Equity Shares were not banked hence 224 applications for 36,60,000 Equity Shares (Including Market Maker Application of 1,50,000 Equity Shares) resulting 1.227 times subscription was considered. The details of the applications received in the Issue (before technical rejections) are as follows:

Detail of the Applications Received (Before Technical Rejection & withdrawal of application):

Category	NUMBER OF APPLICATIONS	NUMBER OF EQUITY SHARES	SUBSCRIPTION
Market Makers	1	1,50,000	1.000
Other than Retail Individual Investor's	50	24,72,000	1.746
Retail Individual Investor's	173	10,38,000	0.733
TOTAL	**224**	**36,60,000**	**1.227**

The details of applications rejected by the Registrar on technical grounds (including withdrawals) are detailed below:

Category	NUMBER OF APPLICATIONS	NUMBER OF EQUITY SHARES
Market Makers	Nil	Nil
Other than Retail Individual Investor's	Nil	Nil
Retail Individual Investor's	8	48,000
TOTAL	**8**	**48,000**

Details of the Valid Applications Received (After Technical Rejection & withdrawal):

Category	NUMBER OF APPLICATIONS	NUMBER OF EQUITY SHARES	SUBSCRIPTION
Market Makers	1	1,50,000	1.000
Other than Retail Individual Investor's	50	24,72,000	1.746
Retail Individual Investor's	165	9,90,000	0.699
TOTAL	**216**	**36,12,000**	**1.211**

ALLOCATION: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange - BSE Limited on 1st July, 2019.

A. Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue price of Rs. 22/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.000 time. The total number of shares allotted in this category is 1,50,000 Equity shares in full out of reserved portion of 1,50,000 Equity Shares.

B. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue price of Rs. 22/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 0.699 times. Total number of shares allotted in this category is 9,90,000 Equity Shares against reserved portion of 14,16,000 Equity Shares and balance 4,26,000 Equity Shares were spilled over to Non Retail Category. The category wise basis of allotment is as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. Of Applications	% to total	Total No. of Equity Shares applied	% of total	Proportionate Shares Available	Allocation per Applicant (Before Rounding Off)	Allocation per Applicant (After Rounding Off)	Ratio of Allottees To The Applicants	Total No. of Equity Shares allotted	Surplus/ (Deficit)
6000	165	100	9,90,000	100	14,16,000	6,000	6,000	Firm	9,90,000	(4,26,000)
TOTAL	**165**	**100**	**9,90,000**	**100**	**14,16,000**				**9,90,000**	**(4,26,000)**

C. Allocation to Non Retail Investors (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to the Non Retail Investors, at the Issue price of Rs. 22/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.746 times. Total number of shares allotted in this category is 18,42,000 Equity Shares including spill over of 4,26,000 Equity Shares from Retail Category. The category wise basis of allotment is as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. Of Applications	% to total	Total No. of Equity Shares applied	% of total	Proportionate Shares Available	Allocation per Applicant (Before Rounding Off)	Allocation per Applicant (After Rounding Off)	Ratio of Allottees To The Applicants	Total No. of Equity Shares allotted	Surplus/ (Deficit)
12,000	12	24	1,44,000	5.83	1,07,301	8,941.75	6,000	Firm	72,000	(35,301)
							6,000	1:2	36,000	36,000
18,000	6	12	1,08,000	4.37	80,476	13,412.67	12,000	Firm	72,000	(8,476)
							6,000	1:6	6,000	6,000
24,000	6	12	1,44,000	5.83	1,07,301	17,883.5	18,000	Firm	1,08,000	699
30,000	1	2	30,000	1.21	22,354	22,354	24,000	Firm	24,000	1,646
36,000	9	18	3,24,000	13.11	2,41,427	26,825.22	24,000	Firm	2,16,000	(25,427)
							6,000	4:9	24,000	24,000
42,000	2	4	84,000	3.40	62,592	31,296	30,000	Firm	60,000	(2,592)
48,000	3	6	1,44,000	5.83	1,07,301	35,767	36,000	Firm	1,08,000	699
66,000	2	4	1,32,000	5.34	98,359	49,179.50	48,000	Firm	96,000	(2,359)
72,000	2	4	1,44,000	5.83	1,07,301	53,650.50	54,000	Firm	1,08,000	699
96,000	1	2	96,000	3.88	71,534	71,534	72,000	Firm	72,000	466
1,20,000	3	6	3,60,000	14.56	2,68,252	89,417.33	90,000	Firm	2,70,000	1,748
1,26,000	1	2	1,26,000	5.10	93,888	93,888	96,000	Firm	96,000	2,112
1,80,000	1	2	1,80,000	7.28	1,34,126	1,34,126	1,32,000	Firm	1,32,000	(2,126)
4,56,000	1	2	4,56,000	18.45	3,39,788	3,39,788	3,42,000	Firm	3,42,000	2,212
TOTAL	**50**	**100**	**24,72,000**	**100**	**18,42,000**				**18,42,000**	**-**

The Board of Directors of the Company at its meeting held on July 2, 2019, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. BSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before July 3, 2019. Further, the instructions to Self Certified Syndicate Banks will be processed on or before July 3, 2019 for unblocking of funds. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the SME Platform of BSE Limited within 6 working days from the Closure of the Issue. **The trading is proposed to be commenced on July 04, 2019 subject to receipt of listing and trading approvals from BSE Limited.**

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated June 04, 2019 ("Prospectus").

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, **BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED at Website: www.bigshareonline.com**

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole Applicant, Serial number of the Application Form, Number of Shares Applied for and Bank Branch where the Application had been lodged and payment details at the address given below:

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400059, Maharashtra, India.
Tel: +91 022 - 62638200; **Fax:** +91 022 - 62638299;
Email: ipo@bigshareonline.com; **Website:** www.bigshareonline.com
SEBI Registration No: INR000001385
Contact Person: Mr. Babu Rapheal

For SBC Exports Limited
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mr. Dhereendra Kumar Gupta
Managing Director

Place: Mirzapur, Uttar Pradesh
Date: July 02, 2019

LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SBC EXPORTS LIMITED.

SBC EXPORTS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Uttar Pradesh. The Prospectus shall be available on the websites of the Company, the BSE and the Lead Manager at www.sbcexportslimited.com, www.bseindia.com and www.navigantcorp.com respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including, the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 25 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (i) within the United States to persons reasonably believed to be qualified institutional investors (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) pursuant to Rule 144A under the U.S. Securities Act and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales occur.

Sunjeet Comm.

POST-OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18 (12) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011

Open offer by Larsen & Toubro Limited ("Acquirer") to acquire up to 5,13,25,371 (Five Crore Thirteen Lakh Twenty Five Thousand Three Hundred and Seventy One) Equity Shares ("Offer Shares") representing 31.00% (Thirty One Percent) of the Voting Share Capital, under the SEBI SAST Regulations, to the Shareholders of Mindtree Limited ("Target Company") at per Equity Share price of Rs. 980 (Rupees Nine Hundred and Eighty only) ("Offer")

This post-offer advertisement ("**Post Offer Advertisement**") is being issued by Axis Capital Limited and Citigroup Global Markets India Private Limited ("**Managers to the Offer**"), for and on behalf of the Acquirer, pursuant to and in accordance with Regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (as amended) ("**SEBI SAST Regulations**") in respect of the Offer. This Post Offer Advertisement should be read in continuation of and in conjunction with:

(a) the public announcement in connection with the Offer, made by the Managers to the Offer on behalf of the Acquirer to NSE and BSE on March 18, 2019 ("**Public Announcement**");

(b) the detailed public statement in connection with the Offer, published on March 26, 2019in the following newspapers: (i) Financial Express (all editions); (ii) Jansatta (all editions); (iii) Vishwavani (Bangalore edition); and (iv) Navshakti (Mumbai edition) ("**DPS**"); and

(c) the letter of offer dated June 6, 2019 in connection with the Offer ("**Letter of Offer**");

(d) the offer opening public announcement and corrigendum in connection with the Offer, published on June 14, 2019 in the following newspapers:(I) Financial Express (all editions); (ii) Jansatta (all editions); (iii) Navshakti (Mumbai edition); (iv) Vishwavani (Bangalore edition); (v) The Times of India (all editions); (vi) Gujarat Samachar (all editions); and (vii) The Economic Times (all editions);

(e) the corrigendum in connection with the Offer, published:(A) on June 21, 2019 in the following newspapers: (i) Financial Express (all editions), (ii) Jansatta (all editions), (iii) Navshakti (Mumbai edition), (iv) Vishwavani (Bangalore edition), (v) The Times of India (all editions except Surat, Aurangabad, Kolhapur and Nashik editions), (vi) Gujarat Samachar (all editions), and (vii) The Economic Times (all editions except Jaipur, Chandigarh, Lucknow and Madhya Pradesh editions); and (B) on June 24, 2019 in the following newspapers: (i) The Times of India (Surat, Aurangabad, Kolhapur and Nashik editions) and (ii) The Economic Times (Jaipur, Chandigarh, Lucknow and Madhya Pradesh editions).

Capitalised terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

1.	**Name of the Target Company**	**Mindtree Limited**
2.	Name of the Acquirer(s) and PAC	Larsen & Toubro Limited is the Acquirer. The Acquirer does not have any 'person acting in concert' with it, as defined in Regulation 2(1)(q)(1) of the SEBI SAST Regulations, for the purpose of this Offer.
3.	Name of the Manager to the Offer	Axis Capital Limited and Citigroup Global Markets India Private Limited
4.	Name of the Registrar to the Offer	Link Intime India Private Limited
5.	Date of opening of the Offer	Monday, June 17, 2019
	Date of closure of the Offer	Friday, June 28, 2019
6.	Date of payment of consideration pursuant to the Offer	July 2, 2019

7. Details of acquisition:

	Particulars	Proposed in the Offer Document		Actuals	
7.1.	Offer Price	Rs. 980		Rs. 980	
7.2.	Aggregate number of shares tendered in the Offer	5,13,25,371		6,11,86,943	
7.3.	Aggregate number of shares accepted in the Offer	5,13,25,371		5,13,25,371	
7.4.	Size of the Offer (Number of Offer Shares multiplied by Offer Price per Offer Share)	Rs. 5,030 crore		Rs. 5,030 crore	
7.5.	Shareholding of the Acquirer before agreements/Public Announcement (No. & %)	NIL		NIL	
7.6.	Shares acquired by way of agreements (SPA)				
	• Number	3,33,60,229[A]		3,27,60,229[B]	
	• % of the Voting Share Capital	20.15%		19.79%	
7.7	Shares acquired by way of market purchase				
	• Number	2,48,34,858[A]		1,46,93,579[B]	
	• % of the Voting Share Capital	15.00%		8.87%	
7.8.	Shares acquired by way of the Offer				
	• Number	5,13,25,371[C]		5,13,25,371	
	• % of the Voting Share Capital	31.00%		31.00%	
7.9.	Shares acquired by the Acquirer after the DPS				
	• Number of shares acquired	5,81,95,087[A]		4,74,53,808[B & D]	
	• Price of the shares acquired	See note 1 below			
	• % of the shares acquired	35.15%		28.66%	
7.10.	Post offer share holding of the Acquirer				
	• Number	10,95,20,458[E]		9,87,79,179[F]	
	• % of the Voting Share Capital	66.15%		59.66%	
7.11.	Pre & Post offer shareholding of the public shareholders of the Target Company*	Pre-Offer	Post-Offer	Pre-Offer	Post-Offer
	• Number	11,03,27,768	3,41,67,539	11,09,27,768	4,35,57,145
	• % of the Voting Share Capital	66.64%	20.64%	67.00%	26.31%

* Public shareholders (other than parties to the agreement and the Acquirer)

A. The Offer was made by the Acquirer pursuant to the Share Purchase Agreement and the Purchase Order *(both as defined in the Letter of Offer)*. The Share Purchase Agreement and the Purchase Order contemplated acquisition of 3,33,60,229 and 2,48,34,858 Equity Shares respectively by the Acquirer.

B. The Acquirer has acquired 3,27,60,229 Equity Shares, pursuant to the Share Purchase Agreement, on April 30, 2019, by way of a block deal on BSE. The Acquirer has acquired 1,46,93,579 Equity Shares, pursuant to the Purchase Order via open-market, as on July 2, 2019.

C. Assuming full acceptance of the Offer.

D. The Equity Shares acquired by the Acquirer to date have been acquired after the expiry of 21 Working Days from the date of the DPS (in accordance with the provisions of Regulation 22(2) of the SEBI SAST Regulations).

E. Comprising of (i) 3,33,60,229,(ii) 2,48,34,858 and (iii) 5,13,25,371Equity Shares proposed to be acquired respectively pursuant to the Share Purchase Agreement, Purchase Order and the Offer.

F. Comprising of (i) 3,27,60,229, (ii) 1,46,93,579 and (iii) 5,13,25,371 Equity Shares acquired respectively pursuant to the Share Purchase Agreement, Purchase Order and the Offer.

Note 1 :

The Acquirer has acquired 3,27,60,229 Equity Shares, pursuant to the Share Purchase Agreement at Rs 980 per Equity share and 1,46,93,579 Equity shares pursuant to the Purchase via open-market as per the table given below –

Date	No. of Equity Shares acquired by the Acquirer	Average Price per Equity Share (INR)
April 30, 2019	22,474	979.91
May 2, 2019	29,167	979.72
May 3, 2019	87,875	970.96
May 6, 2019	11,59,261	979.93
May 7, 2019	14,66,531	979.93
May 8, 2019	37,58,776	979.96
May 9, 2019	33,05,775	980.00
May 14, 2019	1,168	972.00
May 16, 2019	8,86,438	979.81
May 17, 2019	13,440	979.98
May 20, 2019	73,953	979.99
May 21, 2019	71,835	979.97
May 22, 2019	1,29,063**	979.78
May 23, 2019	4,50,687	979.91
May 24, 2019	24,99,619	980.00
May 27, 2019	2,30,135	979.93
May 28, 2019	3,56,738	979.98
May 29, 2019	97,815	980.00
May 30, 2019	26,974	980.00
June 6, 2019	25,000	971.03
June 7, 2019	855	967.50

** While the disclosure made by the Acquirer pursuant to Regulation 18(6) of the SEBI SAST Regulations provides the number of Equity Shares purchased on May 22, 2019 as 1,29,065, the same has been reduced by 2 Equity Shares to 1,29,063 Equity Shares taking into account the short delivery of 2 Equity Shares out of the Equity Shares purchased on May 22, 2019 and the same has been reported to the Stock Exchanges and the Target Company on May 28, 2019.

8. Other Information:

8.1. The Acquirer and its board of directors accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement, and for the Acquirer's obligations under the Offer. Except as mentioned otherwise in this Post Offer Advertisement, all the information pertaining to the Target Company has been obtained from the information published and from publicly available sources and the accuracy thereof has not been independently verified by the Acquirer or Managers to the Offer.

8.2. In this Post Offer Advertisement, all references to "Rs." Or "INR" are references to the Indian Rupee.

8.3. This Post Offer Advertisement would also be available on the websites of SEBI, NSE and BSE and the Target Company's registered office.

Issued on behalf of the Acquirer by the Managers to the Offer:

AXIS CAPITAL
Axis Capital Limited
Axis House, 1st Floor, C-2, Wadia International Center, P. B. Marg, Worli, Mumbai 400 025
Tel: +91 22 43252183, Fax: +91 22 43253000,
Website:www.axiscapital.co.in
Email: ml.openoffer@axiscap.in
Contact person: Ms. Mayuri Arya
SEBI Registration Number: INM000012029

citi
Citigroup Global Markets India Private Limited
1202, 12th Floor, First International Financial Centre, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400098
Tel: +91 22 61759999, Fax: +91 22 61759898
Website:www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm
Email: mindtree.openoffer@citi.com
Contact person: Ms. Garima Maheshwari
SEBI Registration Number: INM000010718

Registrar to the Offer:

LINK Intime
Link Intime India Private Limited
C-101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083
Tel : + 91 22 49186200, Fax : + 91 22 49186195
Website: www.linkintime.co.in, Email: mindtree.offer@linkintime.co.in
Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande, SEBI Registration Number: INR000004058

On behalf of the Acquirer

Sd/-
Authorised Signatory

Date: July 2, 2019
Place: Mumbai

Adfactors 400

छह महीने में सिर्फ एक नैनो कार बिकी

नई दिल्ली, 2 जुलाई (भाषा)।

टाटा मोटर्स की छोटी कार नैनो का उत्पादन इस साल जनवरी से बंद है। वहीं फरवरी से कंपनी ने एक भी नैनो कार नहीं बेची है। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में यह जानकारी दी है। हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उसने इस प्रवेश स्तर की कार का उत्पादन बंद करने के बारे में औपचारिक तौर पर कोई फैसला नहीं किया है। कभी नैनो को लोगों की कार कहा जाता था। कंपनी ने कहा है कि वह मांग के अनुरूप इस कार की बिक्री करती रहेगी। टाटा मोटर्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उसने दिसंबर, 2018 में आखिरी बार नैनो का उत्पादन किया था। उस समय साणंद कारखाने से 82 नैनो बाहर आई थीं। बिक्री की बात की जाए, तो जनवरी से जून की अवधि में कंपनी सिर्फ फरवरी महीने में एक नैनो कार बेच पाई है।

ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने माल्या को प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील की मंजूरी दी

लंदन, 2 जुलाई (भाषा)।

ब्रिटेन के हाई कोर्ट में संकट में फंसे भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या के मामले पर मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई। विजय माल्या ने ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद की ओर से उनके प्रत्यर्पण के आदेश पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी है। हाई कोर्ट ने इस पर माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की मंजूरी दे दी।

माल्या को 9,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के मामले का सामना

माल्या ने कहा, हमारा रुख सही साबित हुआ

करने के लिए भारत को प्रत्यर्पित किया जाना है। बंद हो चुकी किंगफिशर एअरलाइंस के पूर्व प्रमुख 63 साल के विजय माल्या ने एक बयान में कहा कि जब उन्होंने रॉयल्स कोर्ट आफ जस्टिस में प्रवेश किया, उस समय वह काफी सकारात्मक महसूस कर रहे थे। अदालत ने न्यायमूर्ति जॉर्ज लेगाट और एंड्रू पॉपलवेल ने माल्या की वकील क्लेयर मांटगोमेरी की दलीलें सुननी शुरू कीं हैं। वह पहले ही दस्तावेज के जरिए अपील करने की छूट के मामले में ब्रिटेन के हाई कोर्ट में हार चुके हैं। अब हाई कोर्ट ने माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की मंजूरी दे दी है। उधर विजय माल्या ने मंगलावार को कहा कि 'उनकी बात सही ठहराई गई है।' बंद हो चुकी किंगफिशर एअरलाइन के पूर्व प्रमुख ने लंदन में रॉयल कोर्ट आफ जस्टिस के बाहर संवाददाताओं से कहा कि वह हमेशा कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं। माल्या ने साथ ही भारतीय बैंकों का बकाया राशि चुकाने की अपनी पेशकश को दोहराया।

बैंक धोखाधड़ी : सिंभावली शुगर की 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली, 2 जुलाई (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक कर्ज धोखाधड़ी और उससे जुड़े धनशोधन मामले में सिंभावली शुगर्स लिमिटेड की 110 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। एजंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सिंभावली देश की सबसे बड़ी चीनी मिलों में से एक है।

ईडी ने बताया कि धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सिंभावली शुगर्स की आसवनी इकाई की मशीन, जमीन और इमारत जैसी संपत्तियों को कुर्क करने का अंतरिम आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत कुल 109.8 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। धोखाधड़ी के इस मामले की जांच सीबीआइ भी कर रही है। सीबीआइ ने गन्ना किसानों को वित्तीय मदद देने के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में सिंभावली शुगर्स लि. और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने सीबीआइ की प्राथमिकी पर संज्ञान लेते हुए पीएमएलए के तहत कंपनी के खिलाफ मार्च 2018 में मामला दर्ज किया था। आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद भी ईडी ने पिछले साल छापेमारी की थी।

सीबीआइ की प्राथमिकी के मुताबिक बैंक ने कंपनी को 5,762 किसानों की सहायता के लिए 148.59 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था लेकिन कंपनी ने इस पैसे का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया। सीबीआइ ने कंपनी के चेयरमैन गुरमीत सिंह मान, उपप्रबंध निदेशक गुरपाल सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीएससी राव, सीएफओ संजय तापड़िया, कार्यकारी निदेशक गुरसिमरन कौर मान और पांच गैर-कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गुरपाल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के दामाद हैं।

ईडी ने कहा- जांच में पाया गया है कि कंपनी ने कर्ज के पैसों को घुमा-फिराकर दूसरे खातों में डाला और अंत में इसका उपयोग बाहरी वाणिज्यिक उधारी, परिचालन व्यय और गन्ने की बकाया राशि समेत बकाया कर्ज के भुगतान में किया गया। कंपनी को इस तरह के भुगतान अपनी आय से करने चाहिए थे। ईडी ने कहा कि ग्राहक को जानो (केवाइसी) दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं थीं। कंपनी पर 98.7 करोड़ रुपए के बकाया मूलधन के साथ इस कर्ज खाते को एनपीए (अवरुद्ध) घोषित कर दिया गया।

शेयर सूचकांक 130 अंक मजबूत

मुंबई, 2 जुलाई (भाषा)।

घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही। निवेशकों को शुक्रवार को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में सुधारों को आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद में बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 130 अंक मजबूत हुआ। तेल, गैस, आइटी व वित्तीय कंपनियों के शेयरों की अगुआई में बाजार में तेजी आई।

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में दोनों प्रमुख सूचकांक दिन के कारोबार में ज्यादतार समय दबाव में थे। विनिर्माण के कमजोर आंकड़े, जीएसटी संग्रह में गिरावट, मानसून की धीमी प्रगति और वैश्विक आर्थिक वृद्धि को लेकर चिंता निवेशकों की सोच पर छाए हुए हैं। लेकिन बजट की संभावनाओं से बाजार अंत में सुधार के साथ बंद हुआ।

तीस शेयरों वाला सूचकांक 129.98 अंक की तेजी के साथ 39,816.48 अंक पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान यह 39,838.49 से 39,499.19 अंक के दायरे में रहा। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 44.70 अंक की बढ़त के साथ 11,910.30 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी ऊंचे में 11,917.45 तक और नीचे में 11,814.70 अंक तक गया था।

सूचकांक के लाभ में रहे शेयरों में ओएनजीसी, एचडीएफसी, भारती एअरटेल, इन्फोसिस, मारुति, एचसीएल टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचयूएल, टेक महिंद्रा और एसबीआइ प्रमुख हैं। इनमें 2.89 फीसद तक की तेजी आई। इसके उलट यस बैंक में 7.60 फीसद की गिरावट आई। निजी क्षेत्र के इस बैंक के 1,200 करोड़ रुपए के बांड के ब्याज के भुगतान में चूक करने की खबर से इसके शेयर में बिकवाली का जोर था। नुकसान में रहने वाले अन्य शेयरों में टाटा मोटर्स, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, बजाज आटो, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और हीरो मोटो कार्प प्रमुख हैं। इनमें 2.47 फीसद तक की गिरावट आई।

कृषि निर्यात बढ़ाने को सहकारी क्षेत्र निर्यात संवर्द्धन मंच बनाया

नई दिल्ली, 2 जुलाई (भाषा)।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को सहकारी क्षेत्र निर्यात संवर्द्धन मंच (सीएसईपीएफ) की स्थापना की घोषणा की। इसके पीछे मकसद 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना कर 60 अरब डॉलर पर पहुंचाना है।

गोयल ने कहा कि पहले 'अंतरराष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले' का आयोजन राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 11 से 13 अक्तूबर तक किया जाएगा। इस मेले के आयोजन का उद्देश्य सहकारिताओं से निर्यात को प्रोत्साहन देना है। देश में आठ लाख से अधिक सहकारी संस्थान हैं। देश के 15 करोड़ किसानों में से 94 फीसद किसी न किसी सहकारी निकाय के सदस्य हैं।

गोयल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीएसईपीएफ की स्थापना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) में की गई है। यह निर्यात के क्षेत्र में 20 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ काम करेगा। जहां तक निर्यात की बात है तो सहकारिताएं अभी शुरुआती अवस्था में हैं। ऐसे में सरकार का लक्ष्य उन्हें एक साथ लाने और वैश्विक बाजारों के लिए उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहित करने का है।

AXIS BANK

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

एक्सिस बैंक लिमिटेडः एक्सिस हाउस, टावर-2, 2रा तल, आई-14, सेक्टर-128 नोएडा एक्सप्रैसवे, जयपी ग्रीन्स, विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-201301
नियंत्रण कार्यालयः एक्सिस हाउस, बाम्बे डाइंग कम्पाउण्ड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई-400025

प्रतिभूत हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि श्री शान्ति स्वरूप बत्रा से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाया राशि की भुगतान एवं अथवा वसूली की वास्तविक तिथि तक यथा लागू ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागतों, चार्जेज आदि के साथ 27.6.2019 को बकया रु. 1,62,33,039/- की वसूली के लिये प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की 20.7.2019 को एक्सिस हाउस, टावर-2, 2रा तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रैसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-201301 में 11.30 बजे पूर्वा. में "जैसा है जहां है", "जो भी जैसा है" तथा "जो भी वहां है" आधार पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 1,07,35,833/- तथा धरोहर राशि रु. 1073583.30/- है। ऊपर वर्णित पते पर ईएमडी के साथ मुहरबंद प्रस्ताव/निविदा के साथ बोली जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थानः 19.07.2019

खाता संख्या	कब्जा में ली गई तथा बिक्री की जाने वाली अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्तिय विवरण
LTR079202112547 एवं LPR012601872094 (LAP)	रेलवे बोर्ड एम्प्लॉबीज को-ऑपेरिटव हाउस बिल्डिंग सोसयटी लिमिटेड, आनंद विहार, दिल्ली-110092 के नाम से विदित कॉलोनी की ले आउट प्लान में स्थित बिजली तथा वाटर टैप कनैक्शनों से युक्त सीढ़ियों, पैसेज एवं अन्य समान्य सुख सुविधाओं के उपयोग के सभी अधिकार के साथ उस पर स्थित सभी फिटिंग्स, साजो-सामान, कनैक्शनों, स्ट्रक्चर्स के साथ नीचे की भूमि में आनुपातिक अविभाजित, इन्डिवायजेवल तथा इम्पार्टिवल स्वामित्व अधिकारों के साथ सम्पूर्ण दूसरा तल, छत के अधिकारों अर्थात् फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. डी-298, क्षेत्रफल माप 183.33 वर्ग यार्ड्स अर्थात् 153.34 वर्ग मी. की अंतिम मंजिल तक निर्माण करने के अधिकार के साथ।
बैंक को ज्ञात अधिभार, यदि कोई हो	
ज्ञात नहीं	

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् **https://www.axis-bank.com/auction-notices** में दी गई लिंक देखें।

तिथिः 3.7.2019 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः नोएडा एक्सिस बैंक लि.

UBN-PSD1920GLRC0002

निदेशालय, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
3001 **सी-स्कीम, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर** 27/6/19

विभिन्न प्रकार के कागज क्रय करने हेतु अल्पकालीन ई-बिड सूचना

सभी राजकीय मुद्रणालयों के लिये समय-समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के कागज क्रय करने हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन ई प्रोक्योरमैन्ट टू बिड पद्धति द्वारा दर संविदा हेतु अल्पकालीन ई-बिड आमंत्रित की जाती है। बिड से सम्बन्धित समस्त विवरण व शर्तें वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

हस्ता./-
DIPR/C/5100/2019 निदेशक

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171

समक्ष वसूली अधिकारी-प्रथम ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

मॉग तथा उपस्थित होने की सूचना

(नोटिस अंतर्गत आयकर एक्ट 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 सपठित ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 29)

आर सी संख्या 157/2019, टी.ए. नं0 85/2018 डायरी संख्या..... दिनांकः 01.06.2019

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बनाम् मैसर्स ओम ब्रिक इंडस्ट्रीज एवं अन्य

सेवा में,

सीडी. 1: मैसर्स ओम ब्रिक इंडस्ट्रीज द्वारा प्रोपराइटर, ग्राम बरवाला में व्यापार, पो0 केलाखेरा, तहसील उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड.

सीडी. 2: संजीव कुमार पाठक पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी बरवाला, पो0 केलाखेरा, तहसील बाजपुर, जिला उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड.

सीडी. 3: कुलदीप कुमार पाठक पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी बरवाला, पो0 केलाखेरा, तहसील बाजपुर, जिला उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड.

सीडी. 4: श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, ग्राम बरवाला, पो0 केलाखेरा, तहसील बाजपुर, जिला उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड.

सर्टिफिकेट डेब्टर

(i) यह सूचित करना है कि आप पर रू0 **45,89,690.96/- (पैंतालीस लाख नवासी हजार छः सौ नब्बे व छियानवे पैसे मात्र)** साथ में + वाद कालीन प्रभावी ब्याज, 12.00% से प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अन्य खर्चे कम वकाया शामिल होने की दिनांक से ओ.ए. किया जा रहा है दिनांक 16.11.2016 वसूली प्रमाणपत्र के टी0ए0 संख्या 85/2018 के अनुसार आपके विरूद्ध **रू0 94,650.00** का वाद व्यय सहित देय हैं। वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 05.03.2018 को जारी किया गया।

(ii) अधोहस्ताक्षरी इस बात पर संतुष्ट कि सामान्यतः मांग पत्र दिया जाना संभव नहीं है, अतः इस प्रकाशन के द्वारा यह सूचना दी जा रही है, जिसके अनुसार आपको यह निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना प्रकाशन के 15 दिन के भीतर उक्त राशि की अदायगी की जाए, अन्यथा ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार वसूली कार्यवाही की जाएगी।

(iii) उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरादायी होंगे। **कः** इस निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु देय ब्याज। **खः** इस सूचना को दिए जाने और इस प्रक्रिया में होने वाली सभी लागतें, प्रभार और व्यय, जिसे देय राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया में किया गया है।

(iv) यदि आप द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता उस स्थिति में आपको आदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 01.08.2019 को समय 11:00 पूर्वान्ह उपस्थित हो।

अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से दिनांक 01 जुन, 2019 को जारी।

ऋण वसूली अधिकारी-द्वितीय, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

आईएनसी-26

(कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एवं

केसरी नन्दन बालाजी सिक्यूरिटी एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड *CIN-U93000DL2009PTC187514* जिसका पंजीकृत कार्यालय के-128 रंजीत सदन, तीसरी मंजिल, शाप न० 408, मोहम्दपुर, नई दिल्ली- 110066 इण्डिया में स्थित है, के मामले में ...याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत कम्पनी के मैमोरन्डम ऑफ एसोशियेसन में बदलाव कर 29.06.2019 को सम्पन्न विशेष सामान्य साधारण बैठक में पारित विशेष संकल्प के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तावित है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऑफ दिल्ली" से "गुजरात राज्य" में बदला जा सके।**

किसी भी व्यक्ति का कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव से हित प्रभावित होता हो तो वह अपने विरोध के हित के स्वभाव एवं आधारों को शपथ पत्र के साथ पंजीकृत डाक द्वारा या तो एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र में क्षेत्रीय निदेशक के पते बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजाओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 011-24366038 फैक्स : 011-24366039 पर इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रेषित कर साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके निम्न वर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजे।

केसरी नन्दन बालाजी सिक्यूरिटी एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
के-128 रंजीत सदन, तीसरी मंजिल, शाप न० 408, मोहम्दपुर, नई दिल्ली- 110066 इण्डिया

आवेदक की ओर से उनके लिए
हस्ता०/-
नीलेश कनसारा बालकृष्णा
निदेशक
DIN No: 07580304
शारनेश्वर लेन, एम० जी० रोड, मांडवी,
बड़ोदरा 390001 गुजरात इण्डिया

स्थान: दिल्ली
तिथि: 02.07.2019

सार्वजनिक सूचना

अनेजा हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 88-सी, सिविल लाइन्स, बरेली, उत्तर प्रदेश-243001

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/122डीएनबीआर (पीडी) सीसी नं. 065/03.10.001/2015-16 दिनांक 9 जुलाई, 2015 के संदर्भ में, कंपनी ने अपने नियंत्रण और प्रबंधन (शेयरधारिता प्रतिरूप) में प्रस्तावित परिवर्तन हेतु आरबीआई का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आरबीआई, डीएनबीएस, कानपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में एक आवेदन किया था। आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 24 जून, 2019 के माध्यम से कंपनी के नियंत्रण में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित की प्रकृति एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि दर्शाते हुए लिखित में अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर आरबीआई को पोस्ट बॉक्स न0 82/142, एम.जी रोड, कानपुर-208001 के साथ ही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

कृते अनेजा हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
स्थानः उत्तर प्रदेश रिषभ अनेजा
दिनांकः 02.07.2019 निदेशक

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
एडवान्टेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, CIN: U34102HR1996PTC033057 जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 46, सेक्टर-25, फरीदाबाद, हरियाणा-121004 में स्थित है, के मामले में - आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य" से "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार, 27 मई, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते- बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
प्लॉट नं. 46, सेक्टर-25, फरीदाबाद, हरियाणा-121004

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
एडवान्टेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
स्थानः फरीदाबाद (सितन्दर सिंह बंगा)
तिथिः 1.7.2019 निदेशक
DIN: 00393620

एस्कॉर्ट्स
(CIN – L74899HR1944PLC039088)
MC2

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 73वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) **शनिवार, 27 जुलाई ,2019** को 10 बजे पूर्वा. में **रैडिसन ब्लू होटल, सेक्टर - 20 ब, मथुरा रोड, फरीदाबाद -121001, हरियाणा** में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की आमंत्रण सूचना में वर्णित व्यवसायों का निष्पादित किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अंतर्गत एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें **14 जुलाई, 2019 से 27 जुलाई, 2019** (दोनों दिवस सहित) तक उक्त एजीएम में, यदि घोषित होता है, रु.**2.50** प्रति शेयर (**25%**) की दर से लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य विषयों के साथ **31 मार्च, 2019** को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखाओं तथा उस पर ऑडिटरों तथा निदेशकों के रिपोर्ट्स शामिल हैं, की स्वीकृत प्रक्रिया में प्रेषण का कार्य **01 जुलाई,2019** को पूरा कर लिया है। इन दस्तावेजों को कंपनी की वेबसाईट अर्थात **www.escortsgroup.com** पर अपलोड किया गया है।

आपकी कंपनी ने कार्वी कंप्यूटर शेयर प्रा. लि. (कार्वी) के द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तुत किया है जिससे आप एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों के संदर्भ में इलेक्ट्रोनिक रूप से अपना मतदान करने में सक्षम होंगे। आपको सलाह दी जाती है कि कंपनी की वेबसाईट **(www.escortsgroup.com)** तथा कार्वी की वेबसाईट **https://evoting.karvy.com** पर अपलोड की गई एजीएम की सूचना की टिप्पणियों में शामिल वोटिंग से संबंधित निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें।

ई-वोटिंग का विवरण इस प्रकार है।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए कट ऑफ तिथि	**20 जुलाई,2019**
रिमोट ई-वोटिंग की अवधि	ई-वोटिंग की अवधि **24 जुलाई ,2019** को 9.00 पूर्वा. बजे शुरू होगी तथा **26 जुलाई ,2019** को 5.00 बजे सायं में बंद होगी। **उसके बाद मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग पद्धति कार्वी के द्वारा अवरुद्ध कर दी जाएगी।**

यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित किए हों तथा रिमोट ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं तथा रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक हों,वे ईमेलआईडी **evoting@karvy.com** पर कार्वी के श्री **रमेश देशाई** एवं टोल फ्री नं. 1800-3454-001 अथवा **escoshare@escorts.co.in** एवं फोन न. 0129-2250222 पर अधोहस्ताक्षरी के पास अनुरोध भेजकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किए हों, उनके लिए एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा पहले ही मतदान कर दिए हों, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं।

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के लिए
हस्ता.
अजय शर्मा
ग्रुप जनरल काउंसल
एवं कंपनी सचिव

पंजी. कार्यालयः
15/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003
तिथिः 02 जुलाई ,2019

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
Container Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
ICD, Tughlakabad, New Delhi -110 020

निविदा सूचना (केवल ई-टेंडर के माध्यम से)

कॉनकॉर ई-टेंडरिंग मोड के माध्यम से "आईसीडी/डीडीएल (लुधियाना) पंजाब में अग्निशमन और फायर अलार्म सिस्टम के संचालन और व्यापक रखरखाव के लिए एएमसी हेतु स्थापित, अनुभवी और विश्वसनीय बोलीदाताओं से एकल बोली प्रणाली के तहत ऑनलाइन ओपन ई- निविदा आमंत्रित करता है। बोली दस्तावेज ऑनलाइन द्वारा ₹ 1000/- के भुगतान पर ही वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) से डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा संख्या	कॉन/एनआर/आईसीडी/डीडीएल/टीईसीएच/ओ एण्ड एम फायर फाईटिंग सिस्टम/2018
अनुमानित लागत	₹ 45,00,000/-
अनुबंध की अवधि	तीन (3) वर्ष, (24 महीने + 12 महीने)
धरोहर जमा राशि	₹ 90,000/- ई-भुगतान के माध्यम से
दस्तावेज का मूल्य	₹ 1000/- सभी कर एवं ड्यूटियों सहित ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	₹ 2655/-सभी कर एवं ड्यूटियों सहित ई-भुगतान के माध्यम से (अप्रतिदेय)
निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	03.7.2019 को, 11:00 बजे से 24.7.2019 को, 14:00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	24.07.2019 17:00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि और समय	25.07.2019 को 15:00 बजे

योग्यता अर्हतायें तथा अन्य मानदंडों हेतु कृपया **www.concorindia.com** या **eprocure.gov.in** अथवा **www.tenderwizard.com/CCIL** पर लॉगऑन करें। निविदा दाताओं से वेबसाइट नियमित रूप से देखने का अनुरोध है। कॉनकॉर बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

कार्यकारी निदेशक /उत्तरी क्षेत्र

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

प्रधान कार्यालय सामान्य सेवाऐं प्रशासन अनुभाग
प्रथम तल, प्लाट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली -110075
निविदा सूचना

पंजाब नैशनल बैंक पात्र बोली दाताओं से **प्रधान कार्यालय बिल्डिंग, प्लॉट संख्याः 4, सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075, के डक्टेबल एएचयु एवं कैसेट प्रकार के वातानुकूलित प्रणाली की सप्लाई, इंस्टालेशन, परिक्षण तथा कमीशन** के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है। कार्य की अनुमानित लागत रु.20.85 लाख एवं बयाना राशि (ईएमडी) रु.21,000/- है। निविदा की लागत रु. 2360/- (18% की जीएसटी दर सहित) है। री-एनक्रिप्शन एवं बोली जमा करने की अंतिम तिथि 24.07.2019 को दोपहर 2.00 बजे तक है।

विस्तृत विवरण हेतु हमारी वैबसाइट https://etender.pnbnet.in देखें।

उपरोक्त कार्य हेतु कोई भी शुध्दि पत्र / स्पष्टीकरण केवल हमारी वैबसाइट https://pnbindia.in एवं https://etender.pnbnet.in पर दिया जाएगा जिसे बोली दाता नियमित रूप से देखते रहें।

मुख्य प्रबंधक

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

कॉर्पोरेट वित्त शाखा, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित खाताओं के ऋणधारकों/गारन्टरों ने बैंक से ऋण सुविधाऐं प्राप्त की थी तथा उसके पुनर्भुगतान में चूक के कारण उनकी खाताओं को दर्शाई ग

खबर कोना

दुनिया भर में अब तक का सबसे गर्म रहा जून

पेरिस, 2 जुलाई (एएफपी)

दुनिया भर में पिछला महीना अब तक का सबसे गर्म जून दर्ज किया गया। पश्चिमी यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा द्वारा ली गई वैश्विक रीडिंग के अनुसार यूरोप का तापमान सामान्य से दो सेल्सियस अधिक गर्म दर्ज किया गया और पृथ्वी का वैश्विक तापमान जून के पिछले रिकॉर्ड से 0.1 सेल्सियस अधिक गर्म रहा।

नाइजीरिया में पेट्रोल से भरे टैंकर में विस्फोट, 45 मरे

अहुम्बे, 2 जुलाई (एएफपी)

मध्य नाइजीरिया में सड़क हादसे का शिकार हुए एक पेट्रोल टैंकर में विस्फोट होने से कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। टैंकर बेनुए प्रांत में अहुम्बे गांव से होकर जा रहा था। टैंकर जहां पलटा, वहां पास में कुछ दुकानें थीं। टैंकर से रिस रहे पेट्रोल को लेने के लिये स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। करीब एक घंटे तक टैंकर से रिसते तेल को लोग इकट्ठा करते रहे लेकिन इसके बाद अचानक टैंकर में विस्फोट हो गया। बेनुए प्रांत के संघीय सड़क सुरक्षा आयोग के सेक्टर कमांडर आलियू बाबा ने कहा, 'हमने घटनास्थल से 45 लोगों के शव निकाले हैं जबकि घटना में 101 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं।'

तापमान बढ़ने से 2030 में भारत में 3.4 करोड़ नौकरियों के बराबर उत्पादकता कम होगी : संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र, 2 जुलाई (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वायुमंडल का तापमान बढ़ने से 2030 में भारत में 5.8 प्रतिशत काम के घंटों का नुकसान हो जाएगा। उत्पादकता की इस क्षति का कुल नुकसान 3.4 करोड़ पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर होगा। इससे कृषि एवं निर्माण क्षेत्रों पर खास तौर पर फर्क पड़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) ने 'गर्म धरती पर कार्य करना- गरमी से उत्पन्न दबाव का श्रम उत्पादकता एवं साफ सुथरे कार्य पर प्रभाव' (वर्किंग ऑन अ वॉर्मर प्लैनेट- द इम्पैक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डिसेंट वर्क) शीर्षक अपनी रपट में कहा है कि 2030 तक दुनियाभर में दो कामकाजी घंटों के नुकसान होने का अनुमान है। रपट में कहा गया है कि अत्यधिक गर्मी के कारण या तो काम करना मुमकिन नहीं होगा या तो कर्मचारियों के काम करने की रफ्तार धीमी हो जाएगी।रपट के मुताबिक 21वीं सदी के आखिर तक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। इस रपट में कहा गया है भीषण गर्मी के कारण 2030 तक दुनियाभर में कुल कामकाजी घंटों में 2.2 प्रतिशत की कमी आ जाएगी। इससे आठ करोड़ पूर्णकालिक नौकरियों की उत्पादकता का नुकसान होगा।

उष्मागत तनाव के कारण 2030 तक वैश्विक स्तर पर कुल 2,400 अरब डॉलर का वित्तीय नुकसान होने का अनुमान है। रपट में आगाह किया गया है, 'अगर जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए अभी कदम नहीं उठाए गए तो यह वित्तीय बोझ बढ़ेगा क्योंकि सदी के आखिर तक वैश्विक तापमान के और अधिक बढ़ने की आशंका है।'

समाचार चैनल पर पांच मिनट दिखाए जाने के बाद रोका गया जरदारी का साक्षात्कार

इस्लामाबाद, 2 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान के प्रमुख समाचार चैनल को जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का साक्षात्कार प्रसारित करने से रोक दिया गया है। इसकी पत्रकारों ने व्यापक निंदा की और इमरान खान सरकार पर प्रेस की आजादी को दबाने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार निरोधक निकाय राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में बंद जरदारी (63) ने जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर को साक्षात्कार दिया। उस समय नेशनल एसेंबली सचिवालय ने जरदारी को संसद के सत्र में हिस्सा लेने की इजाजत दे रखी थी।

सोमवार रात मीर रात आठ बजे के कार्यक्रम 'कैपिटल टॉक' की मेजबानी कर रहे थे। उसी बीच चैनल ने जरदारी का साक्षात्कार दिखाना शुरू किया। लेकिन पांच मिनट के अंदर ही साक्षात्कार का प्रसारण रोक दिया गया और दूसरी खबरें दिखाई जाने लगीं। बाद में चैनल ने घोषणा की कि साक्षात्कार नहीं दिखाया जा रहा है। मीर ने इस पर ट्वीट किया कि मैं अपने दर्शकों से इस बात के लिए बस खेद प्रकट कर सकता हूं कि जियो न्यूज पर साक्षात्कार शुरू किया गया था और उसे रोक दिया गया। मैं शीघ्र ही सारी बातें सामने रखूंगा लेकिन यह समझना आसान है कि किसने इसे रोक दिया?

हांगकांग पर चीन ने दी नसीहत, सोच समझकर बोलें अमेरिका, ब्रिटेन व ईयू

बेजिंग, 2 जुलाई (भाषा)।

चीन ने हांगकांग में लेजिस्लेटिव काउंसिल पर हमले में शामिल कट्टरपंथियों को कोई भी गुमराह करने वाला संकेत भेजने के खिलाफ मंगलवार को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ को चेताया है। चीन ने देश के आंतरिक मामले में उनके 'गंभीर हस्ताक्षेप' पर कड़ा ऐतराज जताया है।

चीन के विदेश मंत्रालय ने हांगकांग में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का समर्थन करने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और ईयू के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने पत्रकारों से कहा, 'मैं दोहराना चाहूंगा कि हांगकांग चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है और पूर्ण रूप से आंतरिक मामला है। हम चीन के मामले में गंभीर हस्तक्षेप के लिए देशों की कड़ी निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं।'

ट्रंप बोले, आग से खेल रहा है ईरान

वाशिंगटन, 2 जुलाई (एएफपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान को आगाह करते हुए कहा कि वह आग से खेल रहा है। ईरान ने सोमवार को कहा कि उसने 2015 के परमाणु समझौते में तय सीमा से ज्यादा मात्रा में यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है। अमेरिका द्वारा अत्यधिक दबाव बनाने के चलते यह समझौता खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है।

एक भारतीय समेत नौ घायल

रियाद, 2 जुलाई। दक्षिणी सऊदी अरब के आभा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यमन के विद्रोहियों ने मंगलवार को हमला कर दिया जिसमें एक भारतीय नागरिक समेत नौ व्यक्ति घायल हो गए। आभा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए आतंकी हमले में सऊदी अरब के आठ नागरिक भी घायल हुए हैं। (**भाषा**)

जरदारी व शरीफ लूटे धन को लौटाएं, फिर देश से जाएं : इमरान

इस्लामाबाद, 2 जुलाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एलान किया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों के आरोपियों पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जैसे नेताओं को कोई क्षमादान नहीं देगी लेकिन यदि वे लूटे हुए धन को गुनाह कबूलने संबंधी समझौते के तहत लौटा देते हैं तो वे देश से जा सकते हैं। खान ने यह भी खुलासा किया कि जेल में बंद शरीफ (69) के बेटों ने दो मित्र राष्ट्रों की मदद से अपने पिता की रिहाई कराने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के नाम तो नहीं बताए लेकिन कहा कि उन्होंने मुझे केवल संदेश दिया, शरीफ की रिहाई के लिए दबाव नहीं बनाया। (**भाषा**)

श्रीलंका में पूर्व पुलिस प्रमुख व पूर्व रक्षा सचिव गिरफ्तार

कोलंबो, 2 जुलाई (भाषा)।

ईस्टर पर हुए आतंकी हमलों के सिलसिले में श्रीलंका के पूर्व रक्षा सचिव हेमासिरी फर्नांडो और निलंबित पुलिस प्रमुख पुजीत जयसुंदरा को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारियां ऐसे समय हुई हैं जब रविवार को अटार्नी जनरल ने अधिकारियों को फर्नांडो और जयसुंदरा पर आतंकी हमलों को रोकने में नाकाम रहने के मामले में आरोपित करने का निर्देश दिया था। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने भारत द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी पर कथित निष्क्रियता और 21 अप्रैल को शृंखलाबद्ध विस्फोट रोकने में नाकाम रहने पर जयसुंदरा और फर्नांडो को निलंबित किया था।

AXIS BANK

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

एक्सिस बैंक लिमिटेडः एक्सिस हाउस, टावर-2, 2रा तल, आई-14, सेक्टर-128 नोएडा एक्सप्रैसवे, जयपी ग्रीन्स, विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-201301
नियंत्रण कार्यालयः एक्सिस हाउस, बाम्बे डाइंग कम्पाउण्ड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई-400025

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि मै. गायत्री इन्फोटेल, श्री कपिल कुमार अग्रवाल से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाया राशि की भुगतान एवं/ अथवा वसूली की वास्तविक तिथि तक यथा लागू ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागतों, चार्जेज आदि के साथ 29.06.2019 को बकाया रु. 58,13,053/- की वसूली के लिये प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की 6.8.2019 को एक्सिस हाउस, टावर-2, 2रा तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रैसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-201301 में 11.30 बजे पूर्वा. में "जैसा है जहां है", "जो भी जैसा है" तथा "जो भी वहां है" आधार पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 46,00,000/- तथा धरोहर राशि रु. 4,60,000/- है। ऊपर वर्णित पते पर ईएमडी के साथ मुहरबंद प्रस्ताव/ निविदा के साथ बोली जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थानः 5.8.2019

खाता संख्या	कब्जा में ली गई तथा बिक्री की जाने वाली अचल सम्पत्ति/ प्रतिभूत परिसंपत्तियों का लोकेशन
91503005300985 6 एसबीबी (नगद साख सुविधा)	1. श्री कपिल कुमार अग्रवाल के नाम में 11वां तल, प्लॉट नं. 7 ए/ 1, सेक्टर 142, वाटर टैंक, नोएडा, उ.प्र., माप 899 वर्ग फीट में व्यावसायिक सम्पत्ति यूनिट नं. 1109, कॉर्पोरेट पार्क टावर नं.- ए
बैंक को ज्ञात अधिभार, यदि कोई हो	
ज्ञात नहीं	

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् **https://www.axis-bank.com/auction-notices** में दी गई लिंक देखें।

तिथिः 3.7.2019
स्थानः नोएडा

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
एक्सिस बैंक लि.

archies
The most special way to say you care
ARCHIES LIMITED
Regd. Office: 191F, Sector-4, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122050.
CIN: L36999HR1990PLC041175, Web: www.archiesonline.com
Email: archies@archiesonline.com, Tel: +91 124 4966666, Fax: +91 124 4966650.

NOTICE

Notice is given pursuant to the Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Code of the Company under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended from time to time, we would like to inform you that the trading window for the purpose of trading in the securities of the Archies Limited ("Company") by its Designated persons shall remain closed from July 1,2019 till 48 (Forty Eight) hours after the conclusion of the Meeting of the Board of Directors of the Company to be held for the purpose of consideration and approval of the Un-Audited Financial Results for the quarter ending June 30,2019. The date and venue of Board Meeting for the aforesaid purpose shall be intimated to you in due course.

Information in this regard is also available on the website of the Company i.e. www.archiesonline.com and on the website of stock exchanges i.e www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Archies Limited
Sd/-
DILIP SETH
Director (Finance) &CFO

Place: New Delhi
Date: 02.07.2019

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : एलआरपीजी, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, उ0प्र-201005
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एलआरपीजी, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **18/04/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः गणेश साहू एवं विकास कुमार** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.10,67,320/- (दस लाख सड़सठ हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र) + ब्याज + अन्य शुल्क** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 29.06.2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.10,67,320/- (दस लाख सड़सठ हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र) + ब्याज + अन्य शुल्क के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एलआरपीजी, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

निम्नलिखित स्थित सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सेः
फ्लैट सं. जीएफ 1 (भूतल) प्लॉट सं.बी 7/2 पर बिना छत अधिकार के सामने की तरफ एमआईजी, डीएलएफ अंकुर विहार ग्राम सैदुल्लाबाद, जिला गाज़ियाबाद, उ0प्र0। क्षेत्र 65.08 वर्ग मीटर।
सम्पत्ति का स्वामित्व श्री गणेश साहू पुत्र बैद्य नाथ साहू, जो घिरा हैः
उत्तरः प्लॉट बी 7/3 **दक्षिणः** प्लॉट बी 7/1
पूर्वः रोड 9 मीटर चौड़ी **पश्चिमः** अन्य की सम्पत्ति

स्थानः गाज़ियाबाद **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 29/06/2019 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

BANK OF INDIA (बैंक ऑफ इंडिया) BOI
हापुड़ शाखाः रेलवे रोड, हापुड़ (उ.प्र.), ई-मेलः hapur.ghaziabad@bankofindia.co.in
एच.ओ.: स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा(ई), मुम्बई-400051

कब्जा सूचना {नियम 8(1) के अंतर्गत अचल सम्पत्ति के लिये}
शुद्धि पत्र

एनपीए खाता-मै. यन्त्र कन्स्ट्रक्शन (द्वारा उसके प्रॉप.: श्रीमती इन्दू जयंत, पत्नी श्री मुंशी लाल जयंत) में 20.06.2019 को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन में पैरा नं. 3 में शाखा का नाम बैंक ऑफ इंडिया, संजय विहार शाखा, आवास विकास कॉलोनी, मेरठ रोड, हापुड़ (उ.प्र.) गलत प्रकाशित हो गया है, कृपया उसमें सुधार कर उसे बैंक ऑफ इंडिया, हापुड़ शाखा, रेलवे रोड, हापुड़ (उ.प्र.) पढ़ें।

तिथिः 14.6.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः हापुड़ बैंक ऑफ इंडिया

जिंदल फोटो लिमिटेड
[सीआईएन : L33209UP2004PLC095076]
पंजीकृत कार्यालय : 19वां के.एम., हापुड़-बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावती, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश- 203408
प्रधान कार्यालय : प्लॉट सं. 12, सेक्टर बी-1, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110 070
फोन नंबर : (011) 40322100, ई-मेल : cs_jphoto@jindalgroup.com, वेबसाइट : www.jindalphoto.com

शेयरधारकों को सूचना
इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियमावली, 2016 ("आईईपीएफ नियमावली") के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी द्वारा वे सभी शेयर निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ("आईईपीएफ प्राधिकरण") के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने की अपेक्षा की जाती है, जिनके संबंध में पिछले सात लगातार वर्षों से लाभांश का भुगतान अथवा उसके लिए मांग नहीं की गई है।

आईईपीएफ नियमावली के अनुसरण में, कम्पनी उन संबंधित शेयरधारकों को आवश्यक सूचना व्यक्तिगत रूप से भेज चुकी है, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु लाभांश की मांग नहीं की गई है/नकदीकरण नहीं किया गया है तथा जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के भागी हैं। ऐसे शेयरधारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.jindalphoto.com पर Section of Investor Relations-Unpaid Dividend के अंतर्गत अपलोड किया जा चुका है। शेयरधारक कम्पनी की वेबसाइट पर जाकर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के भागी शेयरों के विवरण का सत्यापन कर सकते हैं।

संबंधित शेयरधारकों से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु अपने अदावित लाभांश की मांग के लिए कम्पनी के शेयर ट्रांसफर एजेन्ट नामतः लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है। अदावित लाभांश की मांग के लिए आवेदन का प्रारूप कम्पनी की उपरिवर्णित वेबसाइट पर उपलब्ध है। लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, अदावित लाभांश की मांग के लिए, **02 नवम्बर, 2019** को अथवा पूर्व कोई भी वैध दावा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, कम्पनी संबंधित शेयर आईईपीएफ नियमावली के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिए जाएंगे। ऐसे शेयरों के संबंध में मूल शेयर जो संबंधित शेयरधारकों द्वारा भौतिक रूप में धारित हैं, स्वतः रद्द और अपरक्राम्य मान्य होंगे।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित शेयर और उन शेयरों पर उद्भूत लाभ, आईईपीएफ नियमावली के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस मांगे जा सकते हैं।

यदि शेयरधारकों को इस संबंध में कोई संदेह है, वे कम्पनी के शेयर ट्रांसफर एजेन्ट नामतः लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, ई-मेल : delhi@linkintime.co.in फोन : 011- 41410592-94, 011-49411000 से सम्पर्क कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
हस्ता./-
अशोक यादव
कम्पनी सचिव
एसीएस : 14223

दिनांक : 01-07-2019
स्थान : नई दिल्ली

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन
केन्द्र सरकार
(क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (क) के विषय में
तथा
सिग्नेचर सत्वा इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 183, भागीरथी अपार्टमेंट्स, सेक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित है, याचिकादाता के विषय में

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 20 जून, 2019 को आयोजित इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां **निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए :
पंजीकृत कार्यालय : 183, भागीरथी अपार्टमेंट्स, सेक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली-110085

कृते एवं हिते आवेदक
सिग्नेचर सत्वा इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
परवीन अग्रवाल
निदेशक
डीआईएन : 00302540

तिथि : 21-06-2019
स्थान : नई दिल्ली

फार्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण
{दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत}

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मास प्रॉजेक्ट इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	12 फरवरी, 1997
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U3220DL1997PTC085074
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	1 ला तल, नीलकंठ चैम्बर्स-IV, प्लॉट नं. 6, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, रिषभ विहार, दिल्ली-110092
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	16.4.2019 को एनसीएलटी द्वारा आदेश की तिथि जो अंतरिम प्रस्तावकर्मी द्वारा 18.4.2019 को प्राप्त की गई।
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	2 जुलाई, 2019
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध हैः	इच्छुक पार्टी/संभावित प्रस्ताव आवेदक आबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (सीआईआरपी विनियमन) के विनियमन 36ए के उप-विनियमन 7 के अनुसार अभिरुचि की अभिव्यक्ति जमा करेंगे। सीआईआरपी विनियमनों के विनियमन 36ए के उप-विनियमन 3 के अनुसार प्रस्ताव योजना जमा करने के लिये पात्रता मानदंड अभिरुचि की अभिव्यक्ति के विस्तृत आमंत्रण में वर्णित है जो 1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में उपलम्ब है। उसे ip.masproject@gmail.com पर ईमेल द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता मानक उपलब्ध है।	प्रस्ताव आवेदक को निर्दिष्ट योग्यता मानक, इतना ही नहीं, दिवाला तथा दिवालिया संहिता 2016 की धारा 29ए तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमनों जो लागू है अथवा प्रस्ताव योजना जमा करने के लिये बाद में लागू हो सकती है, का तथा इस आमंत्रण के अधिक्रम के अंतर्गत/उसके अनुपालन में/उससे संबंधित सभी मामलों का अनुपालन करना होगा। धारा 29ए के अंतर्गत अयोग्यता के मानक सीआईआरपी विनियमनों के विनियमन 36 ए के उप विनियमन (3) (ए) के अनुपालन में प्रस्ताव योजना जमा करने के लिये अभिरुचि की अभिव्यक्ति के विस्तृत आमंत्रण में वर्णित है जो 1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में उपलम्ब है। उसे ip.masproject@gmail.com पर ईमेल द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	18 जुलाई, 2019
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	28 जुलाई, 2019
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	2 अगस्त, 2019
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	12 अगस्त, 2019
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	2 अगस्त, 2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) तथा गोपनीयता की अंडरटैकिंग के प्रस्ताव के लिये अनुरोध ip.masproject@gmail.com पर प्रार्थना करने पर भेजी जायेगी। आईएम तथा डैटा रूम में प्रवेश आरपी/सीओसी की एकाकी इच्छा पर आईबीसी की धारा 29(2) तथा सीआईआरपी विनियमनों के विनियमन 36ए के उप विनियमन 7 जी के अनुसार गोपनीयता अंडरटैकिंग के निष्पादन के प्रमाण को जमा करने पर उपलब्ध कराई जायेगी।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	1 सितम्बर, 2019
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	श्री अशोक कुमार जुनेजा, मास प्रॉजेक्ट इंजीनियर्स प्रा.लि., 1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 के प्रस्ताव कर्मी के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा अथवा हाथों-हाथ तथा उसकी सॉफ्ट कॉपी ip.masproject@gmail.com पर मेल की जायेगी।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	1 अक्टूबर, 2019
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	श्री अशोक कुमार जुनेजा IBBI/IPA-002/IP-N00117/2017-2018/10286
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	श्री अशोक कुमार जुनेजा 1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ई-मेलः ashokjuneja@gmail.com
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ईमेल : ip.masproject@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	प्रस्ताव कर्मी के पास श्री अशोक कुमार जुनेजा 1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ईमेल : ip.masproject@gmail.com
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	आईबीबीआई की वेबसाईट- 2 जुलाई, 2019 समाचार पत्र में प्रकाशन- 3 जुलाई, 2019

प्रस्ताव कर्मी का हस्ताक्षर
हस्ता./-
अशोक कुमार जुनेजा
(LL.B.FCS, ACMA, DBF, NCFM, ADICA, M.COM)
प्रस्ताव कर्मी, मास प्रॉजेक्ट इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
पंजीकरण सं. **IBBI/IPA-002/IP-N00117/2017-2018/10286**
प्रस्ताव कर्मी का पंजीकृत पताः 1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

तिथिः 2 जुलाई, 2019
स्थानः नई दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक!
आस्ति वसूली प्रबंध शाखा, प्रथम तल, राजेन्द्

जनसत्ता

महासमर

विश्व कप -2019

3 जुलाई, 2019 12

दिलचस्प आंकड़े

रन	18215	सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा
विकेट	547	
छक्के	303	उच्चतम स्कोर डेविड वार्नर
अर्धशतक	93	

रोहित शर्मा, बुमराह के दम पर भारत ने बांग्लादेश को 28 रन से हराया

बर्मिंघम, 2 जुलाई (भाषा) ।

सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के मौजूदा टूर्नामेंट के रेकार्ड चौथे शतक और जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या की उम्दा गेंदबाजी के दम पर भारत ने विश्व कप में मंगलवार को यहां बांग्लादेश को 28 रन से हराकर सेमी फाइनल में जगह पक्की की।

रोहित ने 92 गेंद में पांच छक्कों और सात चौकों की मदद से 104 रन की पारी खेलने के अलावा साथी सलामी बल्लेबाज राहुल (77) के साथ पहले विकेट के लिए 180 रन की साझेदारी की जिससे भारत ने नौ विकेट पर 314 रन बनाए। ऋषभ पंत ने भी 48 रन की पारी खेली। रोहित का मौजूदा विश्व कप में यह चौथा शतक है और उन्होंने एक विश्व कप में सर्वाधिक चार शतक के श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा के रेकार्ड की बराबरी भी की। रोहित साथ ही मौजूदा टूर्नामेंट में 544 रन के साथ सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए।

बांग्लादेश को डेथ ओवरों में मुस्ताफिजुर रहमान (59 रन पर पांच विकेट) और शाकिब अल हसन (41 रन पर एक विकेट) ने मजबूत वापसी दिलाई जिससे भारतीय टीम अंतिम 10 ओवर में 63 रन ही बना सकी। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम बुमराह (55 रन पर चार विकेट) और पंड्या (60 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 48 ओवर में 286 रन पर ढेर हो गई। युजवेंद्र चहल (50 रन पर एक विकेट) ने भी उम्दा गेंदबाजी की। बांग्लादेश की ओर से शाकिब अल हसन ने सर्वाधिक 66 रन बनाए। मोहम्मद सैफुद्दीन (38 गेंद में नाबाद 51) और शब्बीर रहमान (36) ने सातवें विकेट के लिए 66 रन जोड़कर बांग्लादेश की उम्मीद बंधाई थी लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद भारत जीत दर्ज करने में सफल रहा।

इस जीत से भारत के आठ मैचों में छह जीत से 13 अंक हो गए हैं और वह दूसरे स्थान पर बरकरार है। बांग्लादेश इस हार के बाद आठ मैचों में सात अंक के साथ सेमी फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। लक्ष्य का पीछा करने उतरे बांग्लादेश की शुरुआत धीमी रही। तमीम इकबाल (22) ने बुमराह पर दो चौके जड़कर शुरुआत की और फिर भुवनेश्वर कुमार पर भी चौका जड़ा। वह हालांकि मोहम्मद शमी की गेंद को विकेटों पर खेलकर पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश के रनों का अर्धशतक 12वें ओवर में पूरा हुआ। सलामी बल्लेबाज सौम्य सरकार (33) ने धीमी शुरुआत के बाद शमी पर दो चौके जड़े लेकिन पंड्या ने आते ही उन्हें एक्ट्रा कवर पर कप्तान विराट कोहली के हाथों कैच करा दिया। मुशफिकुर रहीम 23 गेंद में 24 रन की पारी के दौरान लय में दिखे लेकिन युजवेंद्र चहल की गेंद पर शमी को आसान कैच दे बैठे। शाकिब ने एक छोर संभाले रखा और पंड्या पर चौका और दो रन के साथ 58 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। लिटन दास (22) ने पंड्या पर छक्का जड़ा लेकिन इसी तेज गेंदबाज की शार्ट गेंद पर दिनेश कार्तिक को कैच बैठे। मोसादेक हुसैन (03) भी बुमराह की गेंद को विकेटों पर खेल गए। पंड्या ने धीमी गेंद पर शाकिब को कार्तिक के हाथों कैच कराके बांग्लादेश का स्कोर छह विकेट पर 179 रन किया। शब्बीर ने शमी पर लगातार दो चौकों और एक रन के साथ 38वें ओवर में टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया।

विश्व कप डायरी

भारत को निचले क्रम की बल्लेबाजी में सुधार करना होगा : लायड

बर्मिंघम, 2 जुलाई (भाषा) ।

वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज क्लाइव लायड का मानना है कि भारत इस विश्व कप की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से है लेकिन विराट कोहली की टीम को नाकआउट चरण से पहले अपने बल्लेबाजी के निचले क्रम को मजबूत करना होगा ।

बल्लेबाजी में भारत सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली पर काफी निर्भर है। महेंद्र सिह धोनी समेत मध्यक्रम के बल्लेबाज अभी तक नाकाम रहे हैं। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी पांच ओवर में 71 रन चाहिए थे लेकिन वे 39 रन ही बना सके। वेस्ट इंडीज को 1975 और 1979 में विश्व कप दिलाने वाले पूर्व कप्तान लायड ने आइसीसी के लिए अपने कालम में लिखा, भारत के सामने चयन की दुविधा है। इंग्लैंड ने उसके स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी की। भारत को अपने निचले क्रम के बल्लेबाजों को मजबूत बनाना होगा। लायड ने भारत और आस्ट्रेलिया की तारीफ करते हुए कहा, आस्ट्रेलिया सेमी फाइनल में पहुंच ही चुका है और भारत पहुंचने वाला है। उन्होंने कहा, दोनों टीमें विश्व कप में लाजवाब रही है। उन्होंने हालात को बेहतर समझा जो यहां जरूरी है। यहां के विकेटों पर उन्हें कोई परेशानी नहीं आई। वेस्ट इंडीज के प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा, मेरी टीम के लिए यह टूर्नामेंट 'अगर ऐसा होता तो ' वाला रहा और श्रीलंका से मिली हार उसकी मिसाल है।

वार्नर के घर जन्मी तीसरी बिटिया

लंदन, 2 जुलाई (भाषा) ।

आस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर तीसरे बच्चे के पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी कैंडाइस ने यहां तीसरी बिटिया को जन्म दिया।

विश्व कप में अब तक आठ मैचों में सर्वाधिक 516 रन बनाने वाले वार्नर ने सोमवार को सोशल मीडिया पर बिटिया इसला रोज के जन्म की जानकारी दी। वार्नर ने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट पर लिखा, हमने अपने परिवार की नई सदस्या इसला रोज वार्नर का कल रात दस बजकर 30 मिनट पर स्वागत किया। कैंडाइस वार्नर अद्भुत है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और उसकी बड़ी बहनों का खुशी का ठिकाना नहीं है। इसला रोज के जन्म का मतलब है कि वार्नर की अब पांच साल से छोटी तीन बेटियां हो गई है।

बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय प्रशंसक।

क्षेत्ररक्षण करते हुए बुमराह के दाहिने कंधे में चोट

बर्मिंघम, 2 जुलाई (भाषा)।

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में डीप में क्षेत्ररक्षण करते हुए दाहिने कंधे में चोट लग गई। बांग्लादेश की पारी के 36वें ओवर में यह घटना हुई जब हार्दिक पंड्या बांग्लादेश के शब्बीर रहमान को गेंदबाजी कर रहे थे।

रहमान ने डीप फाइन लेग में शाट खेला और उसे रोकने के प्रयास मे बुमराह चोटिल हो गए। उन्हें फिजियो पैट्रिक फरहार्ट के साथ मैदान से जाना पड़ा। उस समय तक उन्होंने सात ओवर में 34 रन देकर एक विकेट लिया था। भारतीय खेमे ने राहत की सांस ली जब वह 42वें ओवर में मैदान में लौट आए।

विश्व कप में चौथा शतक जड़कर लगाई रेकार्डों की झड़ी

रोहित ने की संगकारा की बराबरी

बर्मिंघम, 2 जुलाई (भाषा) ।

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ मंगलवार को यहां शतकीय पारी खेलकर आइसीसी विश्व कप के एक टूर्नामेंट में चार शतक लगाने के कुमार संगकारा के रेकार्ड की बराबरी की। संगकारा ने 2015 के आइसीसी विश्व कप में चार शतक लगए थे।

एकदिवसीय में 26वीं शतकीय पारी से रोहित मौजूदा विश्व कप में डेविड वार्नर (516) को पछाड़कर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पर पहुंच गए। रोहित के नाम अब 544 रन है। बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने पारी की शुरुआत में उनका आसान कैच टपका दिया जिसका फायदा उठाते हुए इस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरा शतक लगाया। वह सचिन तेंदुलकर के बाद विश्व कप में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। तेंदुलकर ने 1996 और 2003 विश्व कप में 500 रन के आंकड़े को पार किया था।

उपलब्धियां

- विश्व कप में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने
- पोंटिंग,संगकारा के बाद पांच शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की सूची में हुए शामिल
- भारत की ओर से सर्वाधिक छक्के के मामले में धोनी को पीछे छोड़ा

विश्व कप में रोहित का यह पांचवां शतक है और वह तेंदुलकर के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए जिनके नाम छह शतकीय पारियां है। रोहित के अलावा आस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग और संगकारा के नाम पांच-पांच शतक है। भारतीय उपकप्तान ने 92 गेंद की पारी में सात चौके और पांच छक्के लगाए। उन्होंने मोसादेक हुसैन पर पारी के अपने चौथे छक्के के साथ एकदिवसीय क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वाधिक छक्के के मामले में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा। धोनी के नाम 228 छक्के हैं जबकि रोहित के छक्कों की संख्या 230 हो गयी। इस सूची में वह पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी (351), वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल (326) और श्रीलंका के सनथ जयसूर्या (270) के बाद चौथे स्थान पर हैं।

फेडरर उलटफेर से बचे, बार्टी और कर्बर दूसरे दौर में

लंदन, 2 जुलाई (एएफपी) ।

आठ बार के विंबलडन चैंपियन रोजर फेडरर पहले ही दौर में उलटफेर का शिकार होने से बाल बाल बचे और दक्षिण अफ्रीका के नये खिलाड़ी लायड हैरिस को 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 से हराया। दो बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन डोमिनिक थियेम हालांकि अमेरिका के सैम क्वेरी से 7-6, 6-7, 3-6, 0-6 से हार गए। स्पेन के रफेल नडाल जापानी क्वालीफायर युइची सुगिता से भिड़ेंगे।

महिला वर्ग में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी एशले बार्टी और गत चैंपियन एंजेलिक कर्बर दूसरे दौर में पहुंच गईं। दूसरी वरीयता प्राप्त नाओमी ओसाका सीधे सेटों में हारकर बाहर हो गईं थीं। बार्टी ने चीन की झेंग सेइसेइ को 6-4, 6-2 से हराया जबकि चौथी वरीयता प्राप्त कर्बर ने जर्मनी की ही ततयाना मारिया को 6-4, 6-3 से मात दी।

बार्टी को बेल्जियम की एलिसन वान से खेलना है जिसने पिछले साल गारबाइन मुगुरूजा को हराया था।

सेमी फाइनल के लिए भिड़ेंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड

चेस्टर ली स्ट्रीट, 2 जुलाई (एएफपी) ।

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड बुधवार को यहां विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने आखिरी मैच में जीत दर्ज करके सेमी फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। यहां तक की हार से भी दोनों टीमों की उम्मीदें समाप्त नहीं होंगी और दस टीमों के बीच राउंड रोबिन आधार पर खेले जा रहे टूर्नामेंट में उनके पास आगे बढ़ने का मौका बना रहेगा।

अगर इंग्लैंड इस मैच में हार जाता है तो पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में बांग्लादेश पर जीत दर्ज करके उससे आगे निकल सकता है। न्यूजीलैंड हार जाता है तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच में से कोई एक ही कीवी टीम के बराबर 11 अंक हासिल कर सकती है। बांग्लादेश को हालांकि इससे पहले भारत पर जीत दर्ज करनी होगी। लेकिन ये दोनों एशियाई टीमें न्यूजीलैंड से नेट रन रेट में काफी पीछे हैं।

मैच का समय

दोपहर तीन बजे से

- आमने सामने
- कुल मैच-08
- इंग्लैंड जीता-03
- न्यूजीलैंड जीता-05
- उच्च स्कोर: न्यूजीलैंड-239, इंग्लैंड-322

न्यूजीलैंड की बड़ी हार या पाकिस्तान की बड़ी जीत या बांग्लादेश की दो बड़ी जीत के दम पर ही कीवी टीम सेमी फाइनल की दौड़ से बाहर हो पाएगी। पर अभी इन दोनों टीमों का भाग्य इनके हाथ में है। इंग्लैंड के दस अंक हैं और न्यूजीलैंड पर जीत से वह सेमी फाइनल में पहुंच जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश की उम्मीदें लगभग समाप्त हो जाएंगी।

इंग्लैंड की टीम पिछले मैच में भारत पर 31 रन से जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी है। यह जीत उसे श्रीलंका और मौजूदा चैंपियन आस्ट्रेलिया से लगातार दो हार के बाद मिली है। भारत के खिलाफ जीत इंग्लैंड के लिए इसलिए भी महत्त्वपूर्ण रही क्योंकि उसके वे कारक फिर से सामने आए जिससे पिछले कुछ वर्षों में वह वनडे में चरम पर पहुंचने में सफल रहा था। जॉनी बेयरस्टॉ (111) और चोट से उबरने के बाद वापसी करने वाले जैसन रॉय (66) ने पहले विकेट के लिए 160 रन जोड़े जिसके बाद बेन स्टोक्स ने 79 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। यह उनका लगातार तीसरा अर्धशतक है। इससे इंग्लैंड ने सात विकेट पर 337 रन बनाए। पहली बार विश्व कप जीतने की कवायद में लगे इंग्लैंड ने इसके बाद अच्छी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण किया। क्रिस वोक्स ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया जबकि लियाम प्लंकेट (55 रन देकर तीन) ने फिर से बीच के ओवरों में विकेट निकाले। वोक्स ने कहा, दबाव की परिस्थितियों में इस तरह की जीत हमें अच्छी स्थिति में खड़ा कर सकती है।

दूसरी तरफ न्यूजीलैंड लगातार दो मैचों में हार के बाद इस मैच में उतरेगा। उसे पाकिस्तान और आस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। आस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और तूफानी गेंदबाज लॉकी फर्गुसन का सामना करना किसी भी टीम के लिए चुनौती होगी। न्यूजीलैंड स्पिनर ईश सोढ़ी की जगह पर एक अन्य तेज गेंदबाज मैट हेनरी को अंतिम एकादश में रख सकता है क्योंकि रिवरसाइड की पिच से स्पिनरों को बहुत अधिक मदद नहीं मिलती है। लेकिन जहां इंग्लैंड के कई बल्लेबाज अच्छी फार्म में हैं वहीं न्यूजीलैंड कप्तान केन विलियमसन और वरिष्ठ बल्लेबाज रोस टेलर पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

विश्व कप में 500 से अधिक रन और 10 से अधिक विकेट लेने वाले शाकिब पहले क्रिकेटर

बर्मिंघम, 2 जुलाई (भाषा) ।

बांग्लादेश के हरफनमौला शाकिब अल हसन मंगलवार को विश्व कप के इतिहास में पहले क्रिकेटर बन गए जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट में 500 से अधिक रन बनाए और दस से ज्यादा विकेट लिए।

भारत के खिलाफ 66 रन की पारी खेलने वाले शाकिब इस विश्व कप में सात पारियों में 542 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गए । उनसे अधिक रन रोहित शर्मा (544) ने ही बनाए हैं।

अब तक दो शतक और चार अर्धशतक बना चुके शाकिब ने 34.9 की औसत से 11 विकेट भी लिए हैं। शाकिब ने 66 रन बनाने के अलावा ऋषभ पंत का विकेट भी लिया। न्यूजीलैंड के स्काट स्टायरिस ने 2007 विश्व कप में 499 रन बनाने के अलावा नौ विकेट लिए थे। शाकिब ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ नाबाद 124 रन बनाए थे। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 29 रन देकर पांच विकेट लिए।

द्रविड़ ने एनसीए में पद नहीं संभाला

नई दिल्ली, 2 जुलाई (भाषा) ।

हितों के संभावित टकराव के कारण राहुल द्रविड़ ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट प्रमुख का पद अभी तक नहीं संभाला है जबकि उन्हें एक जुलाई को पदभार ग्रहण करना था।

द्रविड़ इंडिया सीमेंट के वैतनिक कर्मचारी हैं और बीसीसीआइ संविधान के अनुसार कोई एक व्यक्ति एक समय में कई पदों पर नहीं रह सकता है। इससे यह पूर्व कप्तान हितों के टकराव के दायरे में आ जाता है। बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने एजंसी से कहा, द्रविड़ ने अभी एनसीए में पदभार नहीं संभाला। उन्हें एनसीए से जुड़ने के लिए संभवतः इंडिया सीमेंट से त्यागपत्र देना होगा।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 227, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।

कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।